


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

No. 321]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 अगस्त, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/22/134/2016.—बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) की धारा 27,27ए, 27बी, 27सी,27डी और 28 के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और विनियमों का प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) "निधियों की अनुवृद्धि" से निवेश आय, वर्तमान निवेश के विक्रय / मोचन पर लाभ / हानि और परिचालन अधिशेष अभिप्रेत है।

(ग) "लेखांकन मानक" (एएस) से इस उद्देश्य से जारी किये गये आईआरडीएआई (वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तैयारी) विनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सीमा तक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये और कंपनी अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये रूप में लागू लेखांकन मानक अथवा भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अभिप्रेत है।

(घ) "अनुमोदित निवेश" से इन विनियमों की अनुसूची I और अनुसूची II के साथ पठित विनियम 3 (क) और (ख) के अनुसार किये गये निवेश अभिप्रेत हैं।

(घक) "आस्तियाँ" से अधिनियम की धारा 31 के उपबंधों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा भारत में धारित आस्तियाँ अभिप्रेत हैं।

(ङ) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(च) "वित्तीय व्युत्पन्नियाँ" (फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स) से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एसी) के अंतर्गत यथापरिभाषित व्युत्पन्न अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसी संविदा शामिल है जो अंतर्निहित ऋण प्रतिभूतियों की ब्याज दरों से अपना मूल्य व्युत्पन्न करती है तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य व्युत्पन्न संविदाएँ इसमें शामिल हैं।

(छ) "समूह" से दो या उससे अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों, फर्मों, न्यासों, न्यासियों अथवा निगमित निकायों का संघ अथवा उनका संगठन अभिप्रेत है जो लेखांकन मानक (एएस) में यथापरिभाषित किसी सहयोगी संस्था, निगमित निकाय, फर्म या न्यास अथवा सामान्य ब्रैंड नामों के प्रयोग, सहयोगी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव और / या नियंत्रण का प्रयोग करता है अथवा प्रयोग करने की स्थिति में होने के लिए स्थापित है, जैसा कि इन विनियमों के अंतर्गत दिशानिर्देशों के निर्गम द्वारा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण: महत्वपूर्ण प्रभाव और / या नियंत्रण के अन्य मानदंडों के साथ संयोजन में सामान्य ब्रैंड नामों के प्रयोग को, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, समूह का भाग बनने के रूप में शामिल करने या न करने का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(ज) "बुनियादी संरचनागत सुविधा" से समय-समय पर यथासंशोधित, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 14 अक्टूबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 'बुनियादी संरचना के उप-क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची' अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

1. सड़क, जिसमें कर सड़क (टोल रोड), पुल अथवा रेल प्रणाली शामिल है;
2. राजमार्ग परियोजना जिसमें अन्य कार्यकलाप शामिल हैं जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग हैं;
3. बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्देशीय जलमार्ग अथवा अंतर्देशीय बंदरगाह और संबद्ध बगली रेलवे पथ;
4. जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल व्यवहार प्रणाली, सफाई का प्रबंध और मल-व्यवस्था अथवा ठोस कूड़ा कचरा प्रबंध प्रणाली;
5. दूरसंचार सेवाएँ चाहे आधारभूत हों या सेल्युलर, जिनमें रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा (अर्थात् दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व-प्राप्त और परिचालित उपग्रह), ट्रंकिंग का नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएँ शामिल हैं;
6. औद्योगिक पार्क अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र;
7. बिजली का उत्पादन अथवा उत्पादन और वितरण (पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों);
8. दूरसंचार टॉवरों सहित नये संचारण अथवा वितरण की लाइनों का नेटवर्क स्थापित करने के द्वारा बिजली का प्रेषण अथवा वितरण;
9. कृषि-प्रसंस्करण और कृषि के लिए निविष्टियों की आपूर्ति के साथ संबद्ध परियोजनाओं से संबंधित निर्माण;
10. प्रसंस्करण किये गये कृषि-उत्पादों, गुणवत्ता के लिए परीक्षण की सुविधाओं सहित फलों, साग-सब्जियों और फूलों जैसी नश्वर वस्तुओं के परिरक्षण और भंडारण के लिए निर्माण;
11. शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण;

(झ) "निवेश आस्तियाँ" से निम्नलिखित में से किये गये सभी निवेश अभिप्रेत हैं :

- (1) जीवन बीमाकर्ता के मामले में

- (i) ऋण शोधन क्षमता का निरूपण करने वाली शेयरधारकों की निधियाँ, यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय की गैर-यूनिट आरक्षित निधियाँ, पॉलिसीधारकों की सहभागी और लाभरहित निधियाँ, परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियाँ जिनमें उनके रखरखाव मूल्य पर एक वर्षीय नवीकरण योग्य विशुद्ध सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) शामिल है
- (ii) पेंशन, वार्षिकी व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय से संबंधित पॉलिसीधारकों की निधियाँ जिनमें परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियाँ उनके रखरखाव मूल्य पर शामिल हैं।
- (iii) यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय से संबंधित पॉलिसीधारकों की यूनिट आरक्षित निधियाँ जिनमें समय-समय पर इन विनियमों के अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियाँ उनके बाजार मूल्य पर शामिल हैं
- (2) साधारण बीमाकर्ता के मामले में पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय संचालित करने वाला बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में शेयरधारकों की निधियाँ अथवा पुनर्बीमा के व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी की शाखा के मामले में उसके प्रधान कार्यालय खाते में अनुरक्षित निधियाँ जो ऋण शोधन क्षमता और रखरखाव मूल्य पर पॉलिसीधारकों की निधियों का निरूपण करती हैं
- जैसा कि आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किये गये फिलहाल प्रचलित किन्हीं भी विनियमों के अनुसार तैयार किये गये तुलन-पत्र में दर्शाया गया हो

(ज) मुद्रा बाजार लिखत

मुद्रा बाजार लिखतों में ऐसे अल्पकालिक निवेश होंगे जिनकी परिपक्वता एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी जिनके अंतर्गत निम्नलिखित लिखत होंगे:

1. सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिया गया जमा प्रमाणपत्र
2. सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिया गया वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर)
3. प्रतिवर्ती रेपो (रिवर्स रेपो)
4. राजकोष बिल (नकदी प्रबंध बिलों सहित)
5. माँग, सूचना, मियादी मुद्रा
6. इन विनियमों की अनुसूचियाँ I और II के अनुसार सीबीएलओ
7. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कोई अन्य लिखत

(ट) "प्रवर्तक" से आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियमों के विनियम 2(1)(x) के अंतर्गत यथापरिभाषित प्रवर्तक अभिप्रेत है।

(ड) "प्रधान अधिकारी" से बीमाकर्ता के प्रबंधन के साथ संबद्ध कोई व्यक्ति अथवा ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण ने उसके प्रधान अधिकारी के रूप में मानने के अपने आशय की सूचना दी हो।

(ड) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु अधिनियम अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।"

3. अनुमोदित निवेश

क) कोई भी बीमाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(3) के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रकार से, अधिनियम की धारा 27ई के साथ पठित, अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत यथापरिभाषित, धारा 27ए/ आस्तियाँ में परिभाषित रूप में तथा निम्नलिखित **अनुमोदित निवेशों** में अपनी नियंत्रित निधि का कोई अंश निवेश नहीं करेगा अथवा निवेशित रूप में नहीं रखेगा, अर्थात् :

1. किसी भी ऐसी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर पर प्रथम ऋण-भार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचर, जिसने ब्याज का भुगतान पूर्णतः किया हो।
2. किसी भी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर पर प्रथम ऋण-भार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचर, जहाँ ऐसी संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर का बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम हो, ऐसे डिबेंचरों के मूल्य से तीन गुने से अधिक हो।
3. किसी ऐसी कंपनी की उसकी सभी आस्तियों पर चल प्रभार द्वारा प्रतिभूत प्रथम डिबेंचर, जिसने अपनी ईक्विटी शेयरों पर लाभांश अदा किये हों।
4. किसी ऐसी कंपनी के अधिमानी शेयर जिसने तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम दो क्रमिक वर्षों के लिए अपने ईक्विटी शेयरों पर लाभांश अदा किये हों।
5. किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के ईक्विटी शेयर जिन पर तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम दो क्रमिक वर्षों के लिए कम से कम दस प्रतिशत लाभांश अदा किये गये हों।
6. भारत में स्थित अचल संपत्ति, **बशर्ते कि संपत्ति सभी ऋण-भारों से मुक्त हो।**
7. उसके द्वारा अथवा ऐसे बीमाकर्ता के द्वारा जिसके व्यवसाय का उसने अधिग्रहण किया हो और जिस व्यवसाय के संबंध में उसने देयता ग्रहण की हो, जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों पर उनके अभ्यर्पण मूल्यों के अंदर ऋण।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में संप्रति सम्मिलित बैंकों के पास सावधि जमा राशियाँ और;

ऐसे अन्य निवेश जिन्हें अनुमोदित निवेशों के रूप में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण घोषित कर सकता है।

ख) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित निवेशों को अनुमोदित निवेशों के रूप में माना जाएगा:

1. विनियम 4 से 9 के साथ दिये गये नोट के अनुसार रेटिंग-प्राप्त सभी डिबेंचर (बांडों सहित) तथा अन्य रेटिंग-प्राप्त और प्रतिभूत लिखत। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये तथा इस रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ईक्विटी शेयर, अधिमानी शेयर और ऋण लिखत – निवेश बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में निवेश नीतिगत दिशानिर्देशों, न्यूनतम मानदंडों, एक्सपोज़र मानदंडों और सीमाओं के अनुसार किये जाएंगे।
2. कंपनियों द्वारा जारी किये गये बॉण्ड और डिबेंचर जिन्हें सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम से कम एए अथवा उसके समकक्ष रेटिंग दिया गया हो अथवा ऐसे अल्पकालिक बॉण्ड, डिबेंचर, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र जिन्हें ए1 अथवा उसके समकक्ष रेटिंग दिया गया हो।
3. बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों और सीमाओं के अधीन ऐसे बैंकों के पास बीमाकर्ता की जमा राशियाँ [विनियम 3(क)(8) के अनुसार मियादी जमा राशियों सहित] (उदा. चालू खाता, माँग जमा राशियाँ, सूचना पर देय जमा राशियाँ, जमा प्रमाणपत्र आदि में) जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में संप्रति सम्मिलित हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में विधिवत् मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यापारियों के पास जमा राशियाँ।
4. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संपार्श्विकीकृत उधार लेनदेन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) तथा इन विनियमों के अधीन जारी किये गये पारस्परिक निधि संबंधी दिशानिर्देशों

के अनुसार अनुमोदित निवेशों का भाग बनने वाली गिल्ट, जी-सेक और तरल पारस्परिक निधि में एक्सपोज़र एवं मुद्रा बाजार लिखत / निवेश।

5. समय-समय पर यथापरिभाषित विनियम 2(ज) में 'बुनियादी सुविधा' के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार अंतर्निहित आवास ऋणों अथवा अंतर्निहित रूप में बुनियादी संरचनागत आस्तियों सहित आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ।
6. सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ए1 का क्रेडिट रेटिंग प्राप्त, इस रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र।
7. अनुमोदित निवेशों के उपबंधों के अधीन इन विनियमों के विनियम 2(ज) में यथापरिभाषित मुद्रा बाजार लिखत।

स्पष्टीकरण: विनियम 4 से 9 तक के साथ दिये गये 'नोट' में उल्लेखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

- ग) बीमाकर्ता का बोर्ड, अधिनियम की धारा 27ए(2)(ii) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए, अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य प्रकार के निवेशों में तथा कम से कम एए रेटिंग प्राप्त निवेशों के लिए और अनुमोदित निवेश का भाग बनने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में पहले से किये गये निवेशों के लिए तथा नियंत्रित निधि / आस्तियों से ऐसे निवेशों को जारी रखने के लिए निवेश समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है। निवेश समिति तिमाही आवधिकता पर निवेशों की अनर्जक (नॉन-पेरफॉर्मिंग) आस्तियों के विवरण, विश्लेषण और समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। बीमाकर्ता फार्म 4 के माध्यम से प्राधिकरण को इस उपबंध के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- घ) प्राधिकरण द्वारा जब तक विशिष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक कोई भी निवेश ऐसी किसी संस्था में जो भारत में कंपनियों से संबंधित किसी कानून के अधीन न बनी हुई हो तथा किसी निजी लिमिटेड कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 अथवा पहले के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन बनी कंपनी में नहीं किया जाएगा।

4. निवेशों का विनियमन – जीवन बीमाकर्ता

जीवन बीमाकर्ता इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निम्नानुसार नियंत्रित निधि का भाग बनने वाली निवेश आस्तियों का निवेश करेगा और हर समय निवेशित रूप में बनाये रखेगा:

- क. जीवन बीमा व्यवसाय और एक वर्ष के नवीकरण योग्य विशुद्ध सामूहिक मियादी बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए), और विनियम 5 के अनुसार यूनिट सहबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों की गैर-यूनिट आरक्षित रिज़र्वों की सभी निधियाँ (एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित, ऋण शोधन क्षमता मार्जिनों के अतिरिक्त धारित शेयरधारकों की निधियों को छोड़कर);
- ख. विनियम 6 के अनुसार पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की सभी निधियाँ [आईआरडीएआई (बीमांकक प्रतिवेदन और जीवन बीमा व्यापार के लिये सारांश) विनियम 2(घ) के अंतर्गत यथापरिभाषित]; तथा
- ग. विनियम 7 के अनुसार यूनिट सहबद्ध निधियों की सभी श्रेणियों का यूनिट आरक्षित निधि भाग"
5. अधिनियम की धाराओं 10(2एए), 27 अथवा 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जीवन बीमा व्यवसाय करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित तरीके से विनियम 4(क) में यथापरिभाषित अपनी निवेश आस्तियों का निवेश (पेंशन और सामान्य वार्षिकी व सामूहिक व्यवसाय तथा यूनिट सहबद्ध व्यवसाय की सभी श्रेणियों की यूनिट आरक्षित रिज़र्वों को छोड़कर अन्य निधियाँ) करेगा और हर समय निवेशित रूप में रखेगा:

सं.	निवेश का प्रकार	विनियम 4(क) के अधीन निधियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 25%
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	कम से कम 50% (उपर्युक्त (i) को मिलाकर)

(iii)	विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र/ विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन विनियम 3 (क), (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदित निवेश तथा धारा 27ए(2) और इन विनियमों की अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट अन्य निवेश (सब को एक साथ मिला कर)	अधिकतम 50%
(iv)	विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन धारा 27ए(2) में यथाविनिर्दिष्ट अन्य निवेश	अधिकतम 15%
(v)	<p>निम्नलिखित में अभिदान अथवा उनकी खरीद के रूप में आवास और बुनियादी संरचना में निवेश:</p> <p>क. आवास में निवेश</p> <p>क. हुडको और राष्ट्रीय आवास बैंक के बॉण्ड / डिबेंचर</p> <p>ख. आवास वित्त कंपनियों के बॉण्ड/डिबेंचर जो या तो आवास निर्माण कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विधिवत् अधिकृत हों या सरकार द्वारा विधिवत् गारंटीकृत हों या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त कम से कम 'एए' वर्तमान रेटिंग धारण करती हों।</p> <p>ग. समय-समय पर इन विनियमों के अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले अंतर्निहित आवास ऋणों से युक्त आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ।</p> <p>ख. बुनियादी संरचना में निवेश</p> <p>(स्पष्टीकरण: इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित बुनियादी संरचनागत आस्तियों से युक्त बांडों/ डिबेंचरों, ईक्विटी और आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों का अभिदान अथवा खरीद अर्हक होगी।)</p> <p>'बुनियादी संरचनागत सुविधा' का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित विनियम 2(एच) में दिया गया है।</p> <p>टिप्पणी: उपर्युक्त श्रेणी (i) और (ii) के अंतर्गत किये गये निवेशों को आवास और बुनियादी संरचना में निवेश के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि संबंधित सरकार 'बुनियादी संरचनागत सुविधा' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशिष्ट रूप से इस प्रकार की प्रतिभूति जारी करती हो।</p>	आवास और बुनियादी संरचना में कुल निवेश उपर्युक्त श्रेणियों (i), (ii), (iii) और (iv) को एक साथ लेने पर विनियम 4(क) के अंतर्गत निधि के 15% से कम नहीं होगा।

6. अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27 अथवा 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय [आईआरडीएआई (बीमांकक प्रतिवेदन और जीवन बीमा व्यापार के लिये सारांश) विनियम 2(घ) के अंतर्गत यथापरिभाषित] करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित तरीके से पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की अपनी निवेश आस्तियों का निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगा:

सं.	निवेश का प्रकार	विनियम 4 (ख) के अंतर्गत निधियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 20%
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	कम से कम 40% (उपर्युक्त (i) को मिला कर)
(iii)	शेष का निवेश विनियम 9 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन अनुसूची I में विनिर्दिष्ट रूप में अनुमोदित निवेशों में किया जाना चाहिए।	अधिकतम 60%

टिप्पणी: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 27ए(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में 'अन्य निवेश' के अंतर्गत आने वाला कोई भी निवेश नहीं किया जाएगा।

7. यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय

अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27 अथवा 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्रत्येक बीमाकर्ता विनियम 4(ग) के अधीन अपनी वियोजित निधि(यों) का निवेश, यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के (अभिरक्षक स्तर पर अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ) प्रस्तावित और पॉलिसीधारकों द्वारा अभिदान किये गये स्वरूप के अनुसार करेगा तथा निवेशित रूप में उन्हें हर समय बनाये रखेगा, जहाँ यूनिट आस्तियों की श्रेणियों के साथ सहबद्ध किये गये हों जो दोनों विपणन-योग्य और उत्पाद विनियमों के अनुसार अनुमोदित स्वरूप के अंदर तत्काल वसूली-योग्य हों।

तथापि, अनुमोदित निवेशों में निवेश ऐसी प्रत्येक पृथक्कृत निधि में इस प्रकार की निधि(यों) के 75% से कम नहीं होगा।"

- क. विनियम 9 के अंतर्गत सभी विवेकपूर्ण और एक्सपोज़र मानदंड एसएफआईएन स्तर पर पृथक् वियोजित निधि के स्तर पर लागू होंगे।
- ख. बीमाकर्ता समय-समय पर जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वेबसाइट पर पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना प्रकट करेगा।

8. निवेशों का विनियमन – साधारण बीमाकर्ता पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित

अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27, अथवा 27बी तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता नीचे निर्धारित तरीके से अपनी निवेश आस्तियों का निवेश करेगा और उन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगा:

सं.	निवेश का प्रकार	निवेश आस्तियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 20%
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	कम से कम 30% (उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन विनियम 3(क), (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदित निवेश तथा धारा 27ए(2) और इन विनियमों की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट अन्य निवेश (सब को एक साथ लेते हुए)	अधिकतम 70%
(iv)	विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, धारा 27ए(2) में यथाविनिर्दिष्ट अन्य निवेश:	अधिकतम 15%
(v)	निम्नलिखित के अभिदान अथवा खरीद के रूप में आवास तथा आवास और अग्निशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को ऋण: क. आवास में निवेश क. हुडको, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किये गये बॉण्ड / डिबेंचर ख. आवास वित्त कंपनियों के बॉण्ड / डिबेंचर जो या तो आवास निर्माण कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विधिवत् अधिकृत हों या सरकार द्वारा विधिवत् गारंटीकृत हों या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त कम से कम 'एए' वर्तमान रेटिंग धारण करती हों। ग. समय-समय पर इन विनियमों के अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले अंतर्निहित आवास ऋणों से युक्त आस्तिसमर्थित प्रतिभूतियाँ। ख. बुनियादी संरचना में निवेश (स्पष्टीकरण: इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अंतर्निहित बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त बांडों/ डिबेंचरों, ईक्विटी और आस्तिसमर्थित प्रतिभूतियों का अभिदान अथवा खरीद अर्हक होगी।)	आवास और बुनियादी संरचना में कुल निवेश उपर्युक्त श्रेणियों (i), (ii), (iii) और (iv) को एक साथ लेने पर निवेश आस्तियों के 15% से कम नहीं होगा।

	<p>'बुनियादी संरचनागत सुविधा' का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित विनियम 2(एच) में दिया गया है।</p> <p>टिप्पणी: उपर्युक्त श्रेणी (i) और (ii) के अंतर्गत किये गये निवेशों को आवास और बुनियादी संरचना में निवेश के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि संबंधित सरकार 'बुनियादी संरचनागत सुविधा' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशिष्ट रूप से इस प्रकार की प्रतिभूति जारी करती हो।</p>	
--	--	--

"टिप्पणी – विनियम 4 से 8 तक के प्रयोजन के लिए

1. निवेश के स्वरूप की प्रयोज्यता

निवेश का स्वरूप व्यवसाय में अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित शेयरधारकों की निधियों के लिए लागू नहीं होगा, तथा ऋण शोधन क्षमता के परिकलन के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ऐसे आधिक्य को:

- ऋण शोधन क्षमता सीमा का निरूपण करने वाली निधियों से केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में तथा आवास और बुनियादी संरचना निवेशों में निवेश का पूर्णतः अनुपालन करने के बाद निर्मित किया जाएगा।
- ऋण शोधन क्षमता सीमा की अपेक्षा से ऊपर धारित शेयरधारकों की निधियों के ऐसे आधिक्य को अभिनिर्धारित पत्रकों (स्क्रिप्स) के साथ एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित किया जाएगा।
- ऐसी अतिरिक्त निधियों का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के बाद ही किया जाएगा, जो नियुक्त बीमांकिक द्वारा प्रमाणित होगा तथा इस प्रकार का मूल्यांकन प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।
- तिमाहियों के बीच किये गये ऐसे अंतरण को समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो इस आशय का होगा कि उपर्युक्त बिन्दु (i), (ii) और (iii) का अनुपालन किया गया है।
- 'निवेशिती कंपनी', 'समूह', 'प्रवर्तक समूह', और 'उद्योग क्षेत्र' के एक्सपोज़र मानदंड, ऋण शोधन क्षमता सीमा (एफआरएसएम) और अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित निधियों का निरूपण करने वाली -- दोनों प्रकार की निधियों पर लागू होंगे।

- बाजार प्रथा के अनुसार रेटिंग प्राप्त सक्षम आस्तियों और लिखतों में समस्त निवेश, ऐसी आस्तियों अथवा लिखतों के क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किया जाएगा। ऐसा कोई अनुमोदित निवेश इन लिखतों में नहीं किया जाएगा, यदि इस प्रकार के लिखत भले ही रेटिंग प्राप्त करने के लिए सक्षम हों, परंतु रेटिंग प्राप्त नहीं किये हों।
- उक्त रेटिंग सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।
- सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम से कम एए अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्रदत्त कॉरपोरेट बाँण्ड अथवा डिबेंचर एवं ए1 अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्रदत्त अल्पावधि बाँण्ड, डिबेंचर, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र 'अनुमोदित निवेश' के रूप में माने जाएँगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक से इस रूप में मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये कर्ज लिखत (डेट इन्स्ट्रूमेंट) का रेटिंग 'एए' अथवा उसके समकक्ष रेटिंग होगा। यदि निवेशकर्ता बीमा कंपनी की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इस श्रेणी के निवेश उपलब्ध नहीं हैं; तथा निवेशकर्ता बीमा कंपनी की निवेश समिति इसके बारे में पूर्णतः संतुष्ट है तो निवेश समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किये जाने वाले कारणों से, निवेश समिति सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदत्त कम से कम 'ए+' वर्तमान रेटिंग अथवा उसके समकक्ष वर्तमान रेटिंग से युक्त लिखतों में निवेशों का अनुमोदन कर सकती है, जिन्हें 'अनुमोदित निवेश' माना जाएगा।
- विनियम 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत अनुमोदित निवेश, जिनकी श्रेणी निर्धारित न्यूनतम रेटिंग से कम किया जाता है अथवा जो लाभांश मानदंडों को लगातार पूरा नहीं करते हैं, 'अन्य निवेश' के अंतर्गत अपने आप पुनः वर्गीकृत किये जाने चाहिए तथा एक श्रेणी के अंतर्गत विशिष्ट रूप से अभिनिर्धारित किये जाने चाहिए जिनका मूल्यांकन निवेश के स्वरूप के प्रयोजन के लिए तिमाही आधार पर बाजार भाव पर दर्शाते हुए किया जाएगा।

7. किसी पंजीकृत शेयर बाजार में सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश, सक्रिय रूप से व्यापारित और अर्थसुलभ लिखतों में अर्थात् समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किये गये पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फंड्स) को नियंत्रित करने वाले सेबी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अत्यल्प मात्रा में व्यापारित (थिनली ट्रेडेड) के रूप में परिभाषित ईक्विटी शेयरों को छोड़कर अन्य ईक्विटी शेयरों में किये जाने चाहिए।
8. (क) जीवन बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में कम से कम 75% निवेश तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में कम से कम 65% निवेश दीर्घावधि लिखतों के लिए राष्ट्रीय कर्ज (सावरिन डेट), एएए अथवा उसके समकक्ष रेटिंग में होगा तथा अल्पावधि लिखतों के लिए राष्ट्रीय कर्ज, ए1+ अथवा उसके समकक्ष रेटिंग में। यूनिट सहबद्ध व्यवसाय की स्थिति में यह वियोजित निधि(यों) पर लागू होगा।

टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में 'कर्ज' लिखतों में निवेश के 75% का तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में 'कर्ज' लिखतों में निवेश के 65% का परिकलन करने में (क) अंतर्निहित कॉरपोरेट बॉण्ड के साथ प्रतिवर्ती (रिवर्स) रेपो (ख) बैंक सावधि जमा (ग) प्रवर्तक समूह पारस्परिक निधि और रेटिंग रहित पारस्परिक निधियों में निवेश को दोनों गणक और भाजक में नहीं माना जाएगा।

(ख) जीवन बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में विनियम 4(क) और विनियम 4 (ग) के अंतर्गत निधियों के 5% से अनधिक तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में निवेश के 8% से अनधिक - का रेटिंग दीर्घावधि के लिए ए अथवा उससे कम अथवा उसके समकक्ष रेटिंग होगा।

(ग) विनियम 4 (ख) के अंतर्गत निधियों में से कोई भी निवेश अन्य निवेशों में नहीं किया जा सकता।

(घ) दीर्घावधि के लिए एए- (एए माइनस) या उससे नीचे का रेटिंग प्राप्त कर्ज लिखतों में निवेश तथा अल्पावधि कर्ज लिखतों के लिए ए1 से नीचे का अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्राप्त कर्ज लिखतों में निवेश अन्य निवेशों का भाग बनेंगे।

9. उपर्युक्त के बावजूद, इस बात पर बल दिया जाता है कि बीमाकर्ता की ओर से उपयुक्त जोखिम विश्लेषण और प्रबंध का स्थान रेटिंग को नहीं लेना चाहिए। बीमाकर्ता को चाहिए कि वह उत्पाद (उत्पादों) की जटिलता और उनकी धारिता की मूर्तता के अनुरूप जोखिम विश्लेषण संचालित करे, अथवा वह ऐसे निवेशों से दूर भी रह सकता है।

9. अनावरण (एक्सपोजर) / विवेकपूर्ण मानदंड

अधिनियम की धाराओं 10(2एए), 27, 27ए, 27बी और 27सी में निहित किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित अनावरण मानदंडों के अनुसार अपनी नियंत्रित निधियों / सभी आस्तियों के निवेश को सीमित करेगा:

क. निम्नलिखित के लिए अनावरण मानदंड:

- (क) जीवन बीमा व्यवसाय और एक वर्ष के नवीकरण योग्य विशुद्ध सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) की सभी निधियाँ, तथा यूनिट सहबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों की गैर-यूनिट आरक्षित निधियाँ
- (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय [आईआरडीएआई (बीमांकक प्रतिवेदन और जीवन बीमा व्यापार के लिये सारांश) विनियम 2(घ) के अंतर्गत यथापरिभाषित] की सभी निधियाँ
- (ग) विनियम 7 के अनुसार यूनिट सहबद्ध निधियों की सभी श्रेणियों का यूनिट आरक्षित निधियों का भाग, जीवन, पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय तथा यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक वियोजित निधि (प्रवर्तक समूह अनावरण हेतु छोड़कर)

2. साधारण बीमा व्यवसाय,
3. पुनर्बीमा व्यवसाय
4. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

दोनों इन विनियमों के विनियम 3(क), अनुसूची I और अनुसूची II के अनुसार अनुमोदित निवेश एवं धारा 27ए(2) के अंतर्गत अनुमत रूप में अन्य निवेश हेतु निम्नानुसार होंगे।

ख. उपर्युक्त बिन्दु (ए.1.ए, ए.1.बी., ए.1.सी. सब को एक साथ लेते हुए), (ए.2), (ए.3) और (ए.4) के अंतर्गत सभी निवेश आस्तियों से एक एकल 'निवेशिती' कंपनी (ईक्विटी, कर्ज और अन्य निवेशों को एक साथ लेते हुए) के लिए अधिकतम एक्सपोज़र सीमा निम्नलिखित में जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होगी:

(i) विनियम 4(क), 4(ख) और विनियम 2(i) के अंतर्गत निवेश आस्तियों के उचित मूल्य परिवर्तन को छोड़कर विनियम 2(i)(1), विनियम 2(i)(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट रूप में निवेश आस्तियों के 10% की राशि

(ii) नीचे की सारणी के बिन्दु (क) और (ख) के अंतर्गत परिकलित राशि का कुल योग

निवेश का प्रकार (1)	'निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा (2)	निवेशिती कंपनी के समूचे समूह के लिए सीमा (3)	उस उद्योग क्षेत्र के लिए सीमा जिसके साथ निवेशिती कंपनी संबंधित है (4)
क. 'ईक्विटी', अधिमानी शेयरों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश	बकाया ईक्विटी शेयरों का 10%* (अंकित मूल्य) अथवा जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में अलग से मानी गई उपर्युक्त बिन्दु क.1.(क) या क.1.(ख) या क.1.(ग) [वियोजित निधि] के अंतर्गत राशि / पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में क.2 या क.3 या क.4 के अंतर्गत राशि का 10% जो भी कम हो	बिन्दु क.1.(क) या क.1.(ख) या क.1.(ग) या क.2 या क.3 या क.4 के अंतर्गत राशि के 15% से अनधिक प्रवर्तक समूह से संबंधित कंपनियों में किये गये निवेशों के अनावरण विनियम 9 की टिप्पणियों के अंतर्गत बिन्दु 7 के अनुसार परिकलित होंगे	बीमाकर्ता द्वारा किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बिन्दु क.1.(क) या क.1.(ख) या क.1.(ग) या क.2 या क.3 या क.4 के अंतर्गत राशि के 15% से अधिक नहीं होगा टिप्पणी: औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण बुनियादी संरचना क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक कार्यकलाप) - 2008 (एनआईसी) की पद्धति में किया जाएगा। अनावरण का परिकलन ए से आर तक डिविज़न स्तर पर किया जाएगा। वित्तीय और बीमा कार्यकलाप क्षेत्र के लिए अनावरण सेक्शन स्तर पर होगा। 'बुनियादी संरचना' में निवेशों के लिए अनावरण नीचे उल्लेखित टिप्पणी: 1, 2, 3 और 4 के अधीन हैं
ख. कर्ज (सीपी सहित)/ ऋणों में निवेश तथा उपर्युक्त 'क' को छोड़कर अधिनियम/ विनियम के अनुसार कोई अन्य अनुमति प्राप्त निवेश	'निवेशिती' कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों / बांडों (सीपी सहित) का 10%* अथवा जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में अलग से मानी गई उपर्युक्त बिन्दु क.1.(क) या क.1.(ख) या क.1.(ग) [वियोजित निधि] के अंतर्गत राशि / पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण		

	बीमाकर्ता के मामले में क.2 या क.3 या क.4 के अंतर्गत राशि का 10% जो भी कम हो		
--	---	--	--

उन बीमाकर्ताओं के मामले में जिनके पास निम्नलिखित परिमाण के अंदर विनियम 2(i)(1) और विनियम 2(i)(2) के आशय के अंतर्गत निवेश आस्तियाँ हों, ईक्विटी, अधिमानी शेयरों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों, कर्ज, ऋणों में निवेश अथवा विनियमों के अंतर्गत अनुमत किसी अन्य निवेश के लिए उपर्युक्त सारणी में () अंकित सीमा निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी:

निवेश आस्तियाँ	'निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा	
	ईक्विटी	कर्ज
250000 करोड़ रुपये और उससे अधिक	बकाया ईक्विटी शेयरों का 15% (अंकित मूल्य)	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) और डिबेंचरों / बांडों का 15%
50000 करोड़ रुपये परंतु 250000 करोड़ रुपये से कम	बकाया ईक्विटी शेयरों का 12% (अंकित मूल्य)	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) और डिबेंचरों / बांडों का 12%
50000 करोड़ रुपये से कम	बकाया ईक्विटी शेयरों का 10% (अंकित मूल्य)	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) और डिबेंचरों / बांडों का 10%

टिप्पणी:

- समय-समय पर यथासंशोधित इस विनियम के विनियम 2(ज) के अंतर्गत परिभाषित रूप में 'बुनियादी संरचनागत सुविधा' क्षेत्र में किये गये निवेशों के लिए उद्योग क्षेत्र मानदंड लागू नहीं होते। एनआईसी वर्गीकरण 'बुनियादी संरचनागत सुविधा' में किये गये निवेशों पर लागू नहीं होता।
- प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित बुनियादी संरचना कर्ज निधि (आईडीएफ) में निवेशों की गणना बुनियादी संरचना में निवेशों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर की जाएगी।
- एक पब्लिक लिमिटेड 'बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी' को एक्सपोज़र निम्नानुसार होगा:
 - ईक्विटी के मामले में बकाया ईक्विटी शेयरों का 20% (अथवा)
 - कर्ज के मामले में बकाया ईक्विटी और (प्लस) निर्बंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) और (प्लस) डिबेंचर / बाँण्ड -- इन सब को एक साथ लेने पर इनका 20% (अथवा)
 - विनियम 9 (ख) (i) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो।
 - ऊपर उल्लेखित 20% में, केवल कर्ज लिखतों के मामले में बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से आगे और 5% वृद्धि की जा सकती है।
 - किसी बुनियादी संरचना की निवेशिती कंपनी में, इस विनियम में उपर्युक्त सारणी में निर्धारित एक्सपोज़र से अधिक, कर्ज लिखतों की बकाया अवधि, निवेश के समय 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
 - ईक्विटी निवेश के मामले में किसी कॉरपोरेट / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के प्राथमिक निर्गम की स्थिति में, इन विनियमों के अनुसार लाभांश का पिछला कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड धारक कंपनी पर लागू होगा।
 - एक 'बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी' में किये गये सभी निवेश, समूह / प्रवर्तक समूह एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होंगे।

4. बीमाकर्ता निवेश करते समय समूह/ प्रवर्तक समूह एक्सपोजर मानदंडों के अधीन, बुनियादी संरचना क्षेत्र में लिस् पब्लिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की परियोजना लागत (एक सक्षम निकाय द्वारा यथानिर्धारित) का अधिकतम 20% (अथवा) विनियम 9 (ख) (i) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, का निवेश अनुमोदित निवेशों के एक भाग के रूप में निम्न शर्तों के अधीन कर सकता है:
 - क. ऐसा निवेश कर्ज में हो।
 - ख. मूल कंपनी प्रदान किये गये समूचे कर्ज और एसपीवी के ब्याज के भुगतान की गारंटी देती हो।
 - ग. यदि मूलधन या ब्याज चूक के अंतर्गत हो और नियत तारीख से 90 दिन के अंदर उसका भुगतान नहीं किया गया हो, तो ऐसे कर्ज को अन्य निवेशों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
 - घ. मूल कंपनी (कंपनियों) का नवीनतम लिखत कम से कम एए रेटिंग से युक्त हो।
 - ङ. मूल कंपनी (कंपनियों) की ऐसी गारंटी, उसके द्वारा दी गई वर्तमान गारंटियों, यदि कोई हों, के साथ मूल कंपनी (कंपनियों) की निवल संपत्ति के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - च. मूल कंपनी (कंपनियों) की निवल संपत्ति, यदि सूचीबद्ध न हो तो 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी अथवा जहाँ मूल कंपनी (कंपनियों) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों से युक्त शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध है (हैं), तो निवल संपत्ति 250 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

निवेश समिति को चाहिए कि वह कम से कम छमाही आवधिकता पर ऐसे निवेशों के जोखिम का मूल्यांकन करे तथा जहाँ मूल कंपनी (कंपनियों) एक से अधिक एसपीवी को संचालित करती हो, वहाँ आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

5. दोनों अनुमोदित और अन्य निवेश श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतीकृत आस्तियों [बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस)/आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस)/प्रतिभूति रसीदों (एसआर)] में निवेश जीवन कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 10% से अधिक तथा साधारण कंपनियों के मामले में निवेश आस्ति के 5% से अधिक नहीं होंगे। अंतर्निहित आवास अथवा बुनियादी संरचना आस्तियों के साथ एमबीएस/ एबीएस में अनुमोदित निवेश, जीवन कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 10% और साधारण कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 5% से अधिक नहीं होगा। अंतर्निहित आवास अथवा बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त किन्हीं एमबीएस / एबीएस का ग्रेड एएए अथवा उसके समकक्ष ग्रेड से कम किया जाता है, तो अन्य निवेशों के रूप में उनका पुनः वर्गीकरण किया जाएगा।
6. लेखांकन मानकों के आशय के अंतर्गत, तथा विनियम 3(क)(6) के अंतर्गत समाविष्ट निवेश आस्ति निवेश के समय (क) साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियों के 5% और (ख) जीवन बीमाकर्ता के मामले में जीवन निधियों की निवेश आस्तियों के 5% से अधिक नहीं होगी। 'निवेश आस्ति' के रूप में धारित अचल संपत्ति 'स्वयं के उपयोग' के लिए नहीं होगी। स्वयं के उपयोग के लिए अचल संपत्ति केवल शेयरधारकों की निधियों से खरीदी जाएगी तथा इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
7. उपर्युक्त सारणी में उल्लेखित अनावरण सीमाओं के अधीन प्रवर्तक समूह से संबंधित सभी कंपनियों में बीमाकर्ता के निवेश उसकी निवेश आस्तियों के कुल योग में 5% से अधिक नहीं होंगे। प्रवर्तक समूह से संबंधित सभी कंपनियों में किया गया निवेश, विनियम 9 की टिप्पणी 12 के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा बनाई गई कंपनियों को छोड़कर निजी स्थानन के रूप में अथवा असूचीबद्ध लिखतों (ईक्विटी, कर्ज, जमा प्रमाणपत्रों और किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में धारित सावधि जमा राशियों) में नहीं किया जाएगा।
8. वित्तीय और बीमा कार्यकलापों के लिए अनावरण सीमा (समय-समय पर यथासंशोधित एनआईसी वर्गीकरण-2008 के खंड ट के अनुसार) सभी बीमाकर्ताओं के लिए निवेश आस्तियों के 25% पर स्थित होगी। आवास वित्तपोषण कंपनियों और बुनियादी संरचना वित्तपोषण कंपनियों में निवेश (हुडको, एनएचबी के डिबेंचरों तथा कम से कम एएए रेटिंग से युक्त आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किये गये केवल बांडों एवं बुनियादी संरचना क्षेत्र का भाग बनने वाली समर्पित बुनियादी संरचना वित्तपोषण संस्थाओं में कर्ज, ईक्विटी में निवेश को छोड़कर) वित्तीय और बीमा कार्यकलापों को एक्सपोजर का भाग बनेगा (एनआईसी वर्गीकरण-2008 के खंड ट के अनुसार)।

9. जहाँ निवेश अंशतः प्रदत्त शेयरों में है, वहाँ ऐसे शेयरों पर माँगी न गई देयता एक्सपोज़र मानदंडों की संगणना के प्रयोजन के लिए निवेशित राशि में जोड़ी जाएगी।
10. विनियम 9 (ख) में निहित किसी बात के होने के बावजूद जहाँ कंपनी द्वारा वर्तमान शेयरधारकों को नये शेयर जारी किये जाते हैं, जिसके वर्तमान शेयर विनियम 3(a)(5) द्वारा समाविष्ट हैं तथा बीमाकर्ता पहले से ही शेयरधारक है, वहाँ बीमाकर्ता ऐसे नये शेयरों में अभिदान कर सकता है, **बशर्ते कि** उसके द्वारा अभिदान किये गये नये शेयरों का अनुपात उस अनुपात से अधिक न हो जो ऐसा अभिदान करते समय कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी की तुलना में ऐसे अभिदान से तत्काल पहले उसके द्वारा धारित शेयरों पर प्रदत्त राशि से संबंधित है।
11. जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा और जमा प्रमाणपत्र में निवेश को वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में अनावरण के रूप में माना जाएगा (एनआईसी वर्गीकरण - 2008 के खंड ट के अनुसार)। प्रवर्तक समूह के अंतर्गत आने वाली वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमा (एफडी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) सहित जमा राशियों में कोई निवेश नहीं किया जाएगा। एफडी में निवेश जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में नियंत्रित निधि के 3% अथवा संबंधित निधि के परिमाण के 5% [एसएफआईएन स्तर पर पेंशन और सामान्य पेंशन निधि और यूनिट सहबद्ध निधि(याँ)], जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में विनियम 2 (i)(2) के अनुसार निवेश आस्तियों के 15% से अधिक नहीं होगा।
- टिप्पणी:** बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत आने वाले बैंकों के पास एफडी सहित, इस विनियम के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार से यथा अनुमत एसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित अनुप्रयोग) के रूप में रखी गई सावधि जमा राशियों को ऊपर उल्लेखित संगणना की सीमाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रवर्तक समूह के अंतर्गत बैंकों की सावधि जमा राशियाँ (एफडी) जो एसबीए की अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए निश्चित की गई हों, प्रवर्तक समूह को अनावरण का भाग बनेंगी।
12. बीमाकर्ता उपर्युक्त विनियम 9 में निर्धारित अनावरण से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों अथवा डिबेंचरों में नियंत्रित निधि / आस्तियों से निवेश नहीं करेगा अथवा निवेशित रूप में नहीं रखेगा, **बशर्ते कि** बीमा / पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाली एक सहायक कंपनी बनाने के उद्देश्य से एक कंपनी के रूप में बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ किये गये किसी भी निवेश पर इस विनियम में निहित कोई बात लागू नहीं होगी।
13. आवासीय वित्त कंपनियों में, निवेश करने वाली कंपनी ऋण अनावरण, जिसका मूल्यांकन न्यूनतम एए+ हो, प्रदत्त शेयर पूँजी का 20% होगी, मुक्त आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त) तथा डिबेंचर / बॉण्ड (सीपीयों सहित) अथवा विनियम 9 (ख) (i) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो। यहाँ निर्दिष्ट 20% की सीमा को बीमाकर्ताओं की समिति के पूर्व अनुमोदन से आगे अतिरिक्त 5% तक बढ़ाया जा सकता है। समूह, प्रवर्तक समूह पर प्रयोज्य सभी अनावरण प्रतिमान आवासीय वित्त कंपनी के सभी निवेशों पर लागू होंगे।

10. बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ

प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियाँ (भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में) ऐसे समय के अंदर, ऐसे अंतरालों पर विधिवत् सत्यापित / प्रमाणित तौर पर उनके समक्ष निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत करेगा।

सं.	फार्म	विवरण	विवरणी की आवश्यकता	प्रस्तुति के लिए समय- सीमा	निम्नलिखित के द्वारा सत्यापित/ प्रमाणित
1	फार्म 1	निवेश और निवेश पर आय का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ (वित्त) का प्रमुख
2	फार्म 2 (भाग ए, बी, सी)	ग्रेड घटाये गये निवेशों का विवरण, रेटिंग प्राप्त लिखतों का ब्योरा	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ (वित्त) का प्रमुख
3	फार्म 3ए (भाग ए, बी, सी, डी, ई)	निवेश आस्तियों का विवरण (जीवन बीमाकर्ता)	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ (वित्त) का प्रमुख

4	फार्म 3बी (भाग ए,बी)	निवेश आस्तियों का विवरण (पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता)	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ (वित्त) का प्रमुख
5	फार्म 4 (भाग ए)	एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण और अन्य निवेश मानदंड – अनुपालन प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी, प्रमुख (निवेश), प्रमुख (वित्त), मुख्य जोखिम अधिकारी
6	फार्म 4 (भाग बी)	निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों पर आंतरिक/ समवर्ती लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र – कार्यान्वयन की स्थिति	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	इस विनियम के अधीन नियुक्त आंतरिक/ समवर्ती लेखापरीक्षक
7	फार्म 4ए (भाग ए,बी,सी,डी)	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश का विवरण – निवेशिती कंपनी, समूह, प्रवर्तक समूह, उद्योग क्षेत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ प्रमुख (वित्त)
8	फार्म 5	निवेश समाधान का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ प्रमुख (वित्त)
9	फार्म 6	धारा 27ए(5) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	अध्यक्ष, निदेशक 1, निदेशक 2, प्रधान अधिकारी
10	फार्म 7	अनर्जक आस्तियों का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी/ निवेश का प्रमुख/ प्रमुख (वित्त)

टिप्पणी:

- वर्तमान तिमाही की विवरणियों के साथ पिछली तिमाही की आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदन में 'बहुत गंभीर', 'गंभीर' बिन्दुओं पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों के साथ (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक/ समवर्ती लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार) तथा लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति प्राधिकरण के पास दाखिल की जाएगी।
- मार्च के साथ समाप्त तिमाही के लिए सभी विवरणियाँ अनंतिम आंकड़ों के आधार पर ऊपर निर्धारित अवधि के अंदर दाखिल की जाएगी तथा निदेशक बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण से 15 दिन के अंदर लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ इन्हें पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

11. अतिरिक्त सूचना माँगने की शक्ति

प्राधिकरण सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा बीमाकर्ताओं से ऐसी अन्य सूचना की अपेक्षा ऐसे तरीके से, ऐसे अंतरालों पर और ऐसी समय-सीमा के अंदर कर सकता है जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

12. निवेश संविभाग को प्रभावित करने वाली असाधारण घटनाओं की सूचना देने का कर्तव्य

प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी जानकारी में आने वाली ऐसी किसी भी घटना के प्रभाव अथवा संभावित प्रभाव की सूचना तत्काल प्राधिकरण को देगा, जिसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव निवेश संविभाग पर और परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों के लाभों और प्रत्याशाओं पर पड़ सकता है।

13. निवेश प्रबंध से संबंधित प्रावधान

क. निवेश समिति का गठन

- प्रत्येक बीमाकर्ता एक निवेश समिति का गठन करेगा जिसमें बीमाकर्ता के कम से कम दो गैर-कार्यकारी निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त का प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी, निवेश प्रभाग का प्रमुख, और नियुक्त बीमांकक होंगे।

बीमाकर्ता का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वित्त का प्रमुख, निवेश का प्रमुख और मुख्य जोखिम अधिकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों / दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट अर्हता संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। उक्त निवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय अभिलिखित किये जाएँगे तथा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

ख. निवेश नीति

1. प्रत्येक बीमाकर्ता एक निवेश नीति (आईपी) (यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय के मामले में निधि वार आईपी) बनायेगा और उसे अनुमोदन के लिए अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. प्रत्येक बीमाकर्ता अपने पास समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 1992 के अनुपालन में निवेश परिचालनों के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध भेदिया / अधिकारियों के वैयक्तिक व्यापार की रोकथाम करने के लिए एक आदर्श आचरण-संहिता रखेगा तथा उसे अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
3. निवेश नीति बनाते समय बोर्ड निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
 - (i) चलनिधि से संबंधित विषय; विवेकपूर्ण मानदंड, अनावरण सीमाएँ, प्रतिभूति व्यापार सहित हानि रोध सीमाएँ, सभी निवेश जोखिमों का प्रबंध, आस्ति-देयता असंतुलन का प्रबंध, निवेशों की आंतरिक अथवा समवर्ती लेखापरीक्षा की गुंजाइश, निवेश दलालों की पैनल बनाने और उनकी समीक्षा करने के मानदंड, निवेश सांख्यिकी और निवेश परिचालनों के सभी अन्य आंतरिक नियंत्रण, बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, उनके अधीन बनाये गये दिशानिर्देश और परिपत्र।
 - (ii) पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों पर ऐसी निधियों के संरक्षण, सुरक्षा और चलनिधि के साथ सुसंगत रूप में पर्याप्त प्रतिलाभ सुनिश्चित करना।
4. जीवन, पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित निवेश नीति का कार्यान्वयन निवेश समिति द्वारा किया जाएगा। बोर्ड तिमाही आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम की निधि-वार और प्रत्येक उत्पाद के संबंध में (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में दोनों सहभागी और लाभरहित) निगरानी की समीक्षा करेगी:

(क) जीवन बीमाकर्ता:

 - i. परिपक्वता की ओर अवधि 1 के अंत में योजनाबद्ध नये व्यवसाय मान बनाम वास्तविक आंकड़े
 - ii. पूर्वानुमानित व्यय बनाम वास्तविक आंकड़े
 - iii. पूर्वानुमानित उत्पाद वार निरंतरता / नवीकरण प्रीमियम प्रवाह बनाम वास्तविक आंकड़े
 - iv. दावे – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक आंकड़े
 - v. वास्तविक प्रतिफल बनाम पूर्वानुमानित प्रतिफल अथवा प्रतिलाभ
 - vi. कार्य योजना और अनुवर्तन की स्थिति

(ख) पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता (व्यवसाय की श्रेणी के स्तर पर):

 - i. पूर्वानुमानित प्रीमियम आय का सकल स्तर बनाम वास्तविक स्थिति, ऋणात्मक वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए कारणों सहित
 - ii. सकल अंकित प्रीमियम की कम उपलब्धि की स्थिति में योजनाबद्ध रूप में प्राप्त व्यवसाय को सुधारने के लिए उपाय

- iii. योजनाबद्ध जोखिम-अंकन परिणाम बनाम प्राप्त स्थिति, ऋणात्मक विचलनों के लिए कारणों सहित
 - iv. पूर्वानुमानित दावों का व्यय बनाम वास्तविक आंकड़े – हानि अनुपात में वृद्धि / कमी के लिए प्रमुख कारण तथा भविष्य के लिए आयोजित सुधारात्मक कदम
 - v. आयोजित अधिग्रहण लागत सहित व्यय बनाम वास्तविक आंकड़े – अनुमत सीमाओं से आधिक्य की स्थिति में ऐसे आधिक्य के लिए कारण, सीमाओं का पालन करने के लिए योजना सहित
 - vi. पूर्वानुमानित समग्र वृद्धिशील निवेश बनाम वास्तविक आंकड़े – योजनाबद्ध अनुवृद्धि से विचलन के लिए कारण और यदि प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो उसे सुधारने के लिए योजनाबद्ध कदम
5. बोर्ड निवेश नीति और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा छमाही आधार पर अथवा ऐसे अल्प अंतरालों पर, जैसा वह निर्णय करे, करेगा तथा निवेश नीति में ऐसा संशोधन करेगा जैसा कि आवश्यक हो ताकि पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण और इन विनियमों में निर्धारित निवेश के स्वरूप अथवा यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय के मामले में पॉलिसीधारकों के साथ किये गये करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में निर्धारित निवेश उपबंधों के अनुरूप उसे लाया जा सके।

ग. निवेश परिचालन

1. बीमाकर्ता की निधियों को सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा विनियम 4 से 8 के नीचे दिये गये नोट के अनुसार रेटिंग प्राप्त ईक्रेडिटी शेयरों, ईक्रेडिटी संबंधी लिखतों और कर्ज लिखतों में निवेश किया जाएगा और निरंतर निवेशित रखा जाएगा। बोर्ड पॉलिसीधारकों की निधियों की सुरक्षा और तरलता तथा उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निवेश समिति द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में 'अन्य निवेश' में निवेश करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगा।
2. निवेश कार्यो और परिचालनों के उचित आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 के अध्याय II, विनियम 7(3)(ख) के अंतर्गत अपेक्षित रूप में बीमाकर्ता स्पष्ट रूप से अग्र, मध्य और पश्च कार्यालय के कार्यो और परिचालनों को अलग करेगा (जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों के निवेश कार्यो की आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिया गया है) तथा प्रारंभिक, मध्य और पश्च कार्यालय निवेश कार्यो के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) नहीं किया जाएगा। साथ ही, निवेश प्रबंध के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर अनुप्रयोग का प्राथमिक डेटा सर्वर देश के अंदर ही रहेगा।
3. बीमाकर्ता का बोर्ड अपने निवेशों के लिए अभिरक्षक सेवा करने के लिए एक अभिरक्षक को नियुक्त करेगा, जो उसके प्रवर्तक 'समूह' के अंतर्गत कोई इकाई नहीं होगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा इसके लिए अनुमति नहीं दी गई हो।

घ. जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और उनकी समीक्षा

1. बोर्ड प्राधिकरण द्वारा अधिदेशात्मक बनाई गई निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया का कार्यान्वयन करेगा। उक्त कार्यान्वयन को समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये "बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणीकरण पर मार्गदर्शी नोट" में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार एक सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
2. निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा दो वित्तीय वर्षों में एक बार अथवा बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा निर्णीत रूप में इससे कम बारंबारता के साथ (इस प्रकार की दो लेखापरीक्षाओं के बीच अंतराल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए) एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की जाएगी तथा ऐसे सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र पहली तिमाही की विवरणियों के साथ प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।
3. निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया के कार्यान्वयन और समीक्षा को प्रमाणित करने के लिए सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये परिपत्र के अनुसार होगी।

ड. लेखापरीक्षा और प्रबंधन को सूचना देना

1. प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीए कंपनी अभिशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति की अध्यक्षता में बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति गठित करेगा, और ऐसा व्यक्ति निवेश समिति का अध्यक्ष नहीं होगा।
2. बीमाकर्ता इस विनियम के अंतर्गत जारी किये गये परिपत्र के अनुसार दोनों शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों की निधियों को समाविष्ट करते हुए निवेश लेनदेनों की लेखापरीक्षा आंतरिक अथवा समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा करवाएगा।
3. दोनों शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों के निवेशों को समाविष्ट करने वाली तिमाही आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये "बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट" के अनुसार होगी।
4. निवेश नीति का विवरण, निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्थिति अथवा उसकी समीक्षा, आंतरिक अथवा समवर्ती लेखापरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। लेखापरीक्षक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में कार्यान्वयन की स्थिति, समीक्षा तथा निवेश परिचालनों, प्रणालियों और प्रक्रिया पर उसके प्रभाव पर टिप्पणी देगा।
5. बीमाकर्ता का सांविधिक लेखापरीक्षक तिमाही आधार पर विनियम 13(ख)(4) (क,ख) के अनुपालन की पुष्टि करेगा तथा ऐसा पुष्टीकरण बीमाकर्ता द्वारा आवधिक निवेश विवरणियों के साथ दाखिल किया जाएगा।

च. निवेशों की श्रेणी

1. प्रत्येक बीमाकर्ता धारा 27ए के अंतर्गत यथापरिभाषित अपनी नियंत्रित निधि / समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27(2) के अंतर्गत यथापरिभाषित सभी आस्तियों का निवेश केवल प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध निवेशों की व्यापक श्रेणी के अंदर ही करेगा।

छ. अन्य

1. प्राधिकरण अपने द्वारा आवश्यक समझे गये रूप में तथा पॉलिसीधारकों के हित में बीमाकर्ता से समय-समय पर अतिरिक्त सूचना माँग सकता है और अपने द्वारा उपयुक्त समझे गये रूप में बीमाकर्ताओं को निर्देश जारी कर सकता है।

14. विविध

1. निवेशों का लेखांकन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम के अनुसार होगा तथा आस्तियों का मूल्यांकन समय-समय पर इन विनियमों के अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
2. प्राधिकरण का बोर्ड किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा या तो स्वयं ही या उसको प्रस्तुत किये गये आवेदन पर किसी बीमाकर्ता के लिए विनियम (4), (5), (6), (7), (8) और (9) की प्रयोज्यता में आशोधन अथवा परिवर्तन कर सकता है।

15. वित्तीय व्युत्पन्नियों (फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स) में लेन-देन

1. जीवन बीमा का व्यवसाय अथवा साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता वित्तीय व्युत्पन्नियों में लेन-देन केवल अनुमत सीमा तक और समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार ही कर सकता है।

16. निरसन और बचत

- (क) इन विनियमों का प्रारंभ होने की तारीख को तथा उस तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 अधिक्रमित होंगे।
- (ख) इन विनियमों का प्रारंभ होने से पहले की गई किसी बात अथवा किये जाने के लिए छोड़ी गई किसी भी बात के संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 द्वारा उसका नियंत्रित होना जारी रहेगा।

17. कठिनाइयाँ दूर करने की और स्पष्टीकरण की शक्ति:

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची I**जीवन बीमाकर्ता****(विनियम 4 से 7 तक देखें)****क. अनुमोदित निवेशों की सूची**

विनियम 3 (क) के अनुसार 'अनुमोदित निवेश' निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेंगे:

1. विनियम 3 (क)(1) के अंतर्गत उल्लेखित डिवेंचर उसमें उल्लेखित मानदंडों को तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के लिए अथवा तत्काल पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम पाँच वर्षों के लिए उसके द्वारा जारी किये गये ऐसे अथवा इसी प्रकार के डिवेंचरों के संबंध में पूरा करेंगे;
2. विनियम 3 (क)(3) के अंतर्गत उल्लेखित डिवेंचर उसमें उल्लेखित मानदंडों को तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के लिए अथवा तत्काल पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम पाँच वर्षों के लिए पूरा करेंगे;

ख. यूनिट सहबद्ध व्यवसाय आवेदन का प्रसंस्करण और एनएवी की घोषणा

प्रत्येक यूनिट सहबद्ध वियोजित निधि(यों), का अभिनिर्धारण उसकी (उनकी) वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएफआईएन) से किया जाएगा तथा वह प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

1. प्रीमियम भुगतान, अंतरण, मोचन, अभ्यर्पण, परिपक्वता दावा आदि के लिए प्राप्त सभी आवेदन समय-अंकित और दिनांकित होने चाहिए।
2. "प्रीमियम भुगतान" के लिए आवेदन
 1. स्थानीय चेकों, नकदी अथवा प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) के साथ कारोबार के दिन में निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) से पहले प्राप्त आवेदनों के लिए लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) उसी दिन का अंतिम एनएवी होगा।
 2. स्थानीय चेकों, नकदी अथवा प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय माँग ड्राफ्ट के साथ कारोबार के दिन में निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) कारोबार के अगले दिन का अंतिम एनएवी होगा।
 3. बाहरी चेक अथवा माँग ड्राफ्ट के साथ प्राप्त प्रीमियमों के लिए, जिस दिन को चेक / माँग ड्राफ्ट की वसूली होती है, उस दिन का अंतिम एनएवी लागू होगा।

3. प्रीमियम भुगतान "को छोड़कर अन्य" के लिए आवेदन

1. कारोबार के दिन में निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) से पहले प्राप्त

आवेदनों के लिए लागू एनएवी उसी दिन का अंतिम एनएवी होगा।

2. कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी कारोबार के अगले दिन का अंतिम एनएवी होगा।

4. दैनिक प्रकटीकरण / उत्पाद का समाधान और निधि संबंधी सूचना

क. यूनिट सहबद्ध व्यवसाय करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता फार्म डी 01 के अनुसार दैनिक आधार पर एक एकल विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के अंतर्गत धारित, निधि प्रबंध प्रभागों को घटाकर सभी वियोजित निधि(यों) (वियोजित निधि पहचान संख्या – एसएफआईएन) के मूल्य के साथ प्रत्येक उत्पाद (विशिष्ट पहचान संख्या – यूआईएन) के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम (अदा किये गये प्रभागों और लाभों को घटाकर) का प्रणाली के माध्यम से समाधान करेगा।

ख. बीमाकर्ता एक पोर्टल के माध्यम से पॉलिसीधारक को एक सुरक्षित लाग-इन द्वारा (i) फार्म डी 02 के अनुसार उसके द्वारा धारित पॉलिसी-वार यूनिटों का मूल्य और (ii) निधि वार एनएवी (एसएफआईएन वार) उसी दिन दोनों बीमाकर्ता की वेबसाइट और जीवन परिषद की वेबसाइट पर जानने के लिए समर्थ बनाएगा।

प्रकटीकरण प्रारूप

सं.	प्रारूप	विवरण	आवृत्ति
01	फार्म डी01	यूलिप संविभाग का दैनिक समाधान	दिन की समाप्ति पर (प्राधिकरण के पास दाखिल नहीं करना होगा)
02	फार्म डी02	उत्पाद मूल्य का विवरण	वैयक्तिक पॉलिसीधारक को सुरक्षित लाग-इन द्वारा समर्थ बनाना
03		संविभाग प्रकटीकरण	मासिक आधार पर, जारी किये गये दिशानिर्देशों/परिपत्र के अनुसार न्यूनतम सूचना

ग. आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षक तिमाही आधार पर यूआईएन-वार समाधान (जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु 'क' में है) को सँभालने के लिए स्वचालित प्रणाली और प्रक्रिया तथा पॉलिसीधारक द्वारा धारित पॉलिसी-वार यूनिटों का मूल्य और निधि-वार एनएवी की सूचना प्रस्तुत करेगा।

5. वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबार के दिन प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी

क. वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबार के दिन अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त आवेदनों के लिए पिछले कारोबार के दिन के एनएवी के साथ प्रसंस्करण किया जाएगा (इस बात का विचार किये बिना कि भुगतान लिखत स्थानीय है अथवा बाहरी)।

ख. अंतिम कारोबार के दिन अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, वे

अगले वित्तीय वर्ष में आएँगे तथा उनके संबंध में तत्काल अगले कारोबार के दिन का एनएवी लागू होगा।

ग. बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबार के दिन के लिए एनएवी घोषित करेगा, भले ही वह कारोबार का दिन न हो।

6. यूनिटों के आबंटन के लिए, लागू एनएवी नई पॉलिसी संविदाओं के लिए पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख और नवीकरणों के लिए प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख के अनुसार होगा।

क. एक नई पॉलिसी संविदा को यूनिटों के आबंटन के लिए एनएवी, पॉलिसी संविदा के प्रारंभ की तारीख के अनुसार लागू होगा। ऐसी स्थिति में प्रीमियम पॉलिसी संविदा के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले प्राप्त करना होगा।

ख. मौजूदा पॉलिसी संविदा के नवीकरणों के लिए एनएवी नवीकरण की तारीख के अनुसार लागू होगा, जहाँ प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख नियत तारीख को या उससे पहले हो तथा जहाँ प्रीमियम नवीकरण की नियत तारीख के बाद प्राप्त किया गया हो वहाँ प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख के अनुसार होगा।

ग. पुनःप्रवर्तनों के लिए, यूनिटों के आबंटन के माध्यम से एनएवी लागू करने के लिए पुनःप्रवर्तन की तारीख संदर्भ तारीख होगी।

घ. 'फाइल एण्ड यूज' के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित नियमित भुगतान कार्यक्रम के अतिरिक्त, प्रीमियम के भुगतान के लिए टॉप-अप या किसी अन्य व्यवस्था जैसे कारणों के लिए प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख के विषय में एनएवी लागू करने के लिए आवेदन संदर्भ तारीख होगी।

7. बीमाकर्ता की पॉलिसी प्रबंध प्रणाली (पीएस) 'स्वचालित' होगी ताकि विशिष्ट यूलिप निधि, जिससे वह संबंधित है, की सूचना के साथ बंद पॉलिसियों की सूचना का 'पॉलिसी-वार' पता लगाया जा सके।

8. वियोजित निधि के लिए आस्ति आबंटन और एकसपोज़र मानदंड या तो उसके प्रारंभ से लेकर पहले छह महीने के लिए अथवा जब वियोजित निधि पहली बार 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँचती है तब तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे। छठवें महीने की समाप्ति के बाद प्रत्येक ऐसी वियोजित निधि विनियम 9 के अंतर्गत सभी एकसपोज़र मानदंडों का पालन करेगी। जहाँ कोई वियोजित निधि 5 करोड़ रुपये से नीचे की स्थिति पर पहुँचती है, वहाँ बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को सूचित करने के बाद उन्हीं अथवा उससे कम निधि प्रबंध प्रभागों के साथ उसी प्रकार के निधि-उद्देश्य / जोखिम प्रोफाइल से युक्त किसी अन्य निधि में मुक्त अंतरण की व्यवस्था कर सकता है।

9. जहाँ किसी वियोजित निधि (यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत बंद पॉलिसी निधि को छोड़कर) का निवेश पारस्परिक निधि, विनिमय व्यापारित निधि (सीपीएसई ईटीएफ को छोड़कर) अथवा बैंक सावधि जमा राशि (निवेश करते समय कम से कम 91 दिन की अवधि के लिए) किया जाता है, वहाँ उसमें निवेश की गई निधियों का मूल्य, निधि प्रबंध प्रभारों (एफएमसी) की संगणना के लिए कम किया जाएगा। यह व्यवस्था वियोजित निधि प्रारंभ करने की तारीख से पहले छह महीने के लिए अथवा जब वियोजित निधि पहली बार 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँचती है तब तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होगी।

10. बंद पॉलिसी निधि के मामले में, खजाना बिलों में निवेश को केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

11. सभी बीमाकर्ता निम्नलिखित के अनुपालन के लिए आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षक

द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र दाखिल करेंगे।

क. तिमाही आधार पर, प्रत्येक वियोजित निधि के स्तर पर सभी अनावरण मानदंडों का अनुपालन।

ख. तिमाही आधार पर, इस आशय का कि पारस्परिक निधि, विनिमय व्यापारित निधि अथवा बैंक सावधि जमा राशि (कम से कम 91 दिन की अवधि के लिए) में निवेशित निधियों का मूल्य एफएमसी परिकलन के लिए कम किया गया था।

ग. अंतिम कारोबार के दिन प्राप्त किये गये आवेदनों के लिए लागू एनएवी के संबंध में उपर्युक्त बिन्दु 5 पर जारी किया गया प्रत्येक निदेश।

घ. सांविधिक लेखापरीक्षक भी वार्षिक लेखों में उपर्युक्त बिन्दु 'ग' की पुष्टि करेंगे।

टिप्पणी:

1. 'कारोबार का दिन' से छुट्टियों को छोड़कर अन्य दिन जहाँ राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों से युक्त शेयर बाजार (मुहूरत व्यापार दिन को छोड़कर) व्यापार के लिए खुले रहते हैं (उस दिन को छोड़कर जब शेयर बाजार जाँच के लिए खुले रहते हैं) अथवा कारोबार के दिन के रूप में प्राधिकरण द्वारा घोषित कोई भी दिन अभिप्रेत है।
2. बीमाकर्ता केवल ऐसे ही निवेशों में निवेश करेगा जिनके लिए दैनंदिन मूल्यांकन उपलब्ध हों तथा तत्काल वसूली योग्य हों। ऐसी किसी निधि अथवा निधियों में कोई निवेश नहीं किया जाएगा जिसके/ जिनके लिए दैनंदिन आधार पर एनएवी उपलब्ध न हो।

ग. निधि प्रबंधन

1. बीमाकर्ता (क) जीवन निधि, (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधियों के मामले में सहभागी और लाभरहित निधियों के लिए पता लगाई जा सकने वाली प्रतिभूतियों के साथ अलग उप-अभिरक्षा खाता रखेगा।

2. प्रत्येक बीमाकर्ता के पास 10000 करोड़ रुपये के अंदर निधि आकार (शेयरधारक और पॉलिसीधारक निधियों को एक साथ लेते हुए दोनों के लिए) तक कर्ज और ईक्विटी के लिए एक अलग निधि प्रबंधक होगा। जब निधि का परिमाण पहली बार 10000 करोड़ रुपये हो, तब प्रत्येक निधि [(क) जीवन निधि (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि (ग) यूनिट सहबद्ध वियोजित निधि(याँ)] के लिए एक पहचान योग्य निधि प्रबंधक होगा। कोई भी निधि प्रबंधक (क) जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि और (ख) यूनिट सहबद्ध निधि(याँ) के बीच एक ही व्यक्ति नहीं होगा।

अनुसूची II

पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता

(विनियम 8 देखें)

क. अनुमोदित निवेशों की सूची

विनियम 3 (क) के अनुसार 'अनुमोदित निवेश' निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेंगे:

1. विनियम 3(क)(1) के अंतर्गत उल्लेखित डिबेंचर उसमें दिये गये मानदंडों को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए अथवा उसके द्वारा जारी किये गये ऐसे अथवा इसी प्रकार के डिबेंचरों पर तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए पूरा करेंगे;
2. विनियम 3 (क)(3) के अंतर्गत उल्लेखित डिबेंचर उसमें दिये गये मानदंडों को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए अथवा तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए पूरा करेंगे;

ख. पॉलिसीधारकों की निधियाँ

पॉलिसीधारकों की निधियाँ (1) उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये (आईबीएनआर) तथा उपगत परंतु पर्याप्त सूचित नहीं किये गये (आईबीएनईआर) सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता, (2) असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर), (3) आपात आरक्षित निधि, (4) प्रीमियम की कमी (5) अन्य आस्तियों को घटाकर अन्य देयताओं - की कुल राशि होंगी।

टिप्पणी: उपर्युक्त बिन्दु ख (5) में 'अन्य देयताएँ' में शामिल हैं - (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनाबंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष (iv) अन्य पक्षकार समूह के सदस्यों को देय राशि (आईएमटीपीआईपी), यदि लागू हो (v) विविध लेनदार (पॉलिसीधारकों को देय)।

उपर्युक्त बिन्दु ख(5) में 'अन्य आस्तियाँ' में शामिल हैं --(i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करने वाली अन्य संस्थाओं से प्राप्य राशि (iii) आतंकवाद संबंधी धनराशि में शेष (यदि लागू हो) (iv) मोटर अन्य पक्ष धनराशि यदि कोई हो (यदि लागू हो)

ग. शेयरधारकों की निधियाँ

शेयरधारकों की निधियों में, व्यवसाय में ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित निधियों के निवेशों द्वारा निरूपित, तुलन-पत्र की स्थिति के अनुसार शेयर पूँजी और (प्लस) सभी आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर) शामिल हैं।

घ. निवेश के स्वरूप की प्रयोज्यता

जहाँ बीमाकर्ता पॉलिसीधारकों के लिए और पॉलिसीधारकों की ओर से विनियम 2(i) के अनुसार सारी निवेश आस्तियों को धारण करता है, वहाँ निवेश का स्वरूप सारी निवेश आस्तियों (दोनों शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों की निधियों को एक साथ लेते हुए) पर लागू होगा तथा निवेश आस्तियों का अनुरक्षण एक एकल अभिरक्षा खाते में किया जा सकता है।

ड. विविध

विनियम 8 के अनुसार आवास और बुनियादी संरचना में अधिदेशात्मक न्यूनतम निवेश स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/200(166)]

फार्म - 1

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

निधि का नाम

विवरण की स्थिति की तारीख:

निवेश और निवेश पर आय का विवरण

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही

करोड़ रुपये

सं.	निवेश की श्रेणी	श्रेणी कूट	वर्तमान तिमाही				अद्यावधि तक (इयर टू डेट) (चालू वर्ष)				अद्यावधि तक (इयर टू डेट) (पिछला वर्ष) ³			
			निवेश (रुपये) ¹	निवेश पर आय (रुपये)	सकल प्रतिफल(%) ¹	निवल प्रतिफल(%) ²	निवेश (रुपये) ¹	निवेश पर आय (रुपये)	सकल प्रतिफल (%) ¹	निवल प्रतिफल (%) ²	निवेश (रुपये) ¹	निवेश पर आय (रुपये)	सकल प्रतिफल (%) ¹	निवल प्रतिफल (%) ²

कुल

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है अथवा गुप्त नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक:

पूरा नाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी: निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी

- 1 निवेशों के दैनिक साधारण औसत पर आधारित
- 2 प्रतिफल कर के लिए समायोजित
- 3 पिछले वर्ष के स्तंभ में, तदनुसूची वर्ष के आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की तारीख तक दर्शाये जाएँगे
- 4 फार्म-1 प्रत्येक निधि के लिए तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 1 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
- 5 वाईटीडी निवेश पर आय का समाधान पी एण्ड एल और राजस्व खाते में स्थित आंकड़ों के साथ किया जाएगा।

फार्म - 2

भाग - क

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

ग्रेड कम किये गये निवेशों का विवरण

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही

निधि का नाम

करोड़ रुपये

सं.	प्रतिभूति का नाम	सीओआई	राशि	खरीदने की तारीख	रेटिंग एजेंसी	मूल ग्रेड	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड घटाने की पिछली तारीख	टिप्पणी
क.	<u>तिमाही के दौरान'</u>								
B.	<u>आज की तारीख को</u>								

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर

दिनांक:

पूरा नाम और पदनाम
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- 1 तिमाही के दौरान ग्रेड कम किये गये निवेशों का विवरण प्रस्तुत करें।
- 2 वर्तमान में ग्रेड बढ़ाये गये, पिछली तिमाही में ग्रेड घटाये गये रूप में सूचीबद्ध निवेश संचयी सूचीबद्धता से हटाये जाएँगे।
- 3 फार्म-2 प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 2 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
- 4 निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(4) निवेश संपत्ति - अचल																				
(5) म्युचुअल फंड																				
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																				

निवेश आस्तियाँ

करोड़ रु.

कर्ज लिखतों में निवेश	अंकित मूल्य (जीवन, पेंशन निधि और साधारण बीमाकर्ता)	बाजार मूल्य (यूलिप निधियों के लिये)	%
राष्ट्रिक (सावरिन) लिखतों में निवेश			
अनुमोदित निवेश			
एएए			
एए+ से एए या समकक्ष तक			
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश			
अन्य निवेश			
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष			
रेटिंग रहित, ऋण, अन्य - अन्य निवेश			

कुल कर्ज निवेश (स्तंभ [क] से [छ] तक)

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी मे सम्मिलित विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- 1 स्तंभ (i) में दिये गये आंकड़े अवश्य फार्म 3ए (भाग क) / फार्म 3बी के साथ मेल खाने चाहिए (प्रत्येक प्रकार के निवेश के लिए)
- 2 अनर्जक निवेश आस्तियाँ रेटिंग का विचार किये बिना अलग से दर्शाई जाएँगी।
- 3 संबद्ध व्यवसाय के लिए निवेशों के मूल्य बाजार मूल्य पर होंगे
- 4 ईक्रेटी समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के अंतर्गत अनुमत रूप में होगी
- 5 फार्म - 2 (भाग ख) प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 2 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।

फार्म - 2

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

भाग - ग

पंजीकरण संख्या:

निवेश आस्तियाँ और बुनियादी संरचनागत निवेश - रेटिंग रूपरेखा

निधि का नाम

खंड - 1

निवेश आस्तियाँ	करोड़ रुपये	निवेश आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ + अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
कुल (1)		
अनुमोदित निवेश		
एएए अथवा एए या समकक्ष तक		
ईक्विटी - अनुमोदित निवेश		
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश		
कुल (2)		
अन्य निवेश		
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष		
ईक्विटी - अन्य निवेश		
रेटिंग रहित, अनर्जक आस्तियाँ, ऋण, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (3)		
कुल निधि (1+2+3)		
खंड - 2		
बुनियादी संरचना निवेश		
अनुमोदित निवेश		
एएए अथवा एए या समकक्ष तक		
ईक्विटी - अनुमोदित		
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश		
कुल (i)		
अन्य निवेश		
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष		
ईक्विटी - अन्य निवेश		
ऋण, अनर्जक आस्तियाँ, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (ii)		
कुल बुनियादी संरचनागत निवेश (I + ii)		

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में सम्मिलित विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षर _____

पूरा नाम: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

टिप्पणी:

- स्तंभ (i) में दिये गये आंकड़े अवश्य फार्म 3ए (भाग क) / फार्म बी के साथ (निवेश के प्रत्येक प्रकार के लिए) मेल खाने चाहिए।
- फार्म-2 (भाग ग) जीवन निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा।

फार्म - 3ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

भाग - क

विवरण की स्थिति की तारीख:

निवेश आस्तियों का विवरण (जीवन बीमाकर्ता)

(भारत के अंदर व्यवसाय)

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही

खंड।

सं.	विवरण	अनुसूची	राशि
1	निवेश (शेयरधारक)	8	
	निवेश (पॉलिसीधारक)	8क	
	निवेश (संबद्ध देयताएँ)	8ख	
2	ऋण	9	
3	अचल आस्तियाँ	10	
4	चालू आस्तियाँ		
	क. नकदी और बैंक शेष	11	
	ख. अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12	
5	चालू देयताएँ	13	
	क. चालू देयताएँ		
	ख. प्रावधान	14	
	ग. विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
	घ. लाभ और हानि लेखे का नाम शेष		

निवेश आस्तियों का समाधान

कुल निवेश आस्तियाँ (तुलन-पत्र के अनुसार)

निम्नलिखित का तुलन-पत्र मूल्य:

क. जीवन निधि

ख. पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय

ग. यूनिट सहबद्ध निधियाँ

करोड़ रुपये

0

तुलन-पत्र के अनुसार निधियों का उपयोग (क) 0

	घटाएँ : अन्य आस्तियाँ	अनुसूची	राशि
1	ऋण (यदि कोई हों)	9	
2	अचल आस्तियाँ (यदि कोई हों)	10	
3	नकदी और बैंक शेष (यदि कोई हों)	11	
4	अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (यदि कोई हों)	12	
5	चालू देयताएँ	13	
6	प्रावधान	14	
7	विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
8	भारत के बाहर धारित निवेश		
9	लाभ और हानि लेखे का नाम शेष		

कुल (ख) 0

निवेश आस्तियाँ (क-ख) 0

खंड II

असंबद्ध व्यवसाय

क. जीवन निधि	विनियम के अनुसार %	एसएच		पीएच		बही मूल्य (एसएच+पीएच)	वास्तविक %	एफवीसी राशि	कुल निधि	बाजार मूल्य	
		शेष	एफआर एसएम+	यूएल और यूनिट रिज़	सह भागी						लाभ रहित
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)						(ङ)
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 25%									
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	कम से कम 50%									
3	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश										
	क. बुनियादी संरचना/ सामाजिक/ आवास क्षेत्र	कम से कम 15%									
	1. अनुमोदित निवेश										
	2. अन्य निवेश										
	ख. i) अनुमोदित निवेश	35% से अनधिक									
	ii) अन्य निवेश										
कुल जीवन निधि		100%									

कुल जीवन निधि 100%

ख. पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय	विनियम के अनुसार %	पीएच		बही मूल्य	वास्तविक %	एफ वीसी राशि	कुल निधि	बाजार मूल्य
		सह भागी	लाभ रहित					
		(क)	(ख)					
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 20%						
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	कम से कम 40%						
3	अनुमोदित निवेश में शेष	60% से अनधिक						
कुल पेंशन, सामान्य वार्षिकी निधि		100%						

कुल पेंशन, सामान्य वार्षिकी निधि

100%

संबद्ध व्यवसाय

ग. संबद्ध निधियाँ	विनियम के अनुसार %	पीएच		कुल निधि	वास्तविक %
		सहभागी	लाभ रहित		
		(क)	(ख)		
1	अनुमोदित निवेश	75% से अन्यून			
2	अन्य निवेश	25% से अनधिक			
कुल संबद्ध बीमा निधि		100%			

कुल संबद्ध बीमा निधि

100%

बही शेष									
निवेशों की बिक्री के लिए प्राप्त									
अन्य चालू आस्तियाँ (निवेशों के लिए)									
घटाएँ: चालू देयताएँ									
निवेशों के लिए देय									
देय निधि प्रबंध प्रभार									
अन्य चालू देयताएँ (निवेशों के लिए)									

उप जोड़ (ख)

अन्य निवेश (<=25%)									
निगमित बांड									
बुनियादी संरचना बांड									
ईक्यूिटी									
म्युचुअल फंड									
अन्य									

उप जोड़ (ग)

कुल (क + ख + ग)

आगे ले जाई गई निधि (एलबी2 के अनुसार)

हस्ताक्षर:

पूरा नाम: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक:

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सभी वियोजित यूनिट-निधियों के कुल योग का समाधान दोनों सहभागी और लाभरहित व्यवसाय के लिए फार्म 3ए (भाग क) की मद ग के साथ होना चाहिए।
2. फार्म एलबी 2 की मद सं. 12 का विवरण जो आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट) विनियम, 2000 का भाग बनता है, का समाधान फार्म 3ए (भाग ख) के साथ किया जाएगा।
3. अन्य निवेश' धारा 27ए(2) के अंतर्गत अनुमत रूप में हैं

फार्म - 3ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

भाग - ग

फार्म 3ए (भाग ख) के साथ संबद्ध करें

विवरण की संबंधित अवधि:

प्रस्तुति की आवश्यकता: तिमाही

वियोजित निधियों के एनएवी का विवरण

करोड़ रुपये

सं.	निधि का नाम	एसएफआईएन	प्रारंभ का दिनांक	सहभागी/शैर-सहभागी	उपर्युक्त दिनांक को प्रबंध के अंतर्गत आस्तियाँ	एलबी 2 के अनुसार एनएवी	उपर्युक्त दिनांक को एनएवी	पिछली तिमाही का एनएवी	दूसरी पिछली तिमाही का एनएवी	तीसरी पिछली तिमाही का एनएवी	चौथी पिछली तिमाही का एनएवी	प्रतिलाभ/प्रतिफल	3 वषीय आवर्ती सीएजीआर	प्रारंभ के बाद उच्चतम एनएवी
1	वियोजित निधि 1													
2	वियोजित निधि 2													
3	वियोजित निधि एन													

कुल _____

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि सभी वियोजित निधियों के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करने के बाद बोर्ड द्वारा उसकी समीक्षा की गई है। यहाँ दी गई सारी सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात नहीं छिपाई गई है अथवा गुप्त रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- * एनएवी प्रकाशित एनएवी को सूचना देने की तारीख को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- एनएवी 4 दशमलव तक होना चाहिए।

फार्म - 3ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

भाग - घ

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

फार्म 3ए (भाग क) के साथ संबद्ध करें

विवरण की स्थिति की तारीख:

निधियों में वृद्धि का विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय)

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष	कुल का % (क)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल वृद्धि में से %	कुल	कुल का % (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
क	जीवन निधि							
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 25%						
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	कम से कम 50%						
3	अनावरण मानदंडों के अधीन निवेश							
	क. आवास और बुनियादी संरचना	कम से कम 15%						
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. (i) अनुमोदित निवेश	35% से अनधिक						
	(ii) अन्य निवेश (15% से अधिक न हों)							

कुल (क)

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष	कुल का % (ख)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल वृद्धि का %	कुल	कुल का % (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
ख	पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय							
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 20%						

2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	कम से कम 40%						
3	अनुमोदित निवेश में शेष	60% से अनधिक						

कुल (ख)

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष	कुल का % (ग)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल वृद्धि का %	कुल	कुल का % (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
ग	संबद्ध निधियाँ							
1	अनुमोदित निवेश	कम से कम 75%						
2	अन्य निवेश	25% से अनधिक						

कुल (ग) 100%**प्रमाणीकरण**

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फार्म - 3ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

भाग - ड

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

वियोजित निधियों में यूलिप उत्पादों के निवेश का विस्तृत विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय)

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

वियोजित निधियों [एसएफआईएन] में "यूलिप" उत्पादों [यूआईएन] के निवेश का विस्तृत विवरण

अंतर्वाह	यूआईएन1	यूआईएन2	यूआईएन एन	'एन' में से कुल यूआईएन '1'
प्रीमियम				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
कुल (क)				
बहिर्वाह				
कमीशन				

प्रभार				
दावे				
अन्य				
कुल (ख)				
कुल ग = (क-ख)				
उपर्युक्त "ग" पर पॉलिसी निधियाँ निम्नलिखित को आबंटित				
एसएफआईएन 1				
एसएफआईएन 2				
एसएफआईएन एन				
कुल (घ)				
अंतर (यदि कोई हो) ड = (ग-घ)				

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात नहीं छिपाई गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

to the best of my knowledge and belief.

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. यूआईएन यूलिप उत्पादों के अंतर्गत अनुमोदित "फाइल एण्ड यूज़" के अनुसार विशिष्ट उत्पाद संख्या को निरूपित करती है।
2. एसएफआईएन उत्पाद अनुमोदन समिति द्वारा यथा अनुमोदित वियोजित निधि पहचान संख्या को निरूपित करती है।

फार्म - 3बी

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख

निवेश आस्तियों का विवरण (पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता)

(भारत के अंदर व्यवसाय)

प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही

खंड।

भाग - क

करोड़ रुपये

सं.	विवरण	अनुसूची ++	राशि
1	निवेश	8	
2	ऋण	9	
3	अचल आस्तियाँ	10	
4	चालू आस्तियाँ		
	क. नकदी और बैंक शेष	11	
	ख. अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12	

5	चालू देयताएँ	13	
	क. चालू देयताएँ		
	ख. प्रावधान	14	
	ग. विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
	घ. लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		

तुलन-पत्र के अनुसार निधियों का उपयोग (क) 0

	घटाएँ: अन्य आस्तियाँ	अनुसूची ++	राशि
1	ऋण (यदि कोई हों)	9	
2	अचल आस्तियाँ (यदि कोई हों)	10	
3	नकदी और बैंक शेष (यदि कोई हों)	11	
4	अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (यदि कोई हों)	12	
5	चालू देयताएँ	13	
6	प्रावधान	14	
7	विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
8	भारत के बाहर धारित निवेश		
9	लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		

कुल (ख) कुल (ख) 0

फार्म 3बी के अनुसार 'निवेश आस्तियाँ' (क-ख) 0

खंड II

सं.	'निवेश' निम्न रूप में निरूपित	विनियम %	एसएच		पीएच	बही मूल्य (एसएच + पीएच)	% वास्तविक	एफवी सी राशि	कुल	बाजार मूल्य (ज)
			शेष	एफआरएस एम*						
			(क)	(ख)	(ग)	घ = (क+ख+ग)	ड = (घ-क) %	(च)	(छ)=(घ+च)	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	कम से कम 20%								
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	कम से कम 30%								
3	अनावरण मानदंडों के अधीन निवेश									
	क. आवास और एफईई के लिए एसजी को आवास / बुनियादी संरचना और ऋण	कम से कम 15%								
	1. अनुमोदित निवेश									
	2. अन्य निवेश									
	ख. अनुमोदित निवेश	55% से								
	ग. अन्य निवेश	अनधिक								
		निवेश आस्तियाँ	100%							

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:**हस्ताक्षर:****पूरा नाम:****प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता****टिप्पणी:**

1. (+) एफआरएसएम 'ऋण शोधन क्षमता सीमा को निरूपित करने वाली निधियों' को द्योतित करता है।
2. 'अन्य निवेश' 27वीं(3) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त रूप में हैं।
3. निवेश का स्वरूप दोनों ऋण शोधन क्षमता सीमा को निरूपित करने वाली शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों पर लागू है।
4. एक्सपोजर मानदंड ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित निधियों पर लागू होंगे।
5. अनुसूची(++) आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम के अनुसार तैयार किये गये तुलन-पत्र की अनुसूचियों का द्योतन करती है।

फार्म - 3बी**(विनियम 10 के साथ पढ़ें)**

बीमाकर्ता का नाम:

भाग - ख

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

आस्तियों की वृद्धि का विवरण

करोड़ रुपये

(भारत के अंदर व्यवसाय)

प्रस्तुति की आवश्यकता: तिमाही

सं.	निवेशों की श्रेणी	सीओ आई	प्रारंभिक शेष	प्रारंभिक शेष का %	तिमाही के लिए निवल वृद्धि	कुल उपन्चय का %	कुल	कुल का %
			(क)		(ख)		(क+ख)	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)							
3	अनावरण मानदंडों के अधीन निवेश							
	क. आवास और एफएफई के लिए एसजी को आवास और ऋण							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. बुनियादी संरचना निवेश							
	1. अनुमोदित निवेश							

2. अन्य निवेश								
ग. अनुमोदित निवेश								
घ. अन्य निवेश (15% से अनधिक)								
कुल								

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. कुल (क+ख), निधि वार फार्म 3बी (भाग क) में दर्शाये गये आंकड़ों के साथ मेल खाना चाहिए।

फार्म 4

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण और अन्य निवेश मानदंड – अनुपालन प्रमाणपत्र

भाग क

बीमाकर्ता का नाम और कूट:

दिनांक:

खंड	मानदंड	विनियम के अनुसार अनावरण (एक्सपोज़र)/ अन्य मानदंड	क्या अपेक्षित मानदंडों का पालन किया गया है? (हाँ / नहीं)	टिप्पणी
क. "अनावरण" अनुपालन – सभी बीमाकर्ता				
I	निवेशिती कंपनी अनावरण	<p>I. ईक्विटी, अधिमानी शेयरों, संपरिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश:-</p> <p>अनावरण किसी भी समय जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में बकाया ईक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 10% अथवा इस विनियम के बिन्दु विनियम 9 (पृथक् रूप से माने गये क.1.(क) अथवा क.1.(ख) अथवा क.1.(ग) [वियोजित निधि स्तर पर] के अंतर्गत राशि के 10% से / पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में इस विनियम के विनियम 9 (क.2) या (क.3) या (क.4) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, के 10% से अधिक नहीं रहा।</p> <p>[बुनियादी संरचना कंपनी के मामले में 10% की सीमा को 20% पढ़ा जाएगा। जहाँ बीमाकर्ता की निवेश आस्तियाँ 250000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हैं, वहाँ 10% की सीमा को बकाया ईक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 15% के रूप में पढ़ा जाएगा।</p>		

	<p>अथवा जहाँ बीमाकर्ता की निवेश आस्तियाँ 50000 करोड़ रुपये से अधिक, परंतु 250,000 करोड़ रुपये से कम हों, वहाँ 10% की सीमा को बकाया ईक्विटी शेयरों (अंकित मूल्य) के 12% के रूप में पढ़ा जाएगा।</p> <p>टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, वियोजित निधि के लिए अनावरण मानदंड या तो उसके प्रारंभ की तारीख से लेकर प्रथम छह महीने के लिए अथवा पहली बार वियोजित निधि के 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँचने तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे।</p> <p>2. 'ईक्विटी', अधिमानी शेयरों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों को छोड़कर कर्ज/ ऋणों तथा अधिनियम / विनियम के अनुसार अनुमत किन्हीं अन्य निवेशों में निवेश:- अनावरण किसी भी समय जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा निवेशिती कंपनी के डिबेंचरों/ बांडों के 10% से अथवा इस विनियम के उपर्युक्त विन्दु विनियम 9 (पृथक् रूप से माने गये क.1.(क) अथवा क.1.(ख) अथवा क.1.(ग) [वियोजित निधि स्तर पर]) के अंतर्गत राशि के 10% से / पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में इस विनियम के विनियम 9 (क.2) या (क.3) या (क.4) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, के 10% से अधिक नहीं रहा।</p> <p>[बुनियादी संरचना कंपनी के मामले में, 10% की सीमा को 20% के रूप में पढ़ा जाएगा। जहाँ बीमाकर्ता की निवेश आस्तियाँ 250000 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक हैं, वहाँ 10% की सीमा को प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचर / बांडों के 15% के रूप में पढ़ा जाएगा अथवा जहाँ बीमाकर्ता की निवेश आस्तियाँ 50000 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 250,000 करोड़ रुपये से कम हैं, वहाँ 10% की सीमा को प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचर / बांडों के 12% के रूप में पढ़ा जाएगा।]</p> <p>टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, वियोजित निधि के लिए अनावरण मानदंड या तो उसके प्रारंभ की तारीख से लेकर प्रथम छह महीने के लिए या वियोजित निधि के 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँचने तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे।</p> <p>3. क्या सभी निवेश आस्तियों (ईक्विटी / अधिमानी शेयरों/ संपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ डिबेंचरों/ बांडों/ वाणिज्यिक पत्रों (सीपी)/ ऋणों तथा अधिनियम/ विनियम के अनुसार किन्हीं अन्य अनुमत कर्ज निवेशों) से एक एकल 'निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा के अंतर्गत अधिकतम एक्सपोजर विनियम 9(ख) में निर्धारित सीमा के अंदर है (बुनियादी संरचना कंपनी के मामले में 10% की सीमा को 20% के रूप में पढ़ा जाएगा)?</p> <p>4. क्या किसी अन्य संस्था की गारंटियों के आधार पर लिये गये अनावरण को "निवेशिती कंपनी" को अनावरण के भाग के रूप में माना गया है?</p> <p>5. क्या बुनियादी संरचना एसपीवी में किये गये कर्ज निवेशों ने विनियम 9 की टिप्पणी में उल्लिखित रूप में सीमाओं और शर्तों का पालन किया है?</p> <p>6. क्या सभी ऋणात्मक विचलन फार्म 4ए (भाग क) में सूचित किये गये हैं?</p>		
--	--	--	--

II	निवेशिती कंपनी के समूचे समूह के लिए सीमा	<p>क्या "निवेशिती कंपनी के समूचे समूह" में किये गये कुल निवेश निम्नलिखित से अनधिक हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में इस विनियम के विन्दु विनियम 9 (उपर्युक्त पृथक् रूप से माने गये क.1.(क) या क.1.(ख) या क.1.(ग) [वियोजित निधि स्तर पर] के अंतर्गत राशि का 15% / क्रमशः पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में इस विनियम के विनियम 9 (क.2) या (क.3) या (क.4) के अंतर्गत राशि <p>टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, वियोजित निधि के लिए अनावरण मानदंड या तो उसके प्रारंभ की तारीख से प्रथम छह महीने के लिए या पहली बार वियोजित निधि के 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँचने तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे।</p>		
III	प्रवर्तक समूह कंपनी	<p>क्या "बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों" में किये गये कुल निवेश:</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रवर्तकों के समूह से संबंधित सभी कंपनियों में उसकी निवेश आस्तियों (विनियम 2(i) में परिभाषित रूप में) के कुल योग में 5% से अधिक नहीं हैं। प्रवर्तकों के समूह से संबंधित किसी कंपनी में निजी स्थानन के रूप में निवेश नहीं किये गये हैं। विनियम 9 की टिप्पणी 12 के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा बनाई गई कंपनियों को छोड़कर सूचीबद्ध लिखतों [ईक्यूटी और कर्ज, जमा प्रमाणपत्र और किसी अनुसूचित बैंक में धारित सावधि जमाराशियाँ] में कोई निवेश नहीं किया गया है। 		
IV	उद्योग क्षेत्र	<p>क्या बीमाकर्ता द्वारा किसी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया गया है [राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक कार्यकलाप) - 2008] के अनुसार वित्तीय और बीमा कार्यकलाप क्षेत्र को छोड़कर :</p> <ol style="list-style-type: none"> बीमाकर्ता के मामले में इस विनियम के विनियम 9 (क.1.(क) या क.1.(ख) या क.1.(ग) [वियोजित निधि स्तर पर] पृथक् रूप से माने गये के अंतर्गत मानी गई राशि के 15% से अनधिक / पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में इस विनियम के विनियम 9 (क.2) अथवा (क.3) अथवा (क.4) के अंतर्गत राशि क्या बीमाकर्ता द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक कार्यकलाप) - 2008 के अनुसार वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में किया गया निवेश उसकी कुल निवेश आस्तियों के 25% से अधिक नहीं है? क्या बीमाकर्ता ने (क) आवास वित्तपोषण कंपनियों और (ख) बुनियादी संरचना वित्तपोषण कंपनियों में निवेशों को वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में एक्सपोजर के भाग के रूप में (एनआईसी वर्गीकरण - 2008 के खंड ट के अनुसार) माना है? <p>टिप्पणी: हुडको, एनएचवी के बांडों / डिबेंचरों तथा आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किये गये बांडों जो एएए से अन्यून मूल्यांकन से युक्त सार्वजनिक जमा स्वीकार करती हैं, में निवेश तथा बुनियादी संरचना क्षेत्र का भाग बनने वाली समर्पित बुनियादी संरचना वित्तपोषण संस्थाओं में कर्ज, ईक्यूटी में निवेश को उपर्युक्त उपबंध से छूट प्राप्त है</p>		

		<p>4. क्या "बुनियादी संरचना क्षेत्र" को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक कार्यकलाप) – 2008 [एनआईसी] की पद्धति से औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है।</p> <p>5. क्या बुनियादी संरचना क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए (एनआईसी (सभी आर्थिक कार्यकलाप) – 2008) वर्गीकरण के ए से आर तक विभाजन स्तर पर अनावरण का परिकलन किया गया है?</p> <p>6. क्या वित्तीय और बीमा कार्यकलापों के लिए (एनआईसी (सभी आर्थिक कार्यकलाप) – 2008 के) खंड स्तर पर अनावरण का परिकलन किया गया है?</p> <p>7. क्या एनआईसी (सभी आर्थिक कार्यकलाप – 2008) के खंड आर के बाद आने वाले किसी क्षेत्र में अनावरण किया गया है?</p> <p>टिप्पणी: जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, वियोजित निधि के लिए अनावरण मानदंड या तो उसके प्रारंभ की तारीख से प्रथम छह महीनों के लिए या वियोजित निधि के पहली बार 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँचने तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे।</p>		
V	मूल्यांकन मानदंड	<p>1. क्या 'अनुमोदित निवेशों' के अंतर्गत निवेश केवल मूल्यांकन प्राप्त लिखतों में ही किये गये हैं, यदि ऐसे लिखत मूल्यांकन दिये जाने के लिए सक्षम हैं?</p> <p>2. क्या खरीद के समय, एए (बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व-अनुमोदन से ए+) अथवा उससे नीचे की या उसकी समकक्ष मूल्यांकन प्राप्त तथा ए1 अथवा उसकी समकक्ष (अल्पावधि लिखतों के मामले में) मूल्यांकन प्राप्त कॉरपोरेट बांडों का वर्गीकरण "अन्य निवेशों" के अंतर्गत किया गया है?</p> <p>3. क्या लिखतों की अवनति समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 4 से 8 की टिप्पणी 4, 5 और 6 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन से नीचे कम किया गया है, स्वचालित प्रणाली के माध्यम से "अन्य निवेशों" के अंतर्गत उनका पुनः वर्गीकरण किया गया है?</p> <p>4. क्या जीवन बीमाकर्ता के मामले में 'कर्ज' लिखत (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) – निधि वार (वियोजित निधि स्तर पर यूलिप निधियों सहित) तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियाँ दीर्घावधि के लिए राष्ट्रिक (सावरिन) कर्ज कम से कम एएए अथवा समकक्ष मूल्यांकन तथा अल्पावधि लिखतों के लिए राष्ट्रिक, ए1+ अथवा समकक्ष मूल्यांकन से युक्त हैं, जो कम से कम 75% (जीवन बीमाकर्ता) / 65% (पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता) हैं?</p> <p>टिप्पणी: 'कर्ज' लिखतों में निवेश के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में 75% तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में 65% का परिकलन करने में (क) अंतर्निहित कॉरपोरेट बांड के</p>		

		<p>साथ प्रतिवर्ती (रिवर्स) रेपो (ख) बैंक सावधि जमा (ग) प्रवर्तक समूह म्युचुअल फंड (फंडों) और मूल्यांकन-रहित म्युचुअल फंडों में निवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>5. क्या जीवन बीमाकर्ता के मामले में 'कर्ज' लिखत (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित)- निधि वार, (वियोजित निधि स्तर पर यूलिप निधियों सहित) तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियाँ - दीर्घावधि के लिए ए अथवा उससे नीचे अथवा उसके समकक्ष मूल्यांकन से युक्त हैं, 5% (पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता के मामले में 8%) से अधिक नहीं हैं?</p> <p>6. क्या निजी स्थाननों (प्लेसमेंट्स) के माध्यम से किये गये सभी कर्ज निवेश कम से कम एए मूल्यांकन से युक्त हैं?</p>		
VI	अन्य	<p>1. 'स्वयं के उपयोग' के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रयुक्त कोई भी भवन 'निवेश आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत नहीं है तथा फार्म 3क (भाग क) / फार्म 3बी (भाग क) में व्युत्पन्न रूप में 'निवेश आस्तियों' का भाग नहीं है</p> <p>2. क्या बीमाकर्ता ने किसी सहायक अथवा सहयोगी कंपनी में कोई निवेश किया है? यदि उत्तर 'हाँ' है, तो फार्म 4ए (भाग ख) में विवरण दें</p> <p>i. क्या उपर्युक्त बिन्दु (2) में उल्लिखित सहायक / सहयोगी कंपनी बीमा अथवा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करती है?</p> <p>ii. क्या बीमाकर्ता की सहायक अथवा सहयोगी कंपनी (उपर्युक्त बिन्दु (i) में उल्लिखित) उसी पद्धति का बीमा व्यवसाय करती है जो बीमाकर्ता (धारक कंपनी) की है?</p> <p>3. जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में सावधि जमा (एफडी) में निवेश, नियंत्रित निधि के 1% अथवा संबंधित निधि के परिमाण [एसएफआईएन स्तर पर पेंशन और सामान्य वार्षिकी निधि और यूनिट सहबद्ध निधि(याँ)] के 5%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में विनियम 2(i)(2) के अनुसार निवेश आस्तियों से अधिक नहीं है</p> <p>4. क्या बीमाकर्ता ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कसौटी व प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र / दिशानिदेशों के अनुसार दलाल निवेश मानकों के मनोनयन/समीक्षा का अनुपालन किया है।</p>		
ख. "पुष्टीकरण" – सभी बीमाकर्ता				
VII	पुष्टीकरण	<p>क. नीति / प्रणालियाँ और प्रक्रिया संबंधी पुष्टीकरण</p> <p>1. क्या बीमाकर्ता ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27, 27ए, 27बी और 28 के उपबंधों का अनुपालन किया है</p> <p>2. क्या विनियम 9 (ख) के अंतर्गत व्यवस्थित 'निवेश आस्तियों' के विभिन्न स्तरों के अनुसार निवेशिती कंपनी, समूह, प्रवर्तक समूह और उद्योग क्षेत्र के अनावरण मानदंडों का परिकलन करने में निवेश परिचालनों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग को मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूर्णतः स्वचालित कर दिया गया है?</p> <p>3. क्या बीमाकर्ता की निवेश समिति का गठन निवेश विनियम के विनियम 13 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करता है?</p> <p>4. क्या अग्र/ मध्य/ पश्च के अंतर्गत आने वाले निवेश परिचालनों के संबंध में बीमाकर्ता के किसी भी कार्य (दोनों शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के</p>		

		<p>निवेशों को समाविष्ट करते हुए) का बाह्यस्रोतीकरण नहीं किया गया था (निवेश सूचना और एनएवी परिकलन के बाह्यस्रोतीकरण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मास्टर परिपत्र के अंतर्गत अनुमत सीमा को छोड़कर)?</p> <p>5. क्या लेखा-परीक्षा समिति एक ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में है जो आईआरडीए कंपनी अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार है?</p> <p>6. क्या लेखा-परीक्षा समिति और निवेश समिति दोनों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति तो नहीं है?</p> <p>7. क्या बीमाकर्ता के बोर्ड ने अपने निवेश परिचालनों के लिए अभिरक्षकीय सेवाएँ करने के लिए एक अभिरक्षक की नियुक्ति की है जो उसके प्रवर्तक 'समूह' के अंतर्गत एक इकाई नहीं है, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा अनुमति दी गई हो?</p> <p>8. क्या बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत सार्वजनिक सूचीबद्धता के लिए आवेदन दाखिल किया है?</p> <p>9. उपर्युक्त बिन्दु सं. 8 के लिए 'हाँ', तो क्या पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/ दिशानिर्देशों के अनुसार शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच अपनी निधियों का विभाजन किया था?</p> <p>10. क्या तिमाही के लिए दाखिल की जाने वाली आवधिक निवेश विवरणियाँ आईआरडीए द्वारा जारी किये गये "निवेश विवरणियों की तैयारी संबंधी मार्गदर्शी नोट" का पूर्णतः अनुपालन करते हुए तैयार की गई हैं?</p> <p>11. क्या निवेश नीति में सशोधन बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये हैं?</p> <p>12. क्या बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में प्रारंभिक, मध्य और पश्च कार्यालयों सहित, <u>निवेश परिचालनों में संबद्ध अधिकारियों के भेदिया / वैयक्तिक व्यापार की रोकथाम के लिए आदर्श आचरण-संहिता</u> (समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (भेदिया व्यापार) विनियम, 1992 के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार) लागू की गई है? यदि ऐसा है तो:</p> <p>क. क्या वह विभिन्न स्तरों पर निवेश परिचालनों में संबद्ध अधिकारियों को समाविष्ट करती है?</p> <p>ख. क्या उक्त आचरण-संहिता ऐसे स्तर पर प्रत्येक अधिकारी को समाविष्ट करती है?</p> <p>ग. क्या तिमाही के दौरान आदर्श आचरण-संहिता के अनुपालन या अन्यथा स्थिति की सूचना बोर्ड को दी गई है?</p> <p>घ. क्या समवर्ती लेखा-परीक्षक ने पिछली तिमाही की अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट बीमाकर्ता द्वारा लागू की गई आदर्श आचरण-संहिता के पहलुओं पर किसी टिप्पणी के बिना जारी की है?</p> <p>ङ. क्या पिछली तिमाही के दौरान सूचित किये गये आदर्श आचरण-संहिता के उल्लंघन, यदि कोई हो, को उचित रूप से निपटाया गया है और लेखा-परीक्षा समिति / बोर्ड द्वारा संस्तुत रूप में उपयुक्त कार्रवाई की गई है?</p> <p>13. क्या अग्र, मध्य और पश्च कार्यालयों का पृथक्करण - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार है?</p> <p>14. क्या निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों के कार्यान्वयन की 'स्थिति' पर जारी किये गये (आईसीएआई द्वारा बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार) सनदी लेखाकार के</p>		
--	--	--	--	--

		<p>प्रमाणपत्र में समस्त अनुपालन की सूचना दी गई है तथा प्रक्रिया का कार्यान्वयन आईआरडीए के प्रति प्रतिबद्ध समय-सीमाओं के अनुसार किया गया है?</p> <p>15. क्या पिछली तिमाही की आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट 'बहुत गंभीर', 'गंभीर' विषयों पर (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये, बीमा कंपनियों के आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों एवं लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ वर्तमान तिमाही के दौरान, कार्यसूची के एक भाग के रूप में बीमाकर्ता के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है?</p> <p>16. क्या पिछली तिमाही की लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति के साथ प्राधिकरण के पास इन विवरणियों के साथ दाखिल की गई है?</p> <p>17. क्या बीमाकर्ता ने ऋण शोधन क्षमता सीमा के परिकलन में अधिनियम के अन्य उपबंध के अधीन अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित निधियों को शामिल न करते हुए उन्हें अलग किया है?</p> <p>18. क्या ऋण शोधन क्षमता सीमा की अपेक्षा से अधिक धारित शेयरधारकों की निधियों में (एक अलग अभिरक्षा खाते में अनुरक्षित शेयरधारकों के निवेशों से आय को छोड़कर) तिमाही के दौरान वृद्धि नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित बीमांकक मूल्यांकन से समर्थित है? [इस विवरणी के साथ नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें]</p> <p>19. क्या बोर्ड ने पिछली तिमाही के दौरान (दोनों जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के संबंध में) उत्पादों के कार्यनिष्पादन [पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में व्यापार की पद्धति (लाइन) के स्तर पर] की समीक्षा की है?</p> <p>20. क्या बोर्ड ने पिछली तिमाही के दौरान (दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के संबंध में) निवेशों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है? [जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में इस समीक्षा के अंतर्गत एसएफआईएन स्तर पर दोनों संबद्ध और असंबद्ध निधियों को शामिल किया जाना चाहिए]</p> <p>21. क्या बीमाकर्ता ने निवेशों के कार्यनिष्पादन और उत्पादों के कार्यनिष्पादन के संबंध में (उपर्युक्त बिन्दु 15 और 16 पर) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सूचना, कार्यसूची के एक भाग के रूप में बोर्ड के समक्ष रखी है?</p> <p>22. क्या बीमाकर्ता ने निम्नलिखित को कार्यसूची के भाग के रूप में बोर्ड के समक्ष रखा है:</p> <p>क. "अन्य निवेश" के अंतर्गत आने वाली नियंत्रित निधि / आस्तियों में से किये गये सभी निवेश?</p> <p>ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं" में किये गये सभी निवेश, जो एए से कम मूल्यांकन से युक्त हैं और अनुमोदित निवेशों के रूप में वर्गीकृत हैं?</p> <p>ग. क्या अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के व्योरे के विश्लेषण का विवरण, उनकी समीक्षा, कार्यसूची का भाग हैं?</p> <p>23. क्या मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुमोदन बीमाकर्ता की निवेश समिति द्वारा किया गया है?</p> <p>24. क्या उक्त मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रत्येक 'निवेश की श्रेणी' के</p>		
--	--	--	--	--

		<p>लिए सभी निधि(यों) के संबंध में एक समान है?</p> <p>25. क्या बीमाकर्ता की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी), निवेश की "प्रत्येक" श्रेणी के लिए (प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार) प्रारंभिक, मध्य और पश्च कार्यालय में वैयक्तिक कार्यकलाप करने के लिए व्यवस्था करती है?</p> <p>26. क्या किये गये सभी निवेशों ने आईसी द्वारा अनुमोदित एसओपी का पालन किया है?</p> <p>27. क्या तिमाही के दौरान किये गये निवेश समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित संपूर्ण 'निवेशों की सूची' के अंदर हैं?</p> <p>28. क्या तिमाही के दौरान बीमाकर्ता ने ब्याज दर व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) अथवा ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप) में डेरिवेटिव स्थिति ली है? यदि हाँ:</p> <p>क. क्या डेरिवेटिव नीति का अनुमोदन बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा किया गया है?</p> <p>ख. क्या बीमाकर्ता ने (1) नीति संचालन प्रणाली, (2) लेखांकन प्रणाली और (3) निवेश प्रणाली के बीच एक पूर्णतः स्वचालित और समेकित प्रणाली लागू की है?</p> <p>ग. क्या बीमाकर्ता ने डेरिवेटिव्स में कोई एक्सपोजर करने से पहले "निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रमाणीकरण" के लिए नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास दाखिल किया है?</p> <p>घ. क्या समवर्ती लेखापरीक्षक ने उपर्युक्त बिन्दु (ग) के अनुपालन की पुष्टि बीमाकर्ता की लेखापरीक्षा समिति / बोर्ड को की है?</p> <p>ङ. क्या निम्नलिखित के संबंध में डेरिवेटिव स्थिति का बचाव किया जाना है:</p> <p>i. क्या 'नकदी प्रवाह' का अभिनिर्धारण संबद्ध यूआईएन संख्या सहित 'वैयक्तिक' उत्पाद के साथ किया गया है?</p> <p>ii. क्या 'वैयक्तिक' कर्ज प्रतिभूति के साथ 'पुनर्निवेश' जोखिम का अभिनिर्धारण किया गया है?</p> <p>च. यदि ऐसा है, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे यह अभिनिर्धारण किया जा सके कि जोखिम से बचाव किया जाना है [जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में 'निधि-वार']?</p> <p>छ. क्या डेरिवेटिव का आनुमानिक मूल्य संबंधित निधि के बही मूल्य से कम है?</p> <p>ज. जहाँ 'बचाव' प्रभावकारी नहीं है, वहाँ क्या वह लाभ और हानि लेखे में प्रतिबिंबित किया गया है ?</p> <p>झ. क्या ऐसी डेरिवेटिव स्थिति आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करती है?</p> <p>ञ. क्या मुख्य जोखिम अधिकारी ने बीमाकर्ता के बोर्ड को अपनी तिमाही रिपोर्ट में सभी बिन्दुओं (क से झ तक) का अनुपालन सूचित किया है?</p> <p>ट. क्या बीमाकर्ता ने जारी किये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विनियामक सूचना / विवरणियाँ दाखिल की हैं?</p> <p>29. क्या विनियम 3(क)(6) के अंतर्गत समाविष्ट "निवेश संपत्ति" में किया गया निवेश, निवेश के समय साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियों के [फार्म 3बी (भाग क) के अनुसार] 5% से अधिक नहीं है तथा जीवन निधि [फार्म 3ए (भाग क) के अनुसार] के 5% के अंदर है।</p>		
--	--	---	--	--

		<p>30. क्या आईपीओ के माध्यम से ईक्रीटी शेयरों, म्युचुअल फंड, जोखिम निधि, सेबी द्वारा अनुमोदित बैकल्पिक निवेश निधियों, कॉरपोरेट बांड रिवर्स रेपो, आईडीएफ (विनियम 9 की टिप्पणी 2 के अनुसार) बैंक की टीयर-I (बेसल II) पूँजी के बेमीयादी कर्ज लिखतों तथा बैंक की उच्चतर टीयर-II पूँजी के कर्ज पूँजी लिखतों में निवेश समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये संबंधित परिपत्रों का अनुपालन करते हुए किये गये हैं?</p> <p>31. क्या आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों, पीटीसी, दोनों अनुमोदित और अन्य निवेश श्रेणी के अंतर्गत एसआर में निवेश जीवन कंपनियों के मामले में संबंधित निधियों के 10% के अंदर तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियों के 5% के अंदर किये गये हैं?</p> <p>32. क्या अंतर्निहित आवास अथवा बुनियादी संरचनागत आस्तियों के साथ प्रतिभूतीकृत कोई आस्तियों का ग्रेड यदि एए से नीचे अथवा उसके समकक्ष तक कम किया गया है तो उन्हें अन्य निवेशों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है?</p> <p>ख. निवेश परिचालनों / अनावरण (एक्सपोज़र) के संबंध में पुष्टीकरण</p> <p>1. क्या शेयरधारकों की निधियाँ फार्म 3ए (भाग क) / फार्म 3बी (भाग क) में ऋण शोधन क्षमता सीमा (एफआरएसएम) को निरूपित करने वाली विभाजित निधियाँ रही हैं?</p> <p>2. यदि निधियाँ उपर्युक्त बिन्दु 1 के अनुसार एफआरएसएम और शेप के बीच विभाजित हैं, तो क्या उनका अनुरक्षण दोनों जीवन तथा पुनर्बीमा और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के लिए अभिज्ञात 'स्क्रिपों' के साथ अलग अभिरक्षक खाते में किया गया है एवं फार्म 3ए (भाग क) / फार्म 3बी के साथ उनका समाधान किया गया है?</p> <p>3. क्या व्यवसाय में ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित निधियों पर ऋण शोधन क्षमता सीमा के परिकलन में विचार नहीं किया गया है?</p> <p>4. क्या आस्तियों अथवा लिखतों में सभी निवेश जो मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं, (अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमाराशियों को छोड़कर) 'लिखत' की मूल्यांकन के आधार पर किये गये हैं और नहीं कि निवेशिती 'कंपनी' की मूल्यांकन के आधार पर?</p> <p>5. क्या कर्ज लिखतों में निवेश अन्य निवेशों में वर्गीकृत एए- (एए माइनस) अथवा उससे नीचे की मूल्यांकन प्राप्त हैं ?</p> <p>6. क्या बुनियादी संरचना क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) में किये गये निवेश परियोजना लागत के 20% (अथवा) विनियम 9 (ख)(i) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, के अंदर हैं?</p> <p>7. यदि उपर्युक्त बिन्दु का उत्तर 'हाँ' है, तो क्या विनियम 9 की टिप्पणी 4 के अंतर्गत उल्लिखित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है?</p> <p>8. क्या बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमवीएस) / आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एवीएस) में किये गये निवेशों ने विनियम 9 की टिप्पणी 5 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है?</p> <p>9. क्या अनुमोदित निवेशों का भाग बनने वाले सभी सूचीबद्ध शेयर विनियम 3(क)(5) में विनिर्दिष्ट रूप में लाभांश मानदंडों की अपेक्षा को पूरा करते हैं?</p> <p>10. क्या अत्यल्प मात्रा में (थिनली) व्यापारित समस्त ईक्रीटी (सेबी मानदंडों के अनुसार) को "अन्य निवेश" के रूप में वर्गीकृत किया गया है?</p>		
--	--	--	--	--

		<p>11. क्या निवेश प्रबंध के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्राथमिक डेटा सर्वर का अनुरक्षण देश के अंदर ही किया जाता है?</p> <p>12. क्या बीमाकर्ता ने गैर-यूनिट सहबद्ध व्यवसाय तथा पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में प्रत्येक निधि से निवेश खातों का समाधान दैनंदिन आधार पर अभिरक्षक अभिलेखों के साथ किया है?</p> <p>13. क्या बीमाकर्ता ने मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित की गई क्रेडिट मूल्यांकन के अतिरिक्त, अपने द्वारा किये गये प्रत्येक निवेश के लिए उत्पाद (उत्पादों) की जटिलता और उनकी धारिता के परिमाण के अनुरूप अपना स्वयं का जोखिम विश्लेषण किया है?</p> <p>14. क्या बीमाकर्ता ने निधि स्तर पर सहभागी और लाभरहित निवेशों के लिए अभिनिर्धारणयोग्य प्रतिभूतियों के साथ अलग अभिरक्षा खाते का अनुरक्षण किया है?</p>		
ग. पुष्टीकरण – "जीवन" बीमाकर्ता				
VIII	पुष्टीकरण	<p>क. पॉलिसी / प्रणालियों / प्रक्रिया संबंधी पुष्टीकरण</p> <p>1. क्या जीवन बीमाकर्ता ने यूलिप व्यवसाय के मामले में फार्म डी01 के अनुसार, तिमाही के दौरान दैनंदिन आधार पर एक एकल यूआईएन के अंतर्गत धारित, निधि प्रबंध प्रभागों को घटाकर सभी वियोजित निधि(यों) (वियोजित निधि पहचान संख्या – एसएफआईएन वार) के मूल्य के साथ प्रत्येक उत्पाद (विशिष्ट पहचान संख्या – यूआईएन वार) के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम (प्रदत्त प्रभागों और लाभों को घटाकर) प्रणाली के माध्यम से समाधान किया है?</p> <p>2. क्या जीवन बीमाकर्ता ने एक पोर्टल के माध्यम से पॉलिसीधारक को फार्म डी02 के अनुसार एक सुरक्षित लाग-इन द्वारा उसके उत्पाद मूल्य के विवरण तक पहुँच के लिए समर्थ बनाया है?</p> <p>3. क्या जीवन बीमाकर्ता ने अपनी वेबसाइट में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों / परिपत्र के अनुसार मासिक यूलिप संविभाग प्रकटीकरण की न्यूनतम सूचना प्रकट की है?</p> <p>4. क्या दैनंदिन आधार पर फार्म 3ए – भाग ई (वियोजित निधियों में यूलिप उत्पादों के निवेश का विवरण) उत्पन्न करने के लिए एक पूर्णतः स्वचालित प्रणाली विद्यमान है?</p> <p>5. क्या जीवन बीमाकर्ता ने एक ही दिन में बीमाकर्ता की वेबसाइट और जीवन परिषद की वेबसाइट पर निधि वार एनएवी (एसएफआईएन वार) प्रकट किया है?</p> <p>6. क्या यूलिप निधियों में से अचल संपत्तियों में कोई निवेश नहीं किये गये हैं?</p> <p>ख. निवेश परिचालनों / अनावरण (एक्स्पोजर) संबंधी पुष्टीकरण</p> <p>1. क्या प्रत्येक 'वियोजित निधि' [एसएफआईएन] के अंतर्निहित 'स्क्रिप' हैं, जिनकी पहचान अभिरक्षक स्तर तक की गई हो?</p> <p>2. क्या यूलिप निधियों के संबंध में 'प्रत्येक' निधि / 'वियोजित निधि [एसएफआईएन]' के विषय में निवेशों की 'प्रत्येक' खरीद और विक्री की पहचान, लेनदेन पर्ची में उल्लिखित रूप में की गई है?</p> <p>3. क्या अंतर निधि अंतरण ईक्यूटी और कर्ज के लिए बाजार समय के दौरान</p>		

		<p>यूलिप निधियों के बीच जारी किये गये मास्टर परिपत्र के उपबंधों के अनुसार प्रचलित कीमत पर किया गया है और न कि दलाल के भाव (कोट) के आधार पर?</p> <p>4. यूलिप व्यवसाय के मामले में 'प्रत्येक' वियोजित निधि [बंद पॉलिसी निधि (डीपीएफ) सहित] क्या पॉलिसी प्रबंध प्रणाली (पीएएस) और निवेश लेखांकन प्रणालियों के बीच "यूनिटों" का समाधान मानवीय हस्तक्षेप के बिना अबाधित डेटा अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया समेककों का प्रयोग करते हुए एक पूर्णतः स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किया गया है?</p> <p>5. क्या बीमाकर्ता ने 'प्रत्येक' वियोजित निधि [एसएफआईएन] के लिए दैनंदिन आधार पर बैंक और अभिरक्षक अभिलेखों के साथ निधि-वार निवेशों का समाधान किया है?</p> <p>6. क्या 'प्रत्येक' निधि (यूलिप सहित) के निवेशों का मूल्यांकन आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के अनुसार किया गया है?</p> <p>7. क्या बंद पॉलिसियों की निधि (डीपीएफ) संबंधी देयताओं को पूरा करने में कोई कमी (शार्टफाल/डेफिसिट) है?</p> <p>8. यदि उपर्युक्त बिन्दु का उत्तर 'हाँ' है, तो क्या बीमाकर्ता ने ऐसी कमी के लिए तिमाही आधार पर कोई प्रावधान किया है?</p> <p>9. क्या प्रत्येक वियोजित निधि [एसएफआईएन] के एनएवी की लेखापरीक्षा दैनंदिन आधार पर (टी+0 आधार पर) आंतरिक / समवर्ती लेखापरीक्षक द्वारा घोषणा से पहले की गई है?</p> <p>10. क्या बीमाकर्ता ने तिमाही के दौरान कोई नई निधि प्रारंभ की है?</p> <p>11. यदि उपर्युक्त बिन्दु का उत्तर 'हाँ' है, तो क्या "निधि निकासी प्रक्रिया" के उपबंधों का अनुपालन मास्टर परिपत्र के अनुसार किया गया है?</p> <p>12. क्या प्रत्येक निधि [(क) जीवन निधि, (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि, (ग) यूनिट सहबद्ध निधि(याँ) एसएफआईएन वार] का एक पहचान योग्य निधि प्रबंधक है?</p> <p>13. क्या (क) जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि (ख) यूनिट सहबद्ध निधियों के बीच निधि प्रबंधक एक ही व्यक्ति तो नहीं है?</p> <p>14. क्या बीमाकर्ता ने ऐसी सभी निधियों के लिए, जो वियोजित निधि के प्रारंभ की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि की हों अथवा जहाँ वियोजित निधि ने पहली बार 5 करोड़ रुपये के परिमाण तक पहुँची हो, जो भी पहले हो, निधि प्रबंध प्रभारों (एफएमसी) की संगणना करते समय म्युचुअल फंड, विनिमय व्यापारित निधि (सीपीएससी ईटीएफ को छोड़कर) और सावधि जमा (निवेश को रखने के समय 91 दिन से कम) द्वारा प्रभारित निधि प्रबंध प्रभार को अलग किया है?</p> <p>15. क्या यूलिप निधियों से वैकल्पिक निवेश निधियों में कोई निवेश नहीं किये गये हैं?</p> <p>16. क्या बीमाकर्ता ने जब तक प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति दी गई हो, ऐसी किसी संस्था में जो भारत में कंपनियों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत नहीं बनी हो अथवा किसी निजी लिमिटेड कंपनी में अथवा एक</p>		
--	--	---	--	--

		<p>व्यक्ति कंपनी में अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या पहले के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है?</p> <p>17. क्या बीमाकर्ता ने ऐसी निधियों की निधि में अथवा ऐसी किसी निधि जिसके लिए दैनंदिन आधार पर एनएवी उपलब्ध नहीं है, में कोई निवेश नहीं किया है?</p> <p>18. क्या बीमाकर्ता ने दावाकर्ताओं की उन राशियों जिनका दावा नहीं किया गया है के लिये एसएफआईएन बनाया है? यदि हाँ:</p> <p>क. क्या आईआरडीए द्वारा पॉलिसीधारकों की उन राशियों जिनका दावा नहीं किया गया है के लिये एसएफआईएन समाशोधित कर दिया है?</p> <p>ख. क्या (1) जीवन व्यापार (2) अनुवृत्ति तथा साधारण वार्षिकी व्यापार तथा (3) यूलिप व्यापार के अंतर्गत पॉलिसीधारकों की उन राशियों जिनका दावा नहीं किया गया है के धन का प्रकटन एक एकल पृथक "पॉलिसीधारकों की वह राशियाँ जिनका दावा नहीं किया गया है" किया जाएगा तथा निवेश सम्पत्तियों के अंश के रूप में नहीं दर्शाये गये हैं?</p> <p>ग. क्या बीमाकर्ता ने "पॉलिसीधारकों की वह राशि जिसका दावा नहीं किया गया है" तुलन पत्र में चालू परिसंपत्तियों के अंश के रूप में दर्शाया है?</p> <p>घ. क्या "पॉलिसीधारकों की वह राशि जिसका दावा नहीं किया गया है" जिसे मुद्रा बाज़ार के उपकरण (जैसा कि आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 में परिभाषित है और / या अनुसूचित बैंकों के मियादी जमा में निवेशित किया है?</p> <p>ङ. क्या बीमाकर्ताओं का "पॉलिसीधारकों की वह राशि जिसका दावा नहीं किया गया है" (व्यक्ति दावेदार के स्तर पर) को पॉलिसी प्रशासन प्रणाली से जोड़ दिया है?</p> <p>च. क्या बीमाकर्ता ने आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 की अनुसूचि 1 तथा उसके अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार "पॉलिसीधारकों की वह राशि जिसका दावा नहीं किया गया है" का एसएफआईएन का एनएवी घोषित कर दिया है?</p>		
प्रमाणीकरण				
प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।				
हस्ताक्षर:		हस्ताक्षर:.....		हस्ताक्षर:
हस्ताक्षर:				
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	वित्त का प्रमुख	निवेशों का प्रमुख	मुख्य जोखिम अधिकारी	

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर: _____

दिनांक:

पूरा नाम: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग तथा प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग रूप से और प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।
2. केवल ऋणात्मक विचलनों की ही सूचना दी जानी चाहिए।
3. अनावरण गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

फार्म - 4ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

भाग ख

पंजीकरण संख्या:

फार्म 3ए/3बी के अनुसार तिमाही के लिए कुल निवेश आस्ति:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन - प्रवर्तक समूह

सं.	समूह कंपनी का नाम	विनियम 9 के अनुसार समूह की पात्रता-सीमा	वास्तविक निवेश	वास्तविक निवेश (संचयी)	विचलन
क	ख	ग	घ	ङ	च=ग-ङ

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर: _____

दिनांक:

पूरा नाम: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन उसके कुल निवेशों के कुल योग में किया जाएगा।
2. अनावरण गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

फार्म - 4ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

भाग ग

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश आस्ति:

अनावरण मानदंडों का अनुपालन - सामूहिक

सं.	समूह कंपनी का नाम	विनियम 9 के अनुसार समूह की पात्रता-सीमा	वास्तविक निवेश	विचलन
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ

कुल

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

to the best of my knowledge and belief.

हस्ताक्षर:

दिनांक:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग तथा प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग से और उसकी कुल निवेश आस्तियों के संदर्भ में प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।

2. अनावरण गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

3. स्तंभ 'घ' के कुल योग का फार्म 3ए के अनुसार कुल निवेश आस्तियों के साथ समाधान होना चाहिए।

फार्म - 4ए

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

भाग घ

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश
आस्ति:

--

उद्योग क्षेत्र को अनावरण

सं.	उद्योग क्षेत्र का नाम (विनियमों के अनुसार)	विनियम 9 के अनुसार उद्योग की पात्रता-सीमा	वास्तविक निवेश	विचलन
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ

कुल

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

वित्त का प्रमुख

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग एवं प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग से और उसकी कुल निवेश आस्तियों के संदर्भ में प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।

2. अनावरण गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य पर और यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

3. स्तंभ 'घ' के कुल योग का समाधान फार्म 3ए के अनुसार निवेश आस्तियों के साथ होना चाहिए।

फार्म - 5

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

निधि का नाम: _____

निवेश समाधान का विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय)

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवश्यकता : तिमाही

सं.	निवेशों की श्रेणी	सीओआई	प्रारंभिक शेष		अवधि के लिए खरीद		अवधि के लिए बिक्री		समायोजन		अंतिम शेष			कुल का % (1+2+3)	
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य		
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ														
											कुल (1)				
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ														
											कुल [1+2]				
3	अनावरण मानदंडों के अधीन निवेश														
	(क) आवास/एफएफई के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण														
	1. अनुमोदित निवेश														
	2. अन्य निवेश														
											कुल [3(क)]				
	(ख) बुनियादी संरचना निवेश														
	1. अनुमोदित निवेश														
	2. अन्य निवेश														
											कुल [3(ख)]				
	(ग) अनुमोदित निवेश														
											कुल [3(ग)]				
	(घ) अन्य निवेश														
											कुल (3(घ))				
											कुल [3 (क+ख+ग+घ)]				
											कुल (1+2+3)				

कुल

कुल (1+2+3)

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शेयर बाजार पर निष्पादित सभी नकदी बाजार लेनदेन केवल वितरण के आधार पर ही किये गये हैं।

हस्ताक्षर

दिनांक:

पूरा नाम और पदनाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

- उपर्युक्त प्रत्येक प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक श्रेणियों को श्रेणी कूट के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
- फार्म-5 प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। शूलिप के मामले में फार्म 5 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
- फार्म-5 का प्रत्येक उप-जोड़ फार्म 3ए/ फार्म 3बी के भाग-क में उसके तदनु रूपी शीर्ष के साथ संबद्ध किया जाएगा।
- 'अन्य निवेश' धारा 27क(2) के अंतर्गत अनुमत रूप में हैं।
- 'कुल का %' स्तंभ, असंबद्ध निधियों के मामले में बही मूल्य पर संगणित किया जाएगा तथा संबद्ध निधियों के मामले में इसकी संगणना बाजार मूल्य के साथ होगी।

फार्म - 6

(विनियम 10 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

निधि का नाम: _____

विवरण की स्थिति की तारीख:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क(6) के अंतर्गत प्रमाणपत्र

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवश्यकता : तिमाही

सं.	निवेश का विवरण	निम्नलिखित की अभिरक्षा में						
		बैंक / अभिरक्षा (रुपये)		स्वयं (रुपये)		अन्य (रुपये)		कुल (रुपये)
		शेयर धारक	पॉलिसी धारक	शेयर धारक	पॉलिसी धारक	शेयरधारक	पॉलिसी धारक	शे.धा. + पॉ.धा.
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ							
3	अनावरण मानदंडों के अधीन निवेश							
	क. आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. बुनियादी संरचना निवेश							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ग. अनुमोदित निवेश							
	घ. अन्य निवेश							
	कुल							

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में समाविष्ट विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित संपूर्ण श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षर: _____

पूरा नाम: _____

वित्त का प्रमुख

टिप्पणी:

- उपर्युक्त विवरण, 'जीवन' बीमाकर्ताओं के मामले में 'निधि-वार' अर्थात् जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि, यूलिप निधि तथा प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर भी तैयार किया जायेगा।
- कुल निवेश आस्तियों को फार्म 3ए / 3बी में दर्शाये गये आंकड़ों के साथ समाधान करना चाहिए।
- सकल एनपीए किन्हीं प्रावधानों के पहले एनपीए के रूप में वर्गीकृत निवेश हैं।
- 'मानक आस्तियों' के संबंध में किया गया प्रावधान समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र: 32/2/एफ एण्ड ए/परिपत्र/ 169/जन./2006-07 के अनुसार होगा।
- निवल निवेश आस्तियाँ 'प्रावधानों' को घटाकर हैं।
- निवल एनपीए प्रावधानों को घटाकर सकल एनपीए हैं।
- अपलेखन बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में है।

बीमाकर्ता का नाम:

फार्म - डी01

पंजीकरण संख्या:

रिपोर्ट की तारीख:

यूलिप संविभाग का दैनिक समाधान

विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)	उत्पाद का नाम	वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएफआईएन)	निधि का नाम	जीवन/ सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली					
				प्रारंभिक यूनिट पूंजी (दिन के प्रारंभ में) (राशि रुपये में)	प्रारंभिक यूनिट (दिन के प्रारंभ में) (यूनिटों की संख्या)	दिन के लिए संगृहीत अथवा प्रतिदत्त निवल राशि (प्रभारों को घटाकर) (Amount in Rs)	दिन के लिए आबंटित अथवा प्रतिदत्त निवल यूनिट (यूनिटों की संख्या)	अंतिम यूनिट पूंजी (दिन की समाप्ति पर) (राशि रूपयों में)	अंतिम यूनिट (दिन की समाप्ति पर) (यूनिटों की संख्या)
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क) + (ग)	(च) = (ख) + (घ)
एक्स	ए	एक्सवाईजेड	निधि का नाम 1						
वाई	बी								
जेड	सी								
			उप जोड़						
एल	डी	एबीसी	निधि का नाम 'एन'						
एम	ई								
			उप जोड़						

निवेश प्रबंध प्रणाली										
एसएफआईएन	निधि का नाम	प्रारंभिक निधि मूल्य (दिन के प्रारंभ में)	प्रारंभिक यूनिट (दिन के प्रारंभ में) यूनिटों की संख्या)	दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त निधि मूल्य	दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त यूनिट	दिन के लिए निवेश आय (अप्राप्त लाभ/हानि सहित)	दिन के लिए घटायें गये एफएमसी प्रभार	अंतिम निधि मूल्य (दिन की समाप्ति पर)	अंतिम यूनिट (दिन की समाप्ति पर) (यूनिटों की संख्या)	प्रति यूनिट घोषित एनएवी
		(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड) = (छ)+(झ)+(ट)-(ठ)	(ढ) = (ज) + (ञ)	(ण) = (ड) / (ढ)
	निधि 1									
	निधि 2									
	निधि 'एन'									

टिप्पणियाँ:

- 1 पिछले एनएवी दिन की जीवन/सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक यूनिट [(ख) देखें] निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ज) देखें]
- 2 निवेश प्रबंध प्रणाली में दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त निधि या यूनिट [(झ) और (ञ) देखें] जीवन/सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार संगृहीत या प्रतिदत्त निवल राशि या यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ग) और (घ) देखें]
- 3 पिछले एनएवी दिन की जीवन/ सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार अंतिम यूनिट [(च) देखें] निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार अंतिम यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ड) देखें]
- 4 प्रति यूनिट घोषित एनएवी [(ण) देखें] अवश्य जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रति यूनिट एनएवी के साथ समाधान करेगा।
- 5 जीवन/सामूहिक प्रबंध प्रणाली में दिन "टी" में यूनिट की घट-बढ़ एक कार्यदिवस अर्थात् टी+1 के अधिकतम समयांतर के साथ निवेश प्रबंध प्रणाली में प्रवाहित होगी।

फार्म - डी02

एक्सवाईजेड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड

उत्पाद मूल्य का विवरण

पंजीकरण संख्या:

पॉलिसीधारक आईडी

लाँग-इन तारीख

दिन/माह/वर्ष

पॉलिसीधारक का नाम

पता:

भाग - क

उत्पाद	यूआईएन	प्रीमियम टॉप-अप सहित (रुपये)	प्रीमियम आबंटन प्रभार (रुपये)	आबंटित निधियाँ (रुपये)	पॉलिसी प्रबंध प्रणाली (पीएएस) के अनुसार यूनिट	प्रति यूनिट मूल्य (रुपये)	उत्पाद मूल्य (रुपये)
जेडएक्सवाई प्रीमियम प्लस							

भाग - ख

रुपये

विवरण	एसएफआईएन	एसएफआईएन	Σ एसएफआईएन
निधि का नाम	निधि एक्स	निधि वाई	कुल
यूनिट (निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार)			
आबंटन का प्रतिशत (लाग-इन तारीख को)	%	%	%
आबंटित निधियाँ			
स्विच इन			
स्विच आउट			
आहरण			

प्रभार

आबंटन प्रभार
 स्विच प्रभार
 पॉलिसी प्रबंध प्रभार
 मृत्यु-दर प्रभार
 अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)
 सेवा कर
वियोजित निधियों में निवेशित कुल राशि
वर्तमान एनएवी
लाग-इन तारीख को निधि मूल्य:

भाग - ग (उत्पाद सांख्यिकी)

दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक अंतरिम रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीमा रक्षा

प्रारंभ से अदा किया गया कुल प्रीमियम

बीमा रक्षा के लिए, प्रारंभ से कुल जोखिम प्रीमियम

लाग-इन तारीख तक आबंटन प्रभार सहित मृत्यु-दर को छोड़कर कुल प्रभार और कटौतियाँ (सेवा प्रभार सहित)

(ख) और (ग) के बीच अंतर (अप्राप्त लाभ / हानि)

विनियमों में निर्धारित रूप में निम्नतर दर पर लाभ निदर्शन के अनुसार निवल निवेश पर संविभाग मूल्य

विनियमों में निर्धारित उच्चतर दर से लाभ निदर्शन के अनुसार निवल निवेश पर संविभाग मूल्य

टिप्पणी:

1. उत्पाद संविभाग मूल्य उत्पाद में सभी निधि मूल्यों का कुल योग होगा।
2. प्रति यूनिट उत्पाद मूल्य प्रारंभिक यूनिटों द्वारा कुल निधि मूल्य को विभाजित करने के बाद प्राप्त किया जाएगा।
3. समेकित उत्पाद मूल्य, उत्पाद मूल्यों का पूर्ण योग करने तथा उसे समेकित प्रारंभिक यूनिटों से विभाजित करने के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
4. उत्पाद मूल्य सभी वर्तमान प्रकटीकरणों और परिकलनों के अतिरिक्त होगा।
5. वर्तमान निर्धारित प्रथाएँ जारी रहेंगी।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st August, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India

(Investment) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/22/134/2016.—*In exercise of the powers conferred by clause (i) subsection(2) of Section 114A read with Section 27, 27A, 27B, 27C, 27D and 28 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations.*

1. Short title and commencement

1. (1) *These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment) Regulations, 2016*
- (2) *They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette*

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires

- (a) *“Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)*
 - (b) *“Accretion of funds” means investment income, gains / loss on sale/redemption of existing investment and operating surplus*
 - (c) *“Accounting Standard” (AS) means applicable Accounting Standard or Indian Accounting Standard (Ind AS) as issued by the Institute of Chartered Accountants of India and notified by the Central Government under the Companies Act, to the extent recognized under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Audit Report) Regulations, issued in that behalf*
 - (d) *“Approved Investments” means Investments made as per Regulation 3 (a) and (b) read with Schedule I and Schedule II of this regulation.*
 - (da) *“Assets” means assets in India, held by an Insurer in accordance with the provisions of Section 31 of the Act*
 - (e) *“Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999)*
 - (f) *“Financial Derivatives” means a derivative as defined under clause (ac) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes a contract which derives its value from interest rates of underlying debt securities and such other derivative contracts as may be stipulated by the Authority, from time to time*
 - (g) *“Group” means: two or more individuals, association of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate, or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, significant influence and / or control, directly or indirectly, over any associate as defined in Accounting Standard (AS), body corporate, firm or trust, or use of common brand names, Associated persons, as may be stipulated by the Authority, from time to time, by issuance of guidelines under these regulations*
- Explanation: Use of common brand names in conjunction with other parameters of significant influence and / or control, whether direct or indirect shall be reckoned for determination for inclusion as forming part of the group or otherwise.*
- (h) *“Infrastructure facility” means, the ‘Harmonized Master list of Infrastructure sub-sectors’ as per Gazette Notification Dt. 14th October, 2014 of Department of Economic Affairs, as amended from time to time, and shall also include the following:*

1. *a road, including toll road, a bridge or a rail system;*
2. *a highway project including other activities being an integral part of the highway project;*
3. *a port, airport, inland waterway or inland port and associated railway sidings;*
4. *a water supply project, irrigation project, water treatment system, sanitation and sewerage system or solid waste management system;*

5. *telecommunication services whether basic or cellular, including radio paging, domestic satellite service (i.e., a satellite owned and operated by an Indian company for providing telecommunication service), network of trunking, broadband network and internet services;*
6. *an industrial park or special economic zone;*
7. *generation or generation and distribution of power (both conventional and non-conventional);*
8. *transmission or distribution of power by laying a network of new transmission or distribution lines including telecom towers;*
9. *construction relating to projects involving agro-processing and supply of inputs to agriculture;*
10. *construction for preservation and storage of processed agro-products, perishable goods such as fruits, vegetables and flowers including testing facilities for quality;*
11. *construction of educational institutions and hospitals;*

(i) **“Investment Assets”** mean all investments made out of:

(1) *in the case of Life Insurer*

- (i) *shareholders’ funds representing solvency margin, non-unit reserves of unit linked insurance business, participating and non-participating funds of policyholders, funds of variable insurance products including One Year Renewable pure Group Term Assurance Business (OYRGTA) at their carrying value*
- (ii) *policyholders’ funds of Pension, Annuity business and Group business including funds of variable insurance products at their carrying value*
- (iii) *policyholders’ unit reserves of unit linked insurance business including funds of variable insurance products at their market value as per guidelines issued under these regulations, from time to time*

(2) *in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance*

or in case of a branch of a foreign company engaged in the business of re-insurance, funds maintained in its head office account, shareholders’ funds representing solvency margin and policyholders’ funds at their carrying value

as shown in its balance sheet prepared in accordance with any regulations issued in that behalf for the time being in force, by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors’ Report of Insurance Companies) Regulations

(j) **Money Market Instruments**

Money Market Instruments shall comprise of Short term investments with maturity not more than one year comprising of the following instruments:

1. *Certificate of deposit rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999*
2. *Commercial paper rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999*
3. *Reverse Repo*
4. *Treasury Bills (including Cash Management Bills)*
5. *Call, Notice, Term Money*
6. *CBLO as per Schedules I and II of these Regulations.*
7. *Any other instrument as may be prescribed by the Authority*

(k) **“Promoter”** means a promoter as defined under Regulation 2 (1) (x) of IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting life insurance business) Regulations

(l) **“Principal Officer”** means any person connected with the management of an insurer or any other person upon whom the Authority has served notice of its intention of treating him as the principal officer thereof.

(m) *All words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations”*

3. **Approved Investments**

a) *No insurer shall invest or keep invested any part of its Controlled Fund, as defined under Sec 27A / Assets as defined under Sec 27 (2) of the Act, read together with Sec 27E of the Act, otherwise than in approved securities, as per Section 2(3) of Insurance Act, 1938, as amended from time to time and in any of the following **approved investments**, namely:—*

1. *debentures secured by a first charge on any immovable property plant or equipment of any company which has paid interest in full*
2. *debentures secured by a first charge on any immovable property, plant or equipment of any company where either the book value or the market value, whichever is less, of such property, plant or equipment is more than three times the value of such debentures*
3. *first debentures secured by a floating charge on all its assets of any company which has paid dividends on its equity shares*
4. *preference shares of any company which has paid dividends on its equity shares for at least two consecutive years immediately preceding*
5. *equity shares of any listed company on which not less than ten percent dividends have been paid for at least two consecutive years immediately preceding*
6. *immovable property situated in India, **provided** that the property is free of all encumbrances;*
7. *loans on policies of life insurance within their surrender values issued by him or by an insurer whose business he has acquired and in respect of which business he has assumed liability;*
8. *Fixed Deposits with banks included for the time being in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and;*

such other investments as the Authority may, by notification in the Official Gazette, declare to be Approved Investments.

b) *In addition the following investments shall be **deemed** as Approved Investments*

1. *All rated debentures (including bonds) and other rated & secured debt instruments as per Note appended to Regulations 4 to 9. Equity shares, preference shares and debt instruments issued by All India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India – investments shall be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms, limits approved by the Board of Directors of the insurer.*
2. *Bonds or debentures issued by companies, rated not less than AA or its equivalent and A1 or equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposits and commercial papers by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999*
3. *Subject to norms and limits approved by the Board of Directors of the insurer's deposits [including fixed deposits as per Regulation 3 (a) (8)] with banks (e.g. in current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with primary dealers duly recognized by Reserve Bank of India as such.*
4. *Collateralized Borrowing & Lending Obligations (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Ltd and recognized by the Reserve Bank of India and exposure to Gilt, G Sec and liquid mutual fund forming part of Approved Investments as per Mutual Fund Guidelines issued under these regulations and money market instrument / investment.*
5. *Asset Backed Securities with underlying Housing loans or having infrastructure assets as underlying as defined under 'infrastructure facility' in Regulation 2 (h) as amended from time to time.*
6. *Commercial papers issued by All India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India having a credit rating of A1 by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999*
7. *Money Market instruments as defined in Regulation 2(j) of this Regulation, subject to provisions of approved investments.*

Explanation: All conditions mentioned in the 'note' appended to Regulation 4 to 9 shall be complied with.

c) *The board of the insurer, to comply with the provisions of **Section 27A (2) (ii)** of the Act, may delegate to Investment Committee, for investments already made and the continuance of such investments from controlled fund / assets, in otherwise than in an approved investments, and in All India Financial Institutions recognized as such by RBI for*

investments carrying a rating of less than AA and being part of Approved Investment. The investment committee shall be responsible for the details, analysis and review of non-performing assets of investments on a quarterly periodicity. The insurer shall report compliance of this provision to the Authority through Form 4.

- d) Unless specifically permitted by the Authority, no investment shall be made in any entity not formed under laws relating to companies in India and in any private limited company or one person company or a company formed under section 8 of the Companies Act, 2013 or erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956.

4. Regulation of Investments – Life Insurer

A life insurer, for the purpose of these Regulations, shall invest and at all times keep invested, the Investment Assets forming part of the **Controlled Fund** as under:

- a. all funds (excluding Shareholders' funds held beyond solvency margin, held in a separate custody account) of Life insurance business and One Year Renewable pure Group Term Assurance Business (OYRGTA), and non-unit reserves of all categories of Unit linked life insurance business, as per Regulation 5
 - b. all funds of Pension, Annuity and Group Business [as defined under Regulation 2 (1)(e) of IRDAI (Actuarial Report and Abstract for life insurance business) Regulations] as per Regulation 6; and
 - c. the unit reserves portion of all categories of Unit linked funds, as per Regulation 7”
5. Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27 or 27A of the Act and any provisions of these Regulations, every insurer carrying on the business of Life Insurance, shall invest and at all times keep invested its Investment Assets as defined in Regulation 4 (a) (other than funds relating to Pension & General Annuity and Group Business and unit reserves of all categories of Unit Linked Business) in the following manner:

No	Type of Investment	Percentage to funds as under Regulation 4(a)
(i)	Central Government Securities	Not less than 25%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 50%(incl (i) above)
(iii)	Approved Investments as specified in Regulation 3 (a), (b) and Other Investments as specified in Section 27A (2) and Schedule I to these Regulations, (all taken together) subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not exceeding 50%
(iv)	Other Investments as specified in Section 27A (2), subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not exceeding 15%
(v)	Investment in housing and infrastructure by way of subscription or purchase of: A. Investment in Housing a. Bonds / debentures of HUDCO and National Housing Bank b. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Banks, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 c. Asset Backed Securities with underlying housing loans, satisfying the norms specified in the guidelines issued under these regulations from time to time. B. Investment in Infrastructure (Explanation: Subscription or purchase of Bonds / Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement. 'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in Regulation 2 (h) as amended from time to time Note: Investments made under category (i) and (ii) above may be considered as investment in housing and infrastructure, provided the respective government issues such a security specifically to meet the needs of any of the sectors specified as 'infrastructure facility'	Total Investment in housing and infrastructure (i.e., investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 15% of the fund under Regulation 4(a)

6. Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27 or 27A of the Act and any provisions of these Regulations every insurer carrying on Pension, Annuity and Group Business [as defined under Regulation 2 (1) (e) of IRDAI (Actuarial Report and Abstract for life insurance business) Regulations] shall invest and at all times keep invested its Investment Assets of Pension, Annuity and Group business in the following manner:

No	Type of Investment	Percentage to funds under Regulation 4(b)
(i)	Central Government Securities	Not less than 20%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 40% (incl (i) above)
(iii)	Balance to be invested in Approved Investments, as specified in Schedule I, subject to Exposure / Prudential norms as specified in Regulation 9.	Not exceeding 60%

Note: For the purposes of this regulation no investment falling under 'Other Investments' as specified under Section 27A (2) shall be made

7. Unit Linked Insurance Business

- a. Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27 or 27A of the Act and any provisions of these Regulations every insurer shall invest and at all times keep invested its segregated fund(s) under Regulation 4(c) (with underlying securities at custodian level) of Unit linked business as per pattern of investment offered to and subscribed to by the policyholders where the units are linked to categories of assets which are both marketable and readily realizable within the approved pattern as per the product regulations.

However, the investment in Approved Investments shall not be less than 75% of such fund(s) in each such segregated fund”

- a. All prudential and exposure norms under Regulation 9, shall be applicable at the level of individual segregated fund at SFIN level
- b. Insurer shall, as per circular / guidelines issued, from time to time, disclose on their website, the minimum information required for the benefit of policyholders

8. Regulation of Investments - General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance

Without prejudice to Sections 10 (2AA), 27, or 27B of the Act and any provisions of these regulations, an insurer carrying on the business of General Insurance including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance shall invest and at all times keep invested its investment assets in the manner set out below:

No	Type of Investment	Percentage of Investment Assets
(i)	Central Government Securities	Not less than 20%
(ii)	Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 30%(incl (i) above)
(iii)	Approved Investments as specified in Regulation 3 (a), (b) and Other Investments as specified in Section 27A (2) and Schedule II to these Regulations, (all taken together) subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not exceeding 70%
(iv)	Other investments as specified in Section 27A (2), subject to Exposure / Prudential Norms as specified in Regulation 9:	Not more than 15%
(v)	Housing and loans to State Government for Housing and Fire Fighting equipment, by way of subscription or purchase of: A. Investments in Housing a. Bonds / Debentures issued by HUDCO, National Housing Bank b. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Bank, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying	Total Investment in housing and infrastructure (i.e., investment in categories (i), (ii), (iii) and (iv) above taken together shall not be less than 15% of the Investment Assets

No	Type of Investment	Percentage of Investment Assets
	<p>current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999</p> <p>c. Asset Backed Securities with underlying Housing loans, satisfying the norms specified in the Guidelines issued under these regulations from time to time.</p> <p>B. Investment in Infrastructure</p> <p>(Explanation: Subscription or purchase of Bonds/ Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement.</p> <p>'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in Regulation 2 (h) as amended from time to time.</p> <p>Note: Investments made under category (i) and (ii) above may be considered as investment in housing or infrastructure, as the case may be, provided the respective government issues such a security specifically to meet the needs of any of the sectors specified as 'infrastructure facility'</p>	

“Note – For the purpose of Regulations 4 to 8

1. Applicability of Pattern of Investment

Pattern of Investment will not be applicable for Shareholders' funds held in business beyond required solvency margin, and not taken in calculation of solvency margin. Such excess shall be:

- i. made after fully complying with investment in Central Government Securities, State Government and Other Approved Securities and in Housing & Infrastructure Investments from funds representing solvency margin.
 - ii. such excess of Shareholder's funds, held beyond Solvency Margin requirement, shall be held in a separate custody account with identified scrips
 - iii. such excess funds shall be determined only after Actuarial Valuation, certified by Appointed Actuary and such valuation is filed with the Authority.
 - iv. such transfer made between quarters, shall be certified by the Concurrent Auditor to have complied with points (i), (ii) and (iii) above
 - v. Exposure Norms of 'investee company', 'group', 'promoter group' and 'industry sector' shall be applicable to both funds representing solvency margin [FRSM] and funds held in excess of required solvency margin.
2. All investment in assets or instruments, which are capable of being rated as per market practice, shall be made on the basis of credit rating of such assets or instruments. No approved investment shall be made in instruments, if such instruments are capable of being rated, but are not rated
 3. The rating should be done by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999
 4. Corporate bonds or debentures rated not less than AA or its equivalent and A1 or equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposit and commercial paper, by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 would be considered as 'Approved Investments'
 5. The rating of a debt instrument issued by All India Financial Institutions recognized as such by RBI shall be of 'AA' or equivalent rating. In case investments of this grade are not available to meet the requirements of the investing insurance company, and Investment Committee of the investing insurance company is fully satisfied about the same, then, for the reasons to be recorded in the Investment Committee's minutes, the Investment Committee may approve investments in instruments carrying current rating of not less than 'A+' or equivalent as rated by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, would be considered as 'Approved Investments'

6. *Approved Investments under regulations 5, 6, 7 and 8 which are downgraded below the minimum rating prescribed or not continuing to satisfy dividend criteria should be automatically re-classified under 'Other Investments' and specifically identified under a category which shall be valued at marked to market on a quarterly basis, for the purpose of pattern of investment.*
7. *Investments in equity shares listed on a registered stock exchange should be made in actively traded and liquid instruments viz., equity shares other than those defined as thinly traded as per SEBI Regulations and guidelines governing mutual funds issued by SEBI from time to time*
8. (a) *Not less than 75% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case life insurer and not less than 65% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance - shall be in sovereign debt, AAA or equivalent rating for long term and sovereign debt, A1+ or equivalent for short term instruments. This shall apply at segregated fund(s) in case of Unit linked business*
Note: In calculating the 75% in the case of Life insurers and 65% in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, of investment in 'Debt' instruments, investment in (a) Reverse Repo with corporate bond underlying (b) Bank Fixed Deposit (c) Investment in Promoter Group Mutual Fund(s) and un-rated Mutual funds, shall not be considered both in numerator and denominator
 (b) *Not more than 5% of funds under Regulation 4 (a) and Regulation 4 (c) in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of life insurer and not more than 8% of investment in debt instruments (including Central Government Securities, State Government Securities or Other Approved Securities) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance – shall have a rating of A or below or equivalent rating for long term*
 (c) *No investment can be made in other investments out of funds under Regulation 4 (b)*
 (d) *Investments in debt instruments rated AA - (AA minus) or below for long term and below A1 or equivalent for short term debt instruments shall form part of Other Investments*
9. *Notwithstanding the above, it is emphasized that rating should not replace appropriate risk analysis and management on the part of the Insurer. The Insurer should conduct risk analysis commensurate with the complexity of the product(s) and the materiality of their holding, or could also refrain from such investments*

9. Exposure / Prudential Norms

Without prejudice to anything contained in Sections 10(2AA), 27, 27A, 27B and 27C of the Act every insurer shall limit its investment of controlled funds / all assets as per the following exposure norms:

A. Exposure norms for:

1. (a) *all funds of Life insurance business and One Year Renewable pure Group Term Assurance Business (OYRGTA), and non-unit reserves of all categories of Unit linked life insurance business*
 (b) *all funds of Pension, Annuity and Group Business [as defined under Regulation 2 (1) (e) of IRDAI (Actuarial Report and Abstract for life insurance business) Regulations]*
 (c) *the unit reserves portion of all categories of Unit linked funds, as per Regulation 7, Life, Pension, Annuity and Group business and each segregated fund within Unit Linked Insurance business (except for promoter group exposure)*
2. *General insurance business,*
3. *Re-insurance business*
4. *Health insurance business*

for both Approved Investments as per Regulation 3 (a), Schedule I and Schedule II of these Regulations, and Other Investments as permitted under Section 27A (2) shall be as under.

- B. *The maximum exposure limit for a single 'investee' company (equity, debt and other investments taken together) from all investment assets under point (A.1.a, A.1.b, A.1.c all taken together), (A.2), (A.3) and (A.4) mentioned above, shall not exceed the lower of the following;*

(i) an amount of 10% of investment assets as under Regulation 2 (i) (1), Regulation 2 (i) (2) excluding fair value change of investment assets under Regulation 4 (a), 4 (b) and Regulation 2(i)

(ii) an **aggregate** of amount calculated under point (a) **and** (b) of the **following table**

Type of Investment (1)	Limit for 'Investee' Company (2)	Limit for the entire Group of the Investee Company (3)	Limit for Industry Sector to which Investee Company belongs (4)
a. Investment in 'Equity', Preference Shares, Convertible Debentures	10%* of Outstanding Equity Shares (Face Value) or 10% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) [segregated fund] above considered separately in the case of Life insurers / amount under A.2 or A.3 or A.4 in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re- insurance or health insurance whichever is lower	Not more than 15% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) or A.2 or A.3 or A.4 Exposure to Investments made in companies belonging to Promoter Group shall be made as per Point 7 under notes to Regulation 9	Investment by the insurer in any industrial sector should not exceed 15% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) or A.2 or A.3 or A.4 Note: Industrial Sector shall be classified in the lines of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008 [NIC] for all sectors, except infrastructure sector . Exposure shall be calculated at Division level from A to R. For Financial and Insurance Activities sector exposure shall be at Section level . Exposure to 'infrastructure' investments are subject to Note: 1, 2, 3 and 4 mentioned below
b. Investment in Debt (incl. CPs) / Loans and any other permitted Investments as per Act / Regulation other than item 'a' above.	10%* of the Paid-up Share capital, Free reserves (excluding revaluation reserve) and Debentures / Bonds (incl. CPs) of the 'Investee' company or 10% of the amount under point A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c) [segregated fund] above considered separately in the case of Life insurers / amount under A.2 or A.3 or A.4 in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re- insurance or health insurance whichever is lower.		

* In the case of insurers having investment assets within the meaning of Regulation 2 (i) (1) and Regulation 2 (i) (2) of the under mentioned size, the (*) marked limit in the above table for investment in equity, preference shares, convertible debentures, debt, loans or any other permitted investment under the Regulations, shall stand substituted as under:

Investment assets	Limit for 'investee' company	
	Equity	Debt
Rs 250000 Crores or more	15% of outstanding equity shares (face value)	15% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) & debentures / bonds
Rs. 50000 Crores but less than Rs. 250000 Crores	12% of outstanding equity shares (face value)	12% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) & debentures / bonds

<i>Investment assets</i>	<i>Limit for 'investee' company</i>	
	<i>Equity</i>	<i>Debt</i>
<i>Less than Rs. 50000 Crores</i>	<i>10% of outstanding equity shares (face value)</i>	<i>10% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) & debentures / bonds</i>

Note:

1. Industry sector norms shall not apply for investments made in 'Infrastructure facility' sector as defined under Regulation 2(h) of this regulation as amended from time to time. NIC classification shall not apply to investments made in 'Infrastructure facility'
2. Investments in Infrastructure Debt Fund (IDF), backed by Central Government as approved by the Authority, on a case to case basis shall be reckoned for investments in Infrastructure.
3. Exposure to a public limited 'Infrastructure investee company' will be:
 - i. 20% of outstanding equity shares (face value) in case of equity (or)
 - ii. 20% of outstanding equity plus free reserves (excluding revaluation reserve) plus debentures / bonds taken together, in the case of debt (or)
 - iii. amount under Regulation 9 (B) (i), whichever is **lower**.
 - iv. The 20% mentioned above, can be further increased by an additional 5%, in case of **debt** instruments alone, with the prior approval of Board of Insurer.
 - v. The outstanding tenure of debt instruments, beyond the exposure prescribed in the above table in this regulation, in an infrastructure Investee Company, should not be less than 5 years at the time of investment.
 - vi. in case of Equity investment, dividend track record as per these regulations, in the case of primary issuance of a wholly owned subsidiary of a Corporate / PSU shall apply to the holding company.
 - vii. all investments made in an 'infrastructure investee company' shall be subject to group / promoter group exposure norms.
4. An insurer can, at the time of investing, subject to group / promoter group exposure norms, invest a maximum of 20% of the project cost (as decided by a competent body) of an Public Limited Special Purpose Vehicle (SPV) engaged in infrastructure sector (or) amount under Regulation 9 (B) (i), whichever is lower, as a part of Approved Investments provided:
 - a. such investment is in Debt
 - b. the parent company guarantees the entire debt extended and the interest payment of SPV
 - c. the principal or interest, if in default and if not paid within 90 days of the due date, such debt shall be classified under other investments.
 - d. the latest instrument of the parent company (ies) has (have) rating of not less than AA
 - e. such guarantee of the parent company (ies) should not exceed 20% of net worth of parent company (ies) including the existing guarantees, if any, given
 - f. the net worth of the parent company (ies), if unlisted, shall not be less than Rs. 500 crores or where the parent company (ies) is listed on stock exchanges having nationwide terminals, the net worth shall not be less than Rs. 250 Crores

Investment Committee should at least on a half-yearly periodicity evaluate the risk of such investments and take necessary corrective actions where the parent company (ies) is floating more than one SPV
5. Investment in securitized assets [Mortgaged Backed Securities (MBS) / Asset Backed Securities (ABS) / Security Receipts (SR)] **both** under approved and other investment category shall not exceed 10% of Investment Assets in case of Life companies and 5% of Investment Asset in the case of General companies. Approved Investment in MBS / ABS with underlying Housing or Infrastructure Assets shall not exceed 10% of investment assets in the case of life

companies and not more than 5% of investment assets in the case of General companies. Any MBS / ABS with underlying housing or infrastructure assets, if downgraded below AAA or equivalent, shall be reclassified as Other Investments.

6. Investment Property within the meaning of Accounting Standards, and covered under Regulation 3 (a) (6) shall not exceed, at the time of investment, 5% of (a) Investment Assets in the case of general insurer and (b) 5% of Investment Assets of life funds in the case of life insurer. Immovable property, held as 'investment property' shall not be for 'self-use'. Immovable property, for self-use, shall be purchased only out of shareholders funds, and shall comply with circular / guidelines issued.
 7. Subject to exposure limits mentioned in the table above, an insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its investment assets in all companies belonging to the promoters' group. Investment made in all companies belonging to the promoters' group shall not be made by way of private placement or in unlisted instruments (equity, debt, certificate of deposits and fixed deposits held in a Scheduled Commercial Bank), except for companies formed by Insurers under Note 12 to Regulation 9
 8. The exposure limit for financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification – 2008, as amended from time to time) shall stand at 25% of investment assets for all insurers. Investment in Housing Financing Companies and Infrastructure Financing Companies (except investment in Bonds / debentures of HUDCO, NHB and only bonds issued by Housing Finance Companies having a rating of not less than AAA, and investment in Debt, Equity in dedicated infrastructure financing entities forming part of Infrastructure sector) shall form part of exposure to financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification – 2008)
 9. Where an investment is in partly paid-up shares, the uncalled liability on such shares shall be added to the amount invested for the purpose of computing exposure norms
 10. Notwithstanding anything contained in Regulation 9 (B) where new shares are issued to the existing shareholders by a company the existing shares of which are covered by Regulation 3 (a) (5) and the insurer is already a shareholder, the insurer may subscribe to such new shares, **provided** that the proportion of new shares subscribed by him does not exceed the proportion which the paid-up amount on the shares held by him immediately before such subscription bears to the total paid-up capital of the company at the time of such subscription
 11. Investment in fixed deposit and certificate of deposit of a Scheduled Bank, in case of life insurers, would be deemed as exposure to financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification - 2008). No investment in deposits including FDs and CDs in financial institutions falling under Promoter Group shall be made. Investment in FDs shall not exceed either 3% of controlled fund or not more than 5% of respective fund size [Pension & General Annuity Fund and Unit linked fund(s) at SFIN level], whichever is lower, in the case of Life Insurers and 15% of Investment Assets as per Regulation 2 (i) (2) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance
- Note:** Fixed Deposits as permitted under this Regulation kept as ASBA (Application Supported by Blocked Amount) deposit, including FDs with Banks falling under the promoter group of the Insurer, or otherwise, shall be excluded in computation of limits mentioned above. FDs of Banks under Promoter Group, earmarked for complying with ASBA requirement, will be part of exposure to Promoter Group.
12. An insurer shall not out of the controlled fund / assets invest or keep invested in the shares or debentures of any one company more than the exposure prescribed in Regulation 9 above, **provided** that nothing in this regulation shall apply to any investment made with the previous approval of the Board of the Authority by an insurer, being a company with a view to forming a subsidiary company carrying on insurance / re-insurance business.
 13. The investee company debt exposure, in Housing Finance Companies, rated not less than AA+, shall be upto 20% of paid-up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) and debentures / bonds (incl. CPs) or amount under Reg. 9(B)(i) whichever is lower. The 20% limit mentioned herein can be further increased by an additional 5% with the prior approval of Board of Insurer. All exposure norms applicable to group, promoter group shall be applicable to all investments made in a Housing Finance Company

10. Returns to be submitted by an Insurer

Every insurer shall submit to the Authority the following returns (in physical / electronic mode) within such time, at such intervals duly verified/certified in the manner as indicated there against.

No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
1	Form 1	Statement of Investment and Income on Investment	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
2	Form 2 (Part A, B, C)	Statement of Downgraded Investments, Details of Rated Instruments	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
3	Form 3A (Part A, B, C, D,E)	Statement of Investments Assets (Life Insurers)	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
4	Form 3B (Part A, B)	Statement of Investment Assets (General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance)	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
5	Form 4 (Part A)	Exposure / Prudential and other Investment Norms – Compliance Certificate	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer, Chief of (Investments), Chief of (Finance) Chief Risk Officer
6	Form 4 (Part B)	Internal / Concurrent Auditor's Certificate on Investment Risk Management Systems - Implementation Status	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Internal / Concurrent Auditor appointed under this regulation
7	Form 4A (Part A, B, C,D)	Statement of Investment Subject to Exposure Norms – Investee Company, Group, Promoter Group, Industry Sector	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
8	Form 5	Statement of Investment Reconciliation	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)
9	Form 6	Certificate under Sec 27A (5)	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Chairman, Director 1, Director 2, Principal Officer
10	Form 7	Statement of Non-Performing Assets	Quarterly	Within 30 days of the end of the Quarter	Principal Officer / Chief of Investment / Chief of (Finance)

Note:

1. The Internal / Concurrent Audit Report of the previous quarter with comments of Audit Committee of the Board, on 'very serious', 'serious' points (as per the Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies, issued by the Institute of Chartered Accountants of India) in the report, and status of implementation of Audit committee recommendation shall be filed with the Authority along with current quarter returns
2. All returns for the quarter ending March shall be filed within the period stipulated above based on provisional figures and later re-submitted with Audited figures within 15 days of adoption of accounts by the Board of Directors.

11. Power to call for additional information

The authority may, by general or special order, require from the insurers such other information in such manner, intervals and time limit as may be specified therein.

12. Duty to Report extraordinary events affecting the investment portfolio

Every insurer shall report to the Authority forthwith, the effect or the probable effect of any event coming to its knowledge, which could have material adverse impact on the investment portfolio and consequently on the security of policy-holder benefits or expectations.

13. Provisions on Investment Management

A. Constitution of Investment Committee

1. Every insurer shall constitute an Investment Committee which shall consist of a minimum of two non-executive directors of the Insurer, the Chief Executive Officer, Chief of Finance, Chief Risk Officer, Chief of Investment division, and the Appointed Actuary. The Board of the Insurer shall ensure that Chief of Finance, Chief of Investment and the Chief Risk Officer, shall fulfil the minimum qualification requirements specified in the regulations / guidelines issued by the Authority. The decisions taken by the Investment Committee shall be recorded and be open to inspection by the officers of the Authority.

B. Investment Policy

1. Every Insurer shall draw up, an Investment Policy (IP) (fund wise IP in the case of Unit Linked Insurance Business) and place the same before its Board of Directors for its approval.
2. Every insurer shall have a model code of conduct to prevent insider / personal trading of Officers involved in various levels of Investment Operations in compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 1992 as amended from time to time and place the same before its Board of Directors for its approval.
3. While framing the Investment Policy, the Board shall ensure compliance with the following:
 - (i) Issues relating to liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits including securities trading, management of all investment risks, management of assets liabilities mismatch, Scope of Internal or Concurrent audit of Investments, criteria form empanelment and review of investment brokers, investment statistics and all other internal controls of investment operations, the provisions of the Insurance Act, 1938 and IRDAI (Investment) Regulations, Guidelines and Circulars made there under
 - (ii) Ensuring adequate return on policyholders and shareholders' funds consistent with the protection, safety and liquidity of such fund(s).
4. The investment policy of Life, General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, as approved by the Board shall be implemented by the investment committee. The Board shall review on a quarterly basis the monitoring of fund wise and in respect of each product (both participating and non-participating products in the case of life insurers) the following minimum:
 - (a) Life Insurers:
 - i. new business scale planned versus actual at the end of the period 1 to maturity
 - ii. expenses projected versus actual
 - iii. persistency / renewal premium streams projected versus actual
 - iv. claims - projected versus actual
 - v. actual yield versus projected yield or returns
 - vi. action plan and follow up status
 - (b) General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance (at line of business level):
 - i. gross level of premium income projected vs actual along with reasons for negative growth if any
 - ii. steps to correct the business achieved as planned in case of under achievement of gross written premium
 - iii. underwriting results planned vs achieved along with reasons for negative deviations
 - iv. claims outgo projected versus actual - major reasons for increase / decrease in loss ratio and corrective steps planned for future
 - v. expenses including acquisition cost planned vs actuals- in case of excess over permitted limits, reasons for such excess along with plan to comply limits
 - vi. overall incremental investments projected vs actual - reason for deviation from the planned accretion and steps planned to correct the trend if the same is negative

5. *The Board shall review the investment policy and its implementation on a half-yearly basis or at such short intervals as it may decide and make such modification to the investment policy as is necessary to bring it in line with the investment provisions laid down in the Act and Regulations made there under, keeping in mind protection of policyholders' interest and pattern of investment laid down in these regulations or in terms of the agreement entered into with the policyholders in the case of unit linked insurance business.*

C. Investment Operations

1. *The funds of the insurer shall be invested and continued to be invested in equity shares, equity related instruments and debt instruments rated as per Note below Regulations 4 to 8 by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999. The Board shall lay down norms for investing in 'Other Investments' as specified in section 27A(2) of the Insurance Act, 1938 by the investment committee, taking into account the safety and liquidity of the policyholders' funds and protection of their interest.*
2. *As required under Chapter II, Regulation 7 (3) (b) of IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, to ensure proper internal control of investment functions and operations the insurer shall clearly segregate the functions and operations of front, mid and back office (as provided in the Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies issued by the Institute of Chartered Accountants of India) and no function falling under Front, Mid and Back Office Investment function(s), shall be outsourced. Also, the primary data server of the computer application used for investment management shall remain within the country.*
3. *The Board of the Insurer shall appoint a Custodian to carry out the custodial service for its Investments, who shall not be an entity under its promoter 'Group' unless permitted otherwise by the Authority.*

D. Risk Management Systems and its Review

1. *The Board shall implement the Investment Risk Management Systems and Process, mandated by the Authority. The implementation shall be certified by a Chartered Accountant firm, as per the procedure laid down in the "Guidance note on Review and Certification of Investment Risk Management Systems and Process of Insurance Companies", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.*
2. *The Investment Risk Management Systems and Process shall be reviewed once in two financial years or such shorter frequency as decided by the Board of the Insurer (the gap between two such audits should not be more than two years), by a Chartered Accountant firm and file the certificate issued by such Chartered Accountant, with the Authority along with the first quarter returns.*
3. *The appointment of Chartered Accountant firm to certify implementation and review of Investment Risk Management Systems and Process shall be as per the circular issued under these regulations.*

E. Audit and Reporting to Management

1. *Every Insurer shall constitute an Audit Committee of the Board, headed by an individual, as per the IRDAI Corporate Governance Guidelines and such person, shall not be the Chairman of Investment Committee.*
2. *The Insurer shall have the investment transactions covering both Shareholders and Policyholders funds be audited through Internal or Concurrent Auditor as per the circular issued under this regulation.*
3. *The quarterly internal / concurrent audit report, covering investments of both shareholders as well as policyholders, shall be as per the "Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time.*
4. *The Details of Investment Policy, implementation status of Investment Risk Management Systems and Process or its review shall be made available to the internal or concurrent auditor. The auditor shall comment on implementation status, review and its impact on the investment operations, systems and process in their report to be placed before the Board's Audit Committee.*
5. *The Statutory Auditor of the Insurer shall, on a quarterly basis, confirm compliance to Regulation 13(B)(4)(a,b) and such confirmation, shall be filed by the insurer along with periodical investment returns.*

F. Category of Investments

1. *Every Insurer shall invest its controlled fund as defined under Section 27A / all assets as defined under Section 27(2) of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time, only within the exhaustive category of investments listed in the guidelines issued by the Authority.*

G. Others

1. *The Authority may call for further information from time to time from the insurer as it deems necessary and in the interest of policyholders and issue such directions to the insurers as it thinks fit*

14. Miscellaneous.

1. *Accounting of Investments shall be as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations and Valuation of Assets shall be as per guidelines issued under these regulations from time to time.*
2. *The Board of the Authority may, by any general or special order, modify or change the application of regulations (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10) to any insurer either on its own or on an application made to it.*

15. Dealing in Financial Derivatives

1. *Every Insurer carrying on the business of life insurance or general insurance or health insurance business may deal in financial derivatives only to the extent permitted and in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time.*

16. Repeal and Savings

- (a) *On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall stand superseded*
- (b) *In respect of anything done or omitted to be done or omitted to be done prior to the commencement of these regulations, they shall continue to be governed by Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000*

17. Power to remove difficulties and issue clarifications

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary

Schedule I**Life insurers**

(See Regulation 4 to 7)

A. List of Approved Investments

'Approved Investments' as per Regulation 3 (a) shall fulfil the following criteria:

1. *debentures referred under Regulation 3 (a) (1) shall fulfill the criteria mentioned therein for five years immediately preceding or for at least five out of the seven years immediately preceding on such or similar debentures issued by it;*
2. *debentures referred under Regulation 3 (a) (3) shall fulfill the criteria therein for five years immediately preceding or for at least five out of the seven years immediately preceding;*

B. Processing of Unit Linked Business Application and Declaration of NAV

Every Unit linked segregated fund(s), shall be identified by its Segregated Fund Identification Number [SFIN] and shall follow the guidelines issued by the Authority.

1. *All applications received for premium payment, switches, redemption, surrender, maturity claim etc., should be time stamped and dated.*
2. **Applications for "premium payment"**
 1. *for applications received, with local cheques, cash or demand draft payable at par at the place where the premium is received, before cut-off time (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the same day.*

2. for applications received, along with local cheques, cash or demand draft payable at par at the place where the premium is received, **after cut-off time** (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the **next business day**.
3. for premiums received with an outstation cheque or demand draft, the closing NAV of the day on which the cheque / Demand Draft is **realized** shall be applied.

3. Applications for “other than” premium payment

1. for applications received **before the cut-off time** (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the **same day**.
2. for applications received, **after the cut-off time** (3.00 pm) on a business day, the applicable NAV would be the closing NAV of the **next business day**.

4. Daily disclosure / reconciliation of Product and Fund information

- a. Every insurer doing Unit linked business shall reconcile, **through the system**, the premium received (net of charges and benefits paid) under each product (Unique Identification Number – UIN) with value of all the segregated fund(s) (Segregated Fund Identification Number – SFIN) net of fund management charges, held under a single UIN, **on a day to day basis**, as per Form D01.
- b. The insurer, through a portal, shall enable the policyholder to know, through a secured login (i) the value of policy wise units held by him, as per Form D02 and (ii) fund wise NAV (SFIN wise) on both the Insurer’s website and life council website on the same day.

Disclosure format

No	Format	Description	Frequency
01	Form D01	Daily reconciliation of ULIP portfolio	End of the Day (not to be filed with Authority)
02	Form D02	Statement of Product Value	Enable through secured login to individual policyholder
03		Portfolio Disclosure	The minimum information, as per guidelines / circular issued, on a monthly basis

- c. The internal / concurrent Auditor shall report on the automated system and process to handle the UIN wise reconciliation (as in point ‘a’ above) and value of policy wise units held by policyholder and fund wise NAV, on a quarterly basis

5. Applicable NAV for the applications received on the last business day of the Financial Year

- a. for applications received on the last business day of the financial year **UP TO** 3.00 pm shall be processed with NAV of the last business day (irrespective of the payment instrument is local or outstation)
- b. for applications received **AFTER** 3.00 pm on the last business day, the same shall fall into the next Financial Year and NAV of the immediate **next business day** would be applicable.
- c. The insurer shall declare NAV for the last business day of a Financial Year, even if it is a non-business day.

6. For allotment of units, the applicable NAV shall be as per the date of commencement of policy for new policy contracts and date of receipt of premium for renewals.

- a. For allotment of units to a new policy contract, the NAV shall be applicable as at the date of commencement of the policy contract. The premium in such case shall have to be received on or before the date of commencement of policy contract.
- b. For renewals of existing policy contract, the NAV shall be applicable as at the date of renewal where the date of receipt of premium is on or before due date and as at the date of receipt of premium where the premium is received after the due date of renewal.
- c. For revivals, the date of revival shall be the reference date for application of NAV through allotment of units.

- d. *The date of receipt of premium for reasons such as top-up or any other provision for payment of premium apart from regular payment schedule as approved by the Authority through 'File & Use', application shall be the reference date for application of NAV*
7. *The Insurer's Policy Admin System (PAS) shall be 'automated' for tracking 'policy-wise', information of discontinued policies along with the information of the particular ULIP fund to which the same pertains.*
8. *Asset allocation and exposure norms for a segregated fund shall not apply for either the first six months from the date of its launch or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier. On expiry of the sixth month, every such segregated fund, shall comply with all exposure norms under Regulation 9. Where in case of a segregated fund, has gone below Rs.5 Crores, the insurer may provide a free switch, after informing the policyholder, to another fund with similar fund objective / risk profile with either same or lower fund management charges*
9. *Where any segregated fund (other than discontinued policy fund under unit linked business) invest in either Mutual Fund, Exchange Traded Fund (excluding CPSE ETF) or Bank Fixed Deposit (for a period less than 91 days at the time of placing the investment), the value of funds invested therein, shall be reduced for computing the fund management charges (FMC). This provision shall not be applicable for either the first six months from the date of launch of the segregated fund or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier.*
10. *In the case of discontinued policy fund, investment in treasury bills will be treated as part of Central Government Securities.*
11. *All Insurers shall file a certificate, issued by Internal / Concurrent Auditor for compliance of the following:*
- a. *compliance to all exposure norms at the level of each segregated fund, on a quarterly basis*
 - b. *the value of funds invested in Mutual Fund, Exchange Traded Fund or Bank Fixed Deposit (for a period less than 91 days) had been reduced in FMC calculation, on a quarterly basis*
 - c. *each of the directions issued at point 5 above, regarding the applicable NAV for applications received on the last business day*
 - d. *the Statutory Auditors shall also confirm point 'c' above, in the Annual Accounts.*

Note:

1. **Business day** shall mean days other than holidays where stock exchanges (excluding Muhurat trading day) with national wide terminals are open for trade (other than day on which exchanges are open for testing) or any day declared by the Authority as business day.
2. *The insurer shall invest only in such investments for which the day-to-day Valuations are available and readily realisable. No investment can be made in any Fund of Funds or a fund for which NAV is not available on a day-to-day basis.*

C. Fund Management

1. *In the case of (a) Life fund, (b) Pension, Annuity & Group funds, the insurer shall maintain separate sub-custody account with identifiable securities for participating and non-participating funds.*
2. *Every insurer shall have a separate fund manager for debt and equity up to a fund size (for both shareholder and policyholder funds taken together) of Rs. 10000 Crores. When the fund size, for the first time, is Rs.10000 Crores, every fund [(a) Life fund (b) Pension, Annuity & Group fund (c) Unit linked segregated fund(s)] shall have identifiable fund manager. No fund manager can be common between (a) Life fund, Pension & Group fund and (b) Unit linked fund(s)*

Schedule II**General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance****(See Regulation 8)****A. List of Approved Investments**

'Approved Investments' as per Regulation 3 (a) shall fulfil the following criteria:

1. debentures referred under Regulation 3 (a) (1) shall fulfill the criteria mentioned therein for three years immediately preceding or for at least three out of five years immediately preceding on such or similar debentures issued by it;
2. debentures referred under Regulation 3 (a) (3) shall fulfill the criteria therein for three years immediately preceding or for at least three out of five years immediately preceding;

B. Policyholders' Funds

Policyholders funds shall be the sum of (1) Estimated liability for Outstanding Claims including Incurred but not Reported (IBNR) & Incurred but not Enough Reported (IBNER) (2) Unexpired Risk Reserve (URR) (3) Catastrophe Reserve (4) Premium Deficiency (5) Other liabilities **net off** Other Assets

Note: Other Liabilities in point B(5) above, comprise of (i) Premium received in advance (ii) Unallocated premium (iii) Balance due to other Insurance Companies (iv) Due to others members of Third Party Pool (IMTPIP), if applicable (v) Sundry creditors (due to Policyholders).

Other Assets in point B(5) above comprise of (i) Outstanding premium (ii) Due from other entities carrying on Insurance business including Re-insurers (iii) Balance with terrorism pool (if applicable) (iv) Balance with Motor Third Party Pool if any (if applicable)

C. Shareholders' Funds

Shareholders' funds comprise of Share Capital plus all Reserves and Surplus (except Revaluation Reserve and fair value change account) as at the Balance Sheet date, represented by investments of funds held in business beyond solvency margin

D. Applicability of Pattern of Investment

Where an Insurer, hold the entire investment assets, as per Regulation 2 (i) for and behalf of the Policyholders, the pattern of investment shall apply to the entire investment assets (both shareholder and policyholders funds taken together) and the investment assets can be maintained in a single custody account.

E. Miscellaneous

The mandatory minimum investment in Housing and Infrastructure as per Regulation 8, will not apply for Health Insurers

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Ext/200(166)]

FORM - 1

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Name of the Fund

Statement of Investment and
Income on InvestmentPeriodicity of
Submission:
Quarterly

Rs Crore

No.	Category of Investment	Category Code	Current Quarter				Year to Date (current year)				Year to Date (previous year) ³			
			Investment (Rs.) ¹	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²	Investment (Rs.) ¹	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²	Investment (Rs.) ¹	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²

TOTAL**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature _____

Date:

Full Name

Authorised Signatory

Note: Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines, as amended from time to time

1 Based on daily simple Average of Investments

2 Yield netted for Tax

3 In the previous year column, the figures of the corresponding Year to date of the previous financial year shall be shown

4 FORM-1 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP FORM 1 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.

5 YTD Income on investment shall be reconciled with figures in P&L and Revenue account

FORM - 2

(Read with Regulation 10)

PART - A

Name of the Insurer:

Registration Number:

Statement as on:

Name of Fund

Statement of Down Graded Investments

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs Crore

No	Name of the Security	COI	Amount	Date of Purchase	Rating Agency	Original Grade	Current Grade	Date of last Downgrade	Remarks
A.	<u>During the Quarter</u> ¹								
B.	<u>As on Date</u> ²								

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature _____

Date:

Full Name and Designation

Authorised Signatory

	(4) Investment Property - Immovable																		
	(5) Mutual Fund																		
	(6) Money Market																		
	(7) Net current assets																		
	(8) Others (Specify)																		
iv	Other Investments																		
	(1) Debt instruments																		
	(2) Equity instruments																		
	(3) Loans																		
	(4) Investment Property - Immovable																		
	(5) Mutual Fund																		
	(6) Others (specify)																		
Investment Assets																			

Rs. Cr

Investment in 'Debt' instruments	Book Value (Life, Penison Fund and General Insurers)	Market Value (for ULIP Funds)	%
Investments in Sovereign instruments			
APPROVED INVESTMENTS			
AAA			
AA+ upto AA or Equivalent			
MM, Loans, Others - Approved Invt			
OTHER INVESTMENTS			
AA-.A, lower than A or Equivalent			
Unrated, Loans, Others - Other Invt			

Total Debt Investments
(Column [a] to [g])

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: _____

Full name:

Authorised Signatory

Note:

- 1 The figures in Col (i) must match (for each type of investment) with Form 3A (Part A)/Form 3B
- 2 Non-Performing investment assets shall be separately shown irrespective of the rating
For Linked business values of
- 3 Investments shall be at Market Value
- 4 Equity shall be as permitted under IRDAI (Investment) Regulations, 2016 as amended from time to time
- 5 **FORM - 2 (Part B) shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 2 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.**

FORM - 2

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

PART - C

Registration No:

INVESTMENT ASSETS & INVESTMENTS - RATING PROFILE

Name of the Fund _____

SECTION - 1

INVESTMENT ASSETS	Rs Crore	% to Inv. Assets
Central Govt. Sec + Other Approved Securities		
TOTAL (1)		
Approved Investments		
AAA or upto AA or Equivalent		
Equity - Approved Invt		
MM, Loans, Others - Approved Invt		
TOTAL (2)		
Other Investments		
AA-, A, lower than A or Equivalent		
Equity - Other Invt		
Unrated, NPA, Loans, Others - Other Invt		
TOTAL (3)		
TOTAL FUND (1+2+3)		
SECTION - 2		
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS		
Approved Investments		
AAA or upto AA or Equivalent		
Equities-Approved		
MM, Loans, Others-Approved Invt		
TOTAL (i)		
Other Investments		
AA-,A, lower than A or Equivalent		
Equities-Other Investments		

Loans, NPAs, Others - Other Invt		
TOTAL (ii)		
Total Infra Investment (i + ii)		

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: _____
 Full name: _____
 Authorised Signatory _____

Note:

1. The figures must match (for each type of investment) with Form 3A (Part A)/Form 3B
2. **FORM - 2 (Part C) shall be prepared in respect of life fund**

FORM - 3A

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

PART - A

Statement as on:

Statement of Investment Assets (Life Insurers)

(Business within India)

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs. Crore

Section I

No	PARTICULARS	SCH	Amount
1	Investments (Shareholders)	8	
	Investments (Policyholders)	8A	
	Investments (Linked Liabilities)	8B	
2	Loans	9	
3	Fixed Assets	10	
4	Current Assets		
	a. Cash & Bank Balance	11	
	b. Advances & Other Assets	12	
5	Current Liabilities		
	a. Current Liabilities	13	
	b. Provisions	14	
	c. Misc. Exp not Written Off	15	
	d. Debit Balance of P&L A/c		

Reconciliation of Investment Assets**Total Investment Assets (as per Balance Sheet)****Balance Sheet Value of:**

A. Life Fund

B. Pension & General Annuity and Group Business

C. Unit Linked Funds

0**Application of Funds
as per Balance Sheet****0**

(A)

	Less: Other Assets	SCH	Amount
1	Loans (if any)	9	
2	Fixed Assets (if any)	10	
3	Cash & Bank Balance (if any)	11	
4	Advances & Other Assets (if any)	12	
5	Current Liabilities	13	
6	Provisions	14	
7	Misc. Exp not Written Off	15	
8	Investments held outside India		
9	Debit Balance of P&L A/c		

TOTAL (B) 0

Investment Assets (A-B) 0

Section II

NON - LINKED BUSINESS

A. LIFE FUND		% as per Reg	SH		PH			Book Value (SH+PH)	Actual %	FVC Amount	Total Fund	Market Value
			Balance	FR SM +	UL-Non Unit Res	PA R	N O N PA R					
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
1	Central Govt. Sec		Not Less than 25%									
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)		Not Less than 50%									
3	Investment subject to Exposure Norms											
	a.	Infrastructure/ Social/ Housing Sector	Not Less than 15%									
		1. Approved Investments										
		2. Other Investments										
	b.	i) Approved Investments	Not exceeding 35%									
		ii) Other Investments										

TOTAL LIFE FUND 100%

B. PENSION & GENERAL ANNUITY AND GROUP BUSINESS		% as per Reg	PH		Book Value	Actual %	FVC Amount	Total Fund	Market Value
			PA R	N O N PA R					
			(a)	(b)					
1	Central Govt. Sec		Not Less than 20%						
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)		Not Less than 40%						
3	Balance in Approved investment		Not Exceeding 60%						
TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND			100%						

LINKED BUSINESS

C. LINKED FUNDS		% as per Reg	PH		Total Fund	Actual %
			PA R	N O N PA R		
			(a)	(b)		
1	Approved Investments		Not Less than 75%			
2	Other Investments		Not More than 25%			
TOTAL LINKED INSURANCE FUND			100%			

CERTIFICATION:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name:

Authorised Signatory

Note:

1 (+) FRSM refers to 'Funds representing Solvency Margin'

2 Funds beyond Solvency Margin shall have a separate Custody Account.

3 Other Investments shall be as permitted as per Sec 27A (2) of Insurance Act, 1938 as amended from time to time

4 Pattern of Investment is applicable to both Shareholders funds representing solvency margin and policyholders funds.

5 Exposure Norms shall apply to Funds held beyond Solvency Margin, held in a separate Custody Account

FORM 3A

(Read with Regulation 10)

Unit Linked Insurance Business

PART - B

Name of the Insurer:

Registration Number:

Link to Item 'C' of FORM 3A (Part A)

Periodicity of Submission: Quarterly

Statement as on:

Rs. Crore

PARTICULARS	SFIN 1	SFIN 2	SFIN 'n'	Total of All Funds
Opening Balance (Market Value)				
Add: Inflow during the Quarter				
Increase / (Decrease) Value of Inv [Net]				
Less: Outflow during the Quarter				

TOTAL INVESTIBLE FUNDS (MKT VALUE)

INVESTMENT OF UNIT FUND	SFIN 1		SFIN 2		SFIN 'n'		Total of All Funds	
	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual
Approved Investments (>=75%)								
<i>Central Govt Securities</i>								
<i>State Government Securities</i>								
<i>Other Approved Securities</i>								
<i>Corporate Bonds</i>								
<i>Infrastructure Bonds</i>								
<i>Equity</i>								
<i>Money Market Investments</i>								
<i>Mutual funds</i>								
<i>Deposit with Banks</i>								

Sub Total (A)

Current Assets:								
<i>Accrued Interest</i>								
<i>Dividend Recievable</i>								
<i>Bank Balance</i>								
<i>Receivable for Sale of Investments</i>								
<i>Other Current Assets (for Investments)</i>								
Less: Current Liabilities								
<i>Payable for Investments</i>								
<i>Fund Mgmt Charges Payable</i>								
<i>Other Current Liabilities (for Investments)</i>								

Sub Total (B)

Other Investments (<=25%)								
<i>Corporate Bonds</i>								
<i>Infrastructure Bonds</i>								
<i>Equity</i>								
<i>Mutual funds</i>								
<i>Others</i>								

Sub Total (C)

Total (A + B + C)

Fund Carried Forward (as per LB 2)

Signature:

Date :

Full name: _____

Authorised Signatory

Note:

1. The aggregate of all the above Segregated Unit-Funds should reconcile with item C of FORM 3A (Part A), for both Par & Non Par Business
2. Details of Item 12 of FORM LB 2 which forms part of IRDA (Acturial Report) Regulation, 2000 shall be reconciled with FORM 3A (Part B).
3. Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2)

FORM - 3A**(Read with Regulation 10)****Name of the Insurer:****Registration Number:****PART - C****Link to FORM 3A (Part B)****Statement for the period:****Periodicity of Submission: Quarterly****Statement of NAV of Segregated Funds***Rs.Crore*

No	Fund Name	SFIN	Date of Launch	Par/Non Par	Assets Under Management on the above date	NAV as per LB 2	NAV as on the above date*	Previous Qtr NAV	2nd Previous Qtr NAV	3rd Previous Qtr NAV	4th Previous Qtr NAV	Return/Yield	3 Year Rolling CAGR	Highest NAV since inception
1	Segregated Fund 1													
2	Segregated Fund 2													
3	Segregated Fund n													
Total														

CERTIFICATION

Certified that the performance of all segregated funds have been placed and reviewed by the Board. All information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

DATE :**Signature:****Full name:****Authorised Signatory**

Note:

1. * NAV should reflect the published NAV on the reporting date

2. NAV should be upto 4 decimal

FORM - 3A**(Read with Regulation 10)****PART - D****Name of the Insurer:****Registration Number:****Link to FORM 3A (Part A)****Statement as on:**

Statement of Accretion of Funds

*(Business within India)**Rs.Crore*

Periodicity of Submission : Quarterly

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (A)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
A	LIFE FUND							
1	Central Govt. Sec		Not less than 25%					
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)		Not less than 50%					
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Infrastructure		Not less than 15%					
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. (i) Approved Investments		Not exceeding 35%					
	(ii) Other Investments (Not to exceed 15%)							
Total (A)								

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (B)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
B	PENSION & GENERAL ANNUITY AND GROUP BUSINESS							
1	Central Govt. Sec		Not less than 20%					
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (1) above)		Not less than 40%					
3	Balance in Approved investment		Not exceeding 60%					
Total (B)								

No	Category of Investments	POI	Opening Balance	% to Total (C)	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accretion	TOTAL	% to Total (1+2)
			(1)		(2)		(1+2)	
C	LINKED FUNDS							
1	Approved Investments		Not less than 75%					

2	Other Investments	Not more than 25%					
Total (C)		100%					

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:**Signature:****Full name:****Authorised Signatory** _____**FORM - 3A****(Read with Regulation 10)****PART - E****Name of the Insurer:****Registration Number:****Statement as on:****Statement of Investment Details of ULIP Products to Segregated Funds***(Business within India)**Rs. Crore*

Periodicity of Submission : Quarterly

INVESTMENT DETAILS OF "ULIP" PRODUCTS [UIN] TO SEGREGATED FUNDS [SFIN]				
Inflow	UIN1	UIN2	UIN n	Total UIN '1' to 'n'
Premium				
Others (Specify)				
TOTAL (A)				
Outflow				
Commission				
Charges				
Claims				
Others				
TOTAL (B)				
Total C = (A-B)				
Policy Funds at "C" above allotted to				

SFIN 1				
SFIN 2				
SFIN n				
TOTAL (D)				
Difference (if any) E = (C-D)				

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:**Signature:****Full name:****Authorised Signatory****Note:**

1. UIN represents the Unique product number as per 'file and use' approved under ULIP products
2. SFIN represents the Segregated Fund Identification Number as approved by the Product Approval Committee

FORM - 3B**(Read with Regulation 10)****Name of the Insurer:****Registration Number:****Statement as on:****PART - A**

Statement of Investment Assets (General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance) (*Business within India*)

*Rs. Crore***Periodicity of Submission: Quarterly****Section I**

No	PARTICULARS	SCH ++	AMOUNT
1	Investments	8	
2	Loans	9	
3	Fixed Assets	10	
4	Current Assets		
	a. Cash & Bank Balance	11	
	b. Advances & Other Assets	12	

	1. Approved Investments								
	2. Other Investments								
	b. Approved Investments	Not exceeding 55%							
	c. Other Investments								
Investment Assets		100%							

Certification:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:**Signature:**

**Full name:
Authorised Signatory**

- Note:*
- (+) FRSM refers 'Funds representing Solvency Margin'
 - Other Investments' are as permitted under 27A(2)
 - Pattern of Investment is applicable to both Shareholders funds representing solvency margin and policyholders funds.
 - Exposure Norms shall apply to Funds held beyond Solvency Margin, held in a separate Custody Account
 - SCH (++) refers to Schedules to Balance Sheet, prepared as per IRDAI (Preparation of Fin. Stmt and Auditors' Report of Ins Companies) Regulations

FORM - 3B**(Read with Regulation 10)**

Name of the Insurer:

PART - B

Registration Number:

Statement as on:

Statement of Accretion of Assets

Rs. Crore

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

No	Category of Investments	COI	Opening Balance	% to Opening Balance	Net Accretion for the Qtr.	% to Total Accrual	TOTAL	% to Total
			(A)		(B)		(A+B)	
1	Central Govt. Securities							
2	Central Govt Sec, State Govt Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)							

3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Loans to SG for Housing and FFE							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	b. Infrastructure Investments							
	1. Approved Investments							
	2. Other Investments							
	c. Approved Investments							
	d. Other Investments (not exceeding 15%)							

Total

Certification:

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:

Full
name:
Authorised
Signatory

Note:

1. Total (A+B), fund wise should tally with figures shown in Form 3B (Part A)

FORM 4
(read with regulation 10)
EXPOSURE / PRUDENTIAL AND OTHER INVESTMENT NORMS – COMPLIANCE
CERTIFICATE

PART A

Insurer Name and Code:

Date: as at:

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
A. "EXPOSURE" COMPLIANCE - ALL INSURERS				
I	Investee Company Exposure	1. Investment in equity, preference shares, convertible debenture:- Exposure at any point of time did not exceed 10% of		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>outstanding equity shares (face value) or 10% of the amount under point Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c)[at segregated fund level]considered separately) of this Regulation, in the case of Life insurers / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) or (A.4) of this Regulation, in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance whichever is lower.</i></p> <p><i>[In case of Infrastructure Co, the limit of 10% shall be read as 20%. Where the investment assets of the insurer is Rs. 250000 Crores or more, the limit of 10% shall be read as 15% of outstanding equity shares (face value) or where the investment assets of the insurer is more than Rs.50000 Crores but less than Rs 250,000 Crores the limit of 10% shall be read as 12% of outstanding equity shares (face value)]</i></p> <p><i>Note: In the case of life insurers, exposure norms for a segregated fund shall not be applicable for either the first six months from the date of its launch or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier.</i></p> <p><i>2. Investment in Debt/ loans and any other permitted Investments as per Act / Regulation, other than 'Equity', Preference Shares, Convertible Debentures :-</i></p> <p><i>Exposure at any point of time did not exceed 10% of the paid-up share capital, free reserves (except revaluation reserve) and debenture / bonds of the investee company or 10% of amount under point Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c)[at segregated fund level] above considered separately) of this Regulation, in the case of Life insurers / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) or (A.4) of this Regulation, in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, whichever is lower.</i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>[In case of Infrastructure Co, the limit of 10% shall be read as 20%. Where the investment assets of the insurer is Rs. 250000 Crores or more, the limit of 10% shall be read as 15% of paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) and debenture / bonds or where the investment assets of the insurer is more than Rs.50000 Crores but less than Rs 250,000 Crores the limit of 10% shall be read as 12% paid up share capital, free reserves (excluding revaluation reserve) and debenture / bonds)</i></p> <p><i>Note: In the case of life insurers, exposure norms for a segregated fund shall not be applicable for either the first six months from the date of its launch or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier.</i></p> <p>3. <i>Has the maximum exposure under limit for a single ‘investee’ company from all investment assets (Equity / Preference Shares / Convertible Debenture / Debentures/ bonds/ CPs / loans and any other permitted debt Investments as per Act / Regulation), are within the limit prescribed in Regulation 9 (B)(In case of Infrastructure Co, the limit of 10% shall be read as 20%)?</i></p> <p>4. <i>Has exposure taken based on guarantees of another entity, is considered as a part of exposure to the “investee company”?</i></p> <p>5. <i>Has debt investments made in infrastructure SPV have complied with the limits, terms and conditions as mentioned in the Note: 4 to Regulation 9?</i></p> <p>6. <i>Have all the negative deviations reported in FORM 4A (Part A)?</i></p>		
II	Limit for the entire Group of the Investee	Has total investments made in entire “Group of the Investee Company” is not exceeding:		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
	Company	<p>1. 15% of the amount under point Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c)[at segregated fund level]above considered separately) of this Regulation, in the case of Life insurers / an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3) or (A.4) of this Regulation, in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance respectively</p> <p>Note: In the case of life insurers, exposure norms for a segregated fund shall not be applicable for either the first six months from the date of its launch or the segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier.</p>		
III	Promoter Group Company	<p>Has total investments made in all “Companies falling under Insurer’s Promoter Group” is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. not more than 5% in aggregate of its investment assets (as defined in Regulation 2 (i))in all companies belonging to the promoters’ group. 2. not made investments in any companies belonging to the promoters’ group by way of private placement 3. not made any investment in unlisted instruments [equity & debt, certificate of deposits and fixed deposits held in a Scheduled Bank], except for companies formed by Insurers under Note 12 to Regulation 9 		
IV	Industry sector	<p>Has investment made by the insurer in any industrial sector [except Financial and Insurance Activities sector as per National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008]:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. not exceeding 15% of the amount under Regulation 9 (A.1.(a) or A.1.(b) or A.1.(c)[at segregated fund level]considered separately)of this regulation in the case of life insurer /an amount under Regulation 9 (A.2) or (A.3)or (A.4) of this regulation, in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance 		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>2. Has the investment made by the insurer in Financial and Insurance Activities sector as per National Industrial Classification (All Economic Activities) – 2008 not exceeded 25% of its total investment assets?</p> <p>3. Has the insurer considered investments in (a) Housing Financing Companies and (b) Infrastructure Financing Companies as a part of exposure to financial and insurance activities (as per Section K of NIC classification – 2008)?</p> <p>Note: investment in bonds / debentures of HUDCO, NHB and bonds issued by Housing Finance Companies <u>which accept public deposit, having a rating of not less than AAA, and investment in Debt, Equity in dedicated</u> infrastructure financing entities forming part of Infrastructure sector are exempt from the above provision</p> <p>4. Is the classification of industrial sectors been done <u>on the lines of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008 [NIC] for all sectors, except “infrastructure sector”</u>.</p> <p>5. Has exposure been calculated at Division level from A to R of [NIC (All Economic Activities) – 2008] Classification for all sectors other than infrastructure sector?</p> <p>6. Has exposure been calculated for Financial and Insurance Activities sector at Section level [of NIC (All Economic Activities) – 2008]?</p> <p>7. Has no exposure been made into any sector falling beyond Section R [of NIC (All Economic Activities)– 2008]?</p> <p>Note: In the case of life insurers, exposure norms for a segregated fund shall not be applicable for either the first six months from the date of its launch or the</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<i>segregated fund reaches the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier.</i>		
V	Rating Criteria	<p>1. Are investments under 'Approved Investments' made only in rated instruments, if such instruments are capable of being rated?</p> <p>2. At the time of purchase, are Corporate Bonds rated below AA (A+ with the prior approval of the Board of the Insurer) or its equivalent and AI or equivalent (in case of short term instruments) classified under "Other Investments"?</p> <p>3. Are instruments downgraded below the minimum rating prescribed under Note 4, 5 & 6 to Regulation 4 to 8 of the IRDA (Investment) Regulation, 2000, as amended from time to time, reclassified under "Other Investments" <u>through an automated System</u>?</p> <p>4. Are 'Debt' instruments (including Central Govt, State Govt Securities and Other Approved Securities) - fund wise, in the case of life insurer (including ULIP funds at segregated fund level) and Investment Assets in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance - have a minimum rating of Sovereign debt, AAA or equivalent rating for long term and Sovereign, AI+ or equivalent for short term instruments, not less than 75%(Life Insurer)/65% (General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance)?</p> <p>Note: In calculating the 75% in the case of Life insurers and 65% in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, of investment in 'Debt' instruments, investment in (a) Reverse Repo with corporate bond underlying (b) Bank Fixed Deposit (c) Investment in Promoter Group Mutual Fund(s) and un-rated Mutual funds, shall not be</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>considered</i></p> <p>5. Are 'Debt' instruments (including Central Govt Securities, State Govt Securities and Other Approved Securities) – fund wise, in the case of life insurer (including ULIP funds at segregated fund level) and Investment Assets in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance – have a rating of A or below or equivalent rating for long term, are not more than 5% (8% in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance)?</p> <p>6. Are all Debt investments made through Private Placements, rated not less than AA?</p> <p>7. Are exposure in Housing Finance companies, in excess of Regulation 9 (B) (b) [complying with provisions under Note 13 to Regulation 9] have a rating of not less than AA+?</p>		
VI	Others	<p>1. No building, used by the insurer for 'self-use' is classified as 'investment property' and are not part of 'investment assets' as derived in FORM 3A (Part A) / Form 3B (Part A)</p> <p>2. Has the insurer made any investment in a subsidiary or associate company? If the answer is 'yes' provide details in FORM 4A (Part B)</p> <p>i. Does the subsidiary / associate companies referred in point (2) above, does insurance or re-insurance or health insurance business?</p> <p>ii. Does the business of the subsidiary / associate (referred in point (i) above) of the insurer, does the same line of insurance business, as that of the insurer (holding company)?</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>3. Have investment in FDs, not exceeded either 3% of controlled fund or not more than 5% of respective fund size [Pension & General Annuity Fund and Unit linked fund(s) at SFIN level], <u>whichever is lower</u>, in the case of Life Insurers and 15% of Investment Assets as per Regulation 2 (i) (2) in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance</p> <p>4. Has the insurer complied with the empanelment / review of investment broker norms, as per the Board approved criteria and Circulars / Guidelines issued by the Authority?</p> <p>5. Has the Insurer, during the quarter, invested outside India? If yes,</p> <p>i. has the insurer done the Actuarial Valuation to identify shareholders funds and policyholders funds?</p> <p>ii. has the insurer filed the Actuarial Valuation, with the Authority?</p> <p>iii. does both shareholders and policyholders funds have separate sub-custody account?</p> <p>iv. does both shareholder and policyholder funds have identified 'scrips' at sub-custodian level?</p> <p>v. has the investments done outside the country made ONLY from shareholder funds, held in a separate sub-custody account?</p>		
B. "CONFIRMATIONS" - ALL INSURERS				
VII	Confirmations	<p>A. CONFIRMATION ON POLICY / SYSTEMS & PROCEDURE</p> <p>1. Has the Insurer complied with the provisions of Section 27, 27A, 27B and 28 of the Insurance Act, 1938</p> <p>2. Has the software application for Investment</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>Operations, been <u>fully automated without manual intervention</u> in calculating the exposure norms of Investee Company, Group, Promoter Group and Industry Sector, as per the various slabs of 'investment assets' provided under Regulation 9 (B)?</i></p> <p>3. <i>Is the Constitution of the Investment Committee of the Insurer in full compliance with the requirements mentioned under Regulation 13 of Investment Regulation?</i></p> <p>4. <i>Was none of the functions of the insurer relating to Investment Operations falling either under Front / Mid / Back Office, (covering both Shareholders and Policyholders Investments), outsourced (except to the extent permitted under the Master Circular issued by the Authority, with respect to Outsourcing of Investment Advice and NAV Calculation) including its verification?</i></p> <p>5. <i>Is Audit Committee headed by an individual, as per the IRDA Corporate Governance Guidelines?</i></p> <p>6. <i>Whether Audit Committee and Investment Committee have no common Chairman?</i></p> <p>7. <i>Has the Board of the Insurer appointed a Custodian, who is not an entity under its promoter 'Group', unless permitted otherwise by the Authority, to carry out the custodial service for its investments operations?</i></p> <p>8. <i>Has the Insurer filed application for public listing under ICDR Regulations issued by the Authority?</i></p> <p>9. <i>If "yes", for point no. 8 above, whether the General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance, had split its funds between Shareholders and Policyholders as per the</i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>Circular / Guidelines issued by the Authority?</i></p> <p>10. <i>Have periodical Investment Returns to be filed for the Quarter, prepared in full compliance with the “Guidance Note on preparation of Investment Returns” issued by IRDA?</i></p> <p>11. <i>Have amendments to the Investment Policy, been approved by the Board of the Insurer?</i></p> <p>12. <i>Has the model code of conduct, to prevent insider / personal trading (as required under SEBI (Insider Trading) Regulations, 1992, as amended from time to time) of officers involved in Investment Operations, including front, mid and back office, as approved by the Board, been implemented? If so:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a. Does it cover Officers involved in Investment Operations at various levels?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b. Does the code of conduct cover each Officer in such level?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>c. Has the Board been informed of compliance or otherwise to model code of conduct during the Quarter?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>d. Has the Concurrent Auditor issued his Audit Report of previous Quarter, without any qualification on aspects of model code of conduct implemented by the Insurer?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>e. Where breach of model code of conduct, if any, reported during the previous Quarter, been dealt properly and appropriate action as recommended by Audit Committee/ Board been taken?</i></p> <p>13. <i>Does the segregation of front, mid and back office – are as per Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies issued by the Institute of Chartered Accountants of India?</i></p> <p>14. <i>Have all non-compliance reported in the Chartered Accountant’s certificate issued (as per the Guidance</i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>note on Investment Risk Management Systems & Process of Insurance Companies, by ICAI) on the 'status' of implementation of Investment Risk Management Systems and Process been implemented as per timelines committed to IRDA?</i></p> <p>15. <i>Has the Internal /Concurrent audit Report of the previous Quarter with the comments of Audit Committee of the Board, on 'very serious', 'serious' points (as per the Guidance note on Internal / Concurrent Audit of Investment functions of Insurance Companies, issued by the Institute of Chartered Accountants of India) in the report, and status of implementation of Audit committee recommendations been placed before the Insurer's Board, as a part of the Agenda, during the current quarter?</i></p> <p>16. <i>Have the Audit Report of the previous Quarter along with Audit Committees recommendation and its implementation status filed with the Authority along with these returns?</i></p> <p>17. <i>Has the insurer in calculation of solvency margin, excluded funds held beyond required solvency margin, subject to other provision of the Act?</i></p> <p>18. <i>Have the increase during the quarter, in Shareholders' funds (other than income from shareholders' investments, <u>maintained in a separate custody account</u>) held beyond solvency margin requirement, is supported by Actuarial Valuation certified by the Appointed Actuary? [annex a copy of Appointed Actuary's Certificate <u>to this return</u>]</i></p> <p>19. <i>Has the Board reviewed (both life and General Insurers) during the previous quarter the performance of products [<u>at line of business level in the case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health</u></i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>insurance]?</i></p> <p>20. <i>Has the Board, during the previous Quarter, reviewed (both life and non-life insurers) the performance of investments?[the review in the case of life insurers should cover both Non-Linked and Linked funds [SFIN] level]</i></p> <p>21. <i>Has the Insurer placed before the Board, as a part of the Agenda, the minimum information specified in Circular / Guidelines issued by the Authority (on points 15 and 16 above) on performance of investments and performance of products?</i></p> <p>22. <i>Has the Insurer placed before the Board, as part of the Agenda the following:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a. All investments made out of Controlled Fund / assets falling under “Other Investments”?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b. All investments made in “All India Financial Institutions, recognized as such by RBI, carrying a rating of less than AA and classified as Approved Investments?</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>c. Details of Analysis, review of NPA details are part of Agenda?</i></p> <p>23. <i>Has the Standard Operating Procedure (SOP) approved by the Investment Committee of the Insurer?</i></p> <p>24. <i>Does the SOP, for each ‘category of investment’ is <u>same across all fund(s)</u>?</i></p> <p>25. <i>Does SOP of the Insurer, for “each” Category of Investment, (as per Guidelines as amended from time to time, issued by the Authority) provide individual activities to be carried out in Front, Mid and Back office?</i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>26. Have all investments made (100%) followed the IC approved SOP?</p> <p>27. Does the Investment made during the Quarter, are within the exhaustive 'Categories of Investments' prescribed under Guidelines as amended from time to time?</p> <p>28. Has the Insurer during the Quarter taken Derivative position in interest rate derivatives or Credit default swap? If Yes:</p> <p>a. Has the Derivative Policy been approved by the Board of the Insurer?</p> <p>b. Has the insurer implemented a fully automated and integrated system between (1) Policy Admin System, (2) Accounting System and (3) Investment System?</p> <p>c. Has the Insurer, filed with the Authority, the certificate issued by the Chartered Accountant, appointed for "Certification of Investment Risk Management Systems and Processes", before taking any exposure to derivatives?</p> <p>d. Has the Concurrent Auditor, confirmed the compliance to point (c) above, to Audit Committee / Board of the Insurer?</p> <p>e. Has the derivative position, to be hedged, with respect to:</p> <p>i. 'Cash flow' been identified with 'individual' product with associated UIN number?</p> <p>ii. 'Re-investment risk' been identified with 'individual' debt security?</p> <p>f. If so, is there a process to identify the risk to be hedged ['fund-wise' in the case of Life Insurers]?</p> <p>g. Does the notional value of the derivative is lesser than the book value of the respective fund?</p> <p>h. Where the 'hedge' is not effective, has it been reflected in the Profit & Loss Account?</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>i. Does such derivative position comply with IRDA Guidelines?</p> <p>j. Has the Chief Risk Officer, in his quarterly report to the Board of the Insurer, reported the compliance to all points (a to i)?</p> <p>k. Has the Insurer filed the regulatory information / returns required under the Guidelines issued?</p> <p>29. Are investment made in “investment property” covered under Regulations 3(a)(6) not exceeded, at the time of investment, 5% of investment assets [as per FORM 3B (Part A)], in the case of General Insurer and within 5% of Life fund [as per FORM 3A (Part A)].</p> <p>30. Are investments in equity shares through IPO, Mutual fund, Venture fund, SEBI approved Alternate Investment Funds, Corporate Bond Reverse Repo, IDF (as per Note 2 to Regulation 9) Perpetual Debt instruments of Bank’s Tier-I (Basel II) Capital and Debt Capital instruments of Bank’s Upper Tier-II Capital, made in compliance with the relevant circulars issued in this regards from time to time?</p> <p>31. Are investments in asset backed securities, PTC, SRs both under Approved and Other investment category, made within 10% of respective funds in case of Life Companies and 5% of Investment assets in case of General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance companies</p> <p>32. Are any securitized assets with underlying housing or infrastructure assets, if downgraded below AAA or equivalent reclassified as Other Investments</p> <p>B. CONFIRMATION ON INVESTMENT OPERATIONS / EXPOSURE</p> <p>1. Has Shareholders funds been split Funds Representing Solvency Margin (FRSM) in FORM 3A (Part A) / FORM 3B (Part A)?</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>2. If funds are split as per point 1 above, between FRSM and Balance, have the same been maintained in separate custodian account with identified 'scrips' for both Life and General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance companies and reconciled with FORM 3A (Part A) / FORM 3B?</p> <p>3. Whether the funds held in business, beyond solvency margin, have not been considered in the calculation of Solvency Margin?</p> <p>4. Does all investments in assets or instruments which are capable of being rated (except Fixed Deposits with Scheduled Banks) are made based on 'instrument' rating and NOT based on Investee 'Company' rating?</p> <p>5. Have Investments in debt instruments rated AA - (AA minus) or below classified under Other Investments?</p> <p>6. Are Investments made in a Public Limited Special Purpose Vehicle (SPV) engaged in infrastructure sector is within 20% of the project cost (or) amount under Regulation 9 (B) (i), whichever is lower?</p> <p>7. If answer to point above is 'yes', have all the requirements mentioned under Note 4 to Regulation 9 have been complied?</p> <p>8. Are investments made in Mortgaged Backed Securities [MBS] / Assets Backed Securities [ABS] complied with the requirements of Note 5 to Regulation 9?</p> <p>9. Are all listed equity shares, forming part of Approved Investments, fulfill the requirement of dividend criteria, as specified in Regulation 3 (a) (5)?</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>10. Are all thinly traded equity (as per SEBI norms) classified as “Other Investment”?</p> <p>11. Does the Primary Data Server of the Computer Application used for Investment Management, maintained within the Country?</p> <p>12. Has the insurer, reconciled investment accounts, from each fund in the case of non-unit linked business, and General Insurer including an insurer carrying on business of re-insurance or health insurance business, with custodian records, on a day-to-day basis?</p> <p>13. Has the insurer, apart from the credit rating evaluated by the rating agencies, carried out their own risk analysis commensurate with the complexity of the product(s) and the materiality of their holding for every investment made?</p> <p>14. Has the insurer maintained separate custody account with identifiable securities for participating and non-participating investments, at fund level?</p>		
C. CONFIRMATION - “LIFE” INSURERS				
VIII	Confirmations	<p>A. CONFIRMATION ON POLICY / SYSTEMS / PROCEDURE</p> <p>1. Has the life insurer, in the case of ULIP business reconciled, <u>through the system</u>, the premium received (net of charges and benefits paid) under each product (Unique Identification Number – UIN wise) with value of all the segregated fund(s) (Segregated Fund Identification Number – SFIN wise) net of fund management charges, held under a single UIN, on a day to day basis, during the quarter, as per Form D01?</p> <p>2. Has the life insurer, through a portal, enabled the</p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>policyholder, to access through a secured login, his Statement of Product Value, as per Form D02?</i></p> <p>3. <i>Has the life insurer, disclosed in its website the minimum information, of monthly ULIP portfolio disclosure, as per guidelines / circular issued by the Authority?</i></p> <p>4. <i>Is there a fully automated system to generate, on a day to day basis, Form 3A - Part E (Investment Details of ULIP Products to Segregated Funds)?</i></p> <p>5. <i>Has the life insurer disclosed fund wise NAV (SFIN wise) on the Insurer's website and life council website on the same day?</i></p> <p>6. <i>Have NO investments in Immovable Properties been made out of ULIP Funds?</i></p> <p>B. CONFIRMATION ON INVESTMENT OPERATIONS / EXPOSURE</p> <p>1. <i>Do each 'Segregated fund' [SFIN] have underlying 'Scrips', identified up to Custodian level?</i></p> <p>2. <i>Has 'each' purchase and sale of Investments, as mentioned in the Deal Slip, been identified with respect to 'each' fund / 'segregated fund [SFIN]' in respect of ULIP funds?</i></p> <p>3. <i>Has inter fund transfer, been done as per the provisions of Master Circular issued between ULIP funds during Market Hours, for Equity and Debt at the prevailing price and not based on broker quote?</i></p> <p>4. <i>With respect to 'each' Segregated Fund [including Discontinued Policy Fund (DPF)] in the case of ULIP business, whether reconciliation of "Units" have been made, between Policy Admin System (PAS) and Investment Accounting Systems through a</i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p><i>fully automated system using process integrators to ensure seamless data transfer <u>without manual intervention</u>?</i></p> <p>5. <i>Has the insurer, reconciled investments, fund-wise, with bank and custodian records on 'day-to-day basis for 'each' segregated fund [SFIN]?</i></p> <p>6. <i>Has valuation of investments of 'each' fund (including ULIP), done as prescribed in IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002?</i></p> <p>7. <i>Is there any shortfall/deficit in meeting the Discontinued Policies Fund (DPF) liabilities?</i></p> <p>8. <i>If the answer to above point is 'Yes', has the Insurer provided for such shortfall / deficit on a quarterly basis?</i></p> <p>9. <i>Has NAV of each segregated fund [SFIN] been audited before its declaration by Internal / Concurrent Auditor on a day-to-day basis (on T+0 basis)?</i></p> <p>10. <i>Has the Insurer floated any new fund during the quarter?</i></p> <p>11. <i>If the answer to point above is 'yes', has the provisions of "Fund Clearance Procedure" as per the Master Circular complied with?</i></p> <p>12. <i>Does every fund [(a) Life fund, (b) Pension, Annuity & Group fund (c) Unit linked segregated fund(s) SFIN wise] has an identifiable fund manager?</i></p> <p>13. <i>Whether the Fund manager is not common between (a) Life fund, Pension & Group fund (b) Unit linked funds?</i></p>		

Section	Norms	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>14. Has the insurer excluded fund management charge, charged by Mutual Fund, Exchange Traded Fund (excluding CPSE ETF), and Fixed Deposit (less than 91 days at the time of placing the investment) while computing fund management charges (FMC) for all funds which are either more than six months from the date of launch of the segregated fund or where the segregated fund has reached the size of Rs.5 Crores, for the first time, whichever is earlier)?</p> <p>15. Whether no investments have been made in Alternate Investment funds from ULIP funds?</p> <p>16. Has the insurer, unless specifically permitted by the Authority, not made any investment in any entity not formed under laws relating to companies in India and in any private limited company or one man company or a company formed under section 8 of the Companies Act, 2013 or erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956?</p> <p>17. Whether the insurer has not made any investment in Fund of Funds or a fund for which NAV is not available on a daily basis?</p> <p>18. Has the insurer created an SFIN for Unclaimed Amount of claimants? Is 'Yes:</p> <p>a. Is the SFIN of "Unclaimed Amounts of Policyholders" cleared by IRDA?</p> <p>b. Has monies of Unclaimed Amounts of Policyholders, under (1) Life business (2) Pension and General Annuity business and (3) ULIP Business, shall be disclosed in a single separate "Unclaimed Amounts of Policyholders" and NOT shown as part of Investment Assets?</p> <p>c. Has the insurer shown "Unclaimed Amounts of Policyholders" as part of Current Assets in the</p>		

CERTIFICATE

We certify that all issues, to be reported to IRDAI on implementation of Investment Risk Management Systems and Process, for the Quarter and pending issues of previous Quarter(s) [as committed to IRDAI], and as listed in the Chartered Accountant's Certificate issued, vide IRDAI Circular, have been covered in the above table.

Chartered Accountants**(Internal / Concurrent Auditor)**

Place:

Date:

Note:

1. No. (under Col. 1 in above table) shall be as per the Annexure(s) to the Certificate issued by the Chartered Accountant appointed to certify implementation of Investment Risk Management Systems and Process

2. If all the issues have been complied with and no issues to be reported, a NIL statement should be filed

FORM - 4A**(Read with Regulation 10)****PART A****Name of the Insurer:****Registration Number:**

Statement as on:

Total Investment Assets for the quarter as per FORM 3A/3B:

EXPOSURE NORMS COMPLIANCE - INVESTEE COMPANY

Rs. Crore

No	Investee Company	Whether (Equity/Debt)	Equity		Debt + Others		Equity + Debt + Others		Deviation Amount		
			Eligibility Limit as per Regulation 9	Actual	Eligibility Limit as per Regulation 9	Actual	Eligibility Limit as per Regulation 9	Actual	Equity	(Debt + Others)	Equity + Debt + Others

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Signature: _____

Date:

Full name: _____**Authorised Signatory** _____**Note:**

1. Above table shall be compiled separately for Life, Pension & General Annuity and Group Business and Individually for each Segregated Fund (SFIN) AND at Assets under Management Level

2. Only (-ve) deviations are to be reported

3. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds

FORM - 4A**(Read with Regulation 10)****Name of the Insurer:****PART B****Registration Number:****Total Investment Assets for the quarter as per FORM 3A/3B:**

Statement as on:

Rs. Crore

EXPOSURE NORMS COMPLIANCE- PROMOTER GROUP

No	Name of Group Company	Eligibility limit of group as per Regulation 9	Actual Investment	Actual Investments (Cumulative)	Deviation
a	b	c	d	e	f=c-e

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:**Full name:****Authorised Signatory****Note:**

1. Above table shall be compiled in aggregate of its total investments
2. Exposure would be on the basis of Book Value for Non-unit linked funds & on Market Value for Unit linked Funds

FORM - 4A**(Read with Regulation 10)****PART C****Name of the Insurer:****Registration Number:**

Statement as on:

Rs. Crore

Total Investment Assets as per FORM 3A/3B:
EXPOSURE NORMS COMPLIANCE- GROUP

No	Name of Group Company	Eligibility limit of group as per Regulation 9	Actual Investments	Deviation
a	b	c	d	e=c-d

Total

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature:**Full name:****Authorised Signatory**

	Govt Sec or Other Approved Sec													
										Total [1+2]				
3	Investments subject to Exposure Norms													
	(a) Housing & Loans to State Govt for Housing / FFE													
	1. Approved Investments													
	2. Other Investments													
										Total [3(a)]				
	(b) Infrastructure Investments													
	1. Approved Investments													
	2. Other Investments													
										Total [3(b)]				
	(c) Approved Investments													
										Total [3(c)]				
	(d) Other Investments													
										Total (3(d))				
										Total [3 (a+b+c+d)]				
										Total (1+2+3)				
TOTAL														

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct, complete and nothing has been concealed or suppressed, to the best of my knowledge and belief. Also, certified that all Cash Market transactions executed on the Stock Exchange are made only on Delivery basis.

Date :

Signature _____
 Full Name & Designation
 Authorised Signatory

NOTE:

- Individual Categories under each of the above Major heads should be listed with Category Code
- FORM-5 shall be prepared in respect of each fund. In case of ULIP Form 5 shall be prepared at Segregated Fund (SFIN) level and also at consolidated level.
- Each sub-total of FORM-5 shall be linked to its corresponding head in PART-A of FORM-3A / FORM-3B.
- 'Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2)
- The '% to Total' Column, in the case of Non-Linked funds shall be computed on Book Value and in the Case of Linked Funds it shall to Market Value

FORM - 6

(Read with Regulation 10)

Name of the Insurer:

Registration Number:

Name of the Fund: _____

Statement as on:

Certificate under Section 27A (5) of Insurance Act, 1938

Rs.Crore

Periodicity of Submission : Quarterly

No	Investment Particulars	Under the Custody of						Total (Rs)
		Bank / Custody (Rs)		Self (Rs)		Others (Rs)		
		Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	
1	Central Govt. Security							
2	Central Govt Securities, State Govt Securities or Other Approved Securities							

3	Investment subject to Exposure Norms								
	a. Housing & Loans to State Govt. for Housing & FFE								
	1. Approved Investments								
	2. Other Investments								
	b. Infrastructure Investments								
	1. Approved Investments								
	2. Other Investments								
	c. Approved Investments								
	d. Other Investments								
	TOTAL								

CERTIFICATE


We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or lien as on the above date.

Signature:**Full name:** _____**Chairman** _____**Signature:****Full name:** _____**Director 1** _____**Signature:** _____**Full name:** _____**Director 2** _____**Signature:** _____**Full name:** _____**Principal Officer** _____**Note:**

1. Custodian should certify that he is not disqualified under SEBI (Custodian of securities) Regulations, 1996 as amended from time to time.
2. Value of the Securities shall be as per Guidelines
3. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund and in aggregate for Segregated Funds
4. The values under certificate should be adjusted for Purchase / Sale of investments purchased and awaiting settlement. A reconciliation to this effect should be attached to the Certificate.

FORM 7Name of the Fund

(Read with Regulation 10)

DETAILS OF NON-PERFORMING ASSETSName of the Insurer 

Registration No: _____

(Rs. Crore)

NO	PARTICULARS	Bonds / Debentures		Loans		Other Debt instruments		All Other Assets		TOTAL	
		YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar	YTD (As on date)	Prev. FY (As on 31 Mar
1	Investments Assets (As per Form 5)										
2	Gross NPA										
3	% of Gross NPA on Investment Assets (2/1)										
4	Provision made on NPA										
5	Provision as a % of NPA (4/2)										
6	Provision on Standard Assets										
7	Net Investment Assets (1-4)										
8	Net NPA (2-4)										
9	% of Net NPA to Net Investment Assets (8/7)										
10	Write off made during the period										

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge. Also certified that the various investments made and covered in the return are **within** the exhaustive categories provided in Investment Guidelines as amended from time to time.

Signature: _____

Full name: _____

Chief of Finance

Note:

1. The above statement, in the case of 'Life' Insurers shall be prepared 'fund-wise' Viz. Life Fund, Pension & Group Fund, ULIP Fund and at Assets Under Management level also.
2. Total Investment Assets should reconcile with figures shown in Form 3A / 3B
3. Gross NPA is investments classified as NPA, before any provisions
4. Provision made on the 'Standard Assets' shall be as per Circular issued, as amended from time to time.
5. Net Investment assets is net of 'provisions'
6. Net NPA is gross NPAs less provisions
7. Write off as approved by the Board

Name of the Insurer:

Registration No:

FORM - D01

Report Date

DAILY RECONCILIATION OF ULIP PORTFOLIO

Unique Identity Number (UIN)	Name of the Product	Segregated Fund Identification Number (SFIN)	Name of the Fund	Life / Group Policy Admin System					
				Opening Unit Capital (as at the start of the day) (Amount in Rs)	Opening Units (as of the start of the day) (Number of Units)	Net Amount collected or redeemed (net of charges) for the day (Amount in Rs)	Net units allotted or redeemed for the day (Number of Units)	Closing unit capital (as at the end of the day) (Amount in Rs)	Closing units (as at the end of the day) (Number of Units)
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (c)	(f) = (b) + (d)
X	A	XYZ	Fund Name 1						
Y	B								
Z	C								
			Sub total						
L	D	ABC	Fund Name 'n'						
M	E								
				Sub total					

Investment Management System										
SFIN	Name of the Fund	Opening fund Value (as at the start of the day)	Opening units (as at the start of the day) (Number of Units)	Additional fund Value created or redeemed for the day	Additional Units created or redeemed for the day	Investment income for the day (including unrealised gain/loss)	FMC charges deducted for the day	Closing fund Value (as at the end of the day)	Closing Units (as at the end of the day) (Number of units)	NAV per Unit declared
		(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) = (g)+(i)+(k)-(l)	(n) = (h) + (j)	(o) = (m) / (n)
	Fund 1									
	Fund 2									
	Fund 'n'									

NOTES:

1. Opening units as per Life / Group Policy Admin System of previous NAV day [refer (b)] shall reconcile with Opening Units as per Investment Management System [refer (h)]
2. Additional fund or Units created or redeemed for the day in Investment Management System [refer (i) and (j)] shall reconcile with Net Amount or Units collected or redeemed as per Life / Group Policy Admin System [refer (c) and (d)]
3. Closing units as per Life / Group Policy Admin System of previous NAV day [refer (f)] shall reconcile with Closing Units as per Investment Management System [refer (n)]
4. NAV per unit declared [refer (o)] must reconcile with NAV per unit uploaded on Life Insurance council's website
5. The unit movements of day "T" in Life/Group Admin System shall flow into Investment Management System with a maximum time lag of 1 working day i.e T+1

**XYZ Life Insurance
Company Limited**
Statement of Product Value
Registration No:

FORM - D02
Policyholder ID

Login Dt

Name of Policyholder

Address:

PART - A

Product	UIN	Premium incl. Top-up (Rs)	Premium Allocation Charge (Rs)	Funds Allocated (Rs)	Units as per Policy Admin System (PAS)	Value per Unit (Rs)	Product Value (Rs)
ZXY Premium Plus							

[A]

PART - B

Rs.

Particulars	SFIN.....	SFIN.....	Σ SFIN
	Fund X	Fund Y	Total
Name of the Fund			
Units (as per Investment Management System)			
Percentage of Allocation (as on Login Dt)	%	%	%
Funds Allocated			
Switch In			
Switch Out			
Withdrawals			
Charges			
Allocation Charges			
Switch charge			
Policy Administration charge			
Mortality charges			
Other charges (specify)			
Service Tax			
Total amount invested in Segregated funds			
Current NAV			
Fund value as on Login Dt:			

[B]

PART - C (Product Statistics)

Insurance Cover over the interim reporting period from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy

Total Premium Paid from inception

Total Risk premium from inception, for insurance cover

Total Charges and deductions other than Mortality including Allocation charges till Login Dt. (including Service Charges)

Difference between (A) (B) (unrealised Gain / Loss)

Portfolio value on Net Investment as per Benefit Illustration at the lower rate as prescribed in the regulations

Portfolio value on Net Investment as per Benefit Illustration at the upper rate prescribed in the regulations

NOTE:

1. *Product Porfolio value would be aggregate of all fund values in a product.*
2. *Product value per unit would be arrived at post dividing aggregate fund value by initial units*
3. *Consolidated Product Value would be a derived by aggregating the product values and dividing the same by consolidated initial units*
4. *Product Value would be in addition to all the existing disclosures and calculations*
5. *Current prescribed practices shall continue*